पंचम माला, खंड 61 अंक 38, बुधवार, 12 मई, 1976/22 वैशाख, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXI No. 38, Wednesday, May 12, 1976/Vaisakha 22, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 61 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 38, बुधवार, 12 मई 1976/22 वैशाख 1898 (शक)

No. 38, Wednesday May 12, 1976/Vaisakha 22, 1898 (Saka)

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
	*तारांकित प्रश्न संख्या 771 से 774, 776, 777, 780, 778 778ए और 782	*Starred Question Nos. 771 to 774, 776 777, 780, 778, 778A and 782	1—19
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
	तारांकित प्रश्न संख्या 775, 779, 781, 783 से 794	*Starred Question Nos. 775, 779, 781 783 to 794	20—28
	अतारांकित प्रश्न संख्या 3787 से 3867	Unstarred Question Nos. 3787 to 3867.	28—72
	सभा पटल पर रखे गए पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE	
	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	Committee on Papers laid on the Table	73—76
	(एक) कार्यवाही सारांश	(*i*) Minutes	
	(दो) दूसरा प्रतिवेदन	(*ii*) Second Report	
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	77
	64वां प्रतिवेदन	Sixty-fourth Report	
	याचिका समिति	Committee on Petitions	77
	30वां प्रतिवेदन	Thirtieth Report	
	चर्म, खाल और चमड़े आदि पर निर्यात शुल्क में वृद्धि के बारे में सांविधिक संकल्प—**स्वीकृत**	Statutory Resolution re-Increase in Export Duty on Hides, Skins and Leather—*Adopted*	77—78

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	वित्त विधेयक--1976	Finance Bill—1976	78—98
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	78
	श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	78—81
	श्री रानेन सेन	Shri Ranen Sen	81—82
	श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	82—84
	श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	84
	श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	85—86
	श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	86—87
	श्री पी० गंगादेव	Shri P. Gangadeb	87
	श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	87
	श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	87—88
	श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	88—89
	सरदार स्वर्ण सिंह सौखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	89
	श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	89—90
	श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	90
	श्री चन्दू लाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	91
	श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली	Shri Paripurnanand Painuli	91—92
	श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	92
	श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	92—93
	श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup	93—94
	श्रीमती रोजा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande	94—95
	श्री चपलेन्दू भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	95—96
	श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	96—97
	श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	97
	श्री नागेश्वर द्विवेदी	Shri Nageshwar Dwivedi	97—98
	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdev Prasad Verma	98

लोक सभा
LOK SABHA

बुधबार, 12 मई, 1976/22 वैशाख, 1898 (शक)
Wednesday, May 12, 1976/Vaisakha 22, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई है
The Lok Sabha met at Eleven af the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तमिलनाडु में धर्मपुरी के निकट विस्फोटकों के कारण आग लग जाना

*771. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अप्रैल, 1976 को तमिलनाडु में धर्मपुरी से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक मकान में आग लग गई थी जिस के फलस्वरूप 8 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अन्य 15 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए;

(ख) क्या आग मकान में अवैध रूप से जमा किए गए विस्फोटकों के कारण लगी थी; और

(ग) इसमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति कौन हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तमिलनाडु में जिला धर्मपुरी के गांव कादाथुर में एक साइकिल दुकान व मकान में 16-4-1976 को विस्फोटक दुर्घटना के कारण आग लगी थी जिसके परिणामस्वरूप 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और 14 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) मकान मालिक के० आर० रामानाथन उर्फ रामुदू को विस्फोटकों के अनधिकृत भंडार तथा लापरवाह आचरण के आरोप में जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई तथा चोटें आईं, गिरफ्तार किया गया है। अपराधी भी घायलों में से एक है। 4 व्यक्ति, 2 महिलाएं, 2 लड़कियां तथा 1 लड़के की मृत्यु हुई और उनमें अपराधी की पत्नी तथा लड़की भी शामिल है। घायलों में 8 व्यक्ति, 1 महिला, 2 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि यह विस्फोट किस प्रकार का था ? क्या यह डायनामाइट का या किसी अन्य प्रकार का था और ये विस्फोटक पदार्थ मकान के मालिक श्री के० आर० रामनाथन उर्फ रामुदू के पास कैसे पहुंचे ? क्या उनका सम्बन्ध द्रमुक अथवा किसी प्रतिबन्धित संगठन से है ?

कुछ माननीय सदस्य : द्रमुक पर प्रतिबन्ध नहीं लगा है।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : कोई अन्य प्रतिबन्धित संगठन।

श्री एफ० एच० मोहसिन : उपलब्ध जानकारी के अनुसार रामुदू इन विस्फोटकों को अनधिकृत रूप जमा किए हुए था। ये विस्फोटक कृषि कार्यों---शायद कुएं या तालाब आदि खोदने के लिए थे। इनमें से कुछ का उपयोग इन्हीं कार्यों के लिए किया भी गया था। तमिलनाडु सरकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी राजनीतिक प्रयोजन के होने का पता नहीं चलता। यह जानकारी 10.30 म० पू० प्राप्त हुई थी।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मैं जानना चाहता हूं कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और आसूचना विभाग इसका पह पता क्यों नहीं लगा सका ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : इसी कारण से तो एस० एच० ओ० को निलम्बित किया गया है ? पहले भी यह व्यक्ति अनधिकृत रूप से विस्फोटक पदार्थ जमा करता रहा है। उसे दंड भी मिल चुका है। एस० एच० ओ० द्वारा सतर्कता न वरते जाने के कारण उसे निलम्बित किया गया है और जांच चल रही है।

स्थलीय तथा उपग्रह टेलीविजन का यथोचित तालमेल

*772. **श्री के० लकप्पा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधानसंगठन के चेयरमैन ने देश के लिए स्थलीय तथा उपग्रह टेलीविजन नेट वर्क के यथोचित तालमेल की वकालत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : यह संकल्पना कि राष्ट्रीय दूरदर्शन नेट वर्क के लिए उपग्रह और स्थलीय पद्धति का सम्मिश्रण सर्वाधिक लागत प्रभावी पद्धति होगी भूतकाल में अनेक मंचों पर व्यक्त की गई है। इस प्रश्न का अब फिर से उस विशेष टास्क फोर्स द्वारा अध्ययन किया जा रहा है जो देश की संचार आवश्यकताओं की विस्तार से जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित की गई है।

श्री के० लकप्पा : भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन प्रो० धवन देश के प्रतिभाशाली एवं विख्यात वैज्ञानिक हैं। विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में इन्होंने अमूल्य और अनुकरणीय सेवा की है। अन्तरिक्ष अनुसंधान के निष्कर्ष और उसके द्वारा की गई चर्चा के परिणाम से देश के लिए स्थलीय तथा उपग्रह टेलीविजन नेट वर्क का यथोचित ताल-मेल होना चाहिए। मेरे मित्र माननीय मंत्री जी ने जो निष्कर्ष निकाले हैं उनके बारे में नहीं

बताया हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वे निष्कर्ष क्या हैं और कार्यान्वित किए जाने वाले विचार कौन से हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के चेयरमैन ने देश के लिए स्थलीय एवं उपग्रह टेलीविजन नेट वर्क के यथोचित तालमेल की वकालत की है। मैंने जवाब दिया है कि हां। इस कार्य के लिए योजना आयोग की मुख्य परामर्शदाता श्री राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक दल बनाया गया है। प्रो० धवन भी उस दल के सदस्य हैं। वे हमें अपने निष्कर्ष कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करेंगे ?

श्री के० लकप्पा : क्या वे कृपया बताएंगे कि स्थलीय और उपग्रह टेलीविजन के यथोचित तालमेल से कौन-कौन से लाभ होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से मिल कर जानकारी हासिल कर लें। सभा को विस्तार में जाने की जरूरत नहीं।

श्री के० लकप्पा : मंत्री जी को तकनीकी कारणों की जानकारी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से मिल कर जानकारी ले लें।

श्री के० लकप्पा : कुछ मोटी-मोटी बातें बता दें।

श्री रणबहादुर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि टेलीविजन पारेषण के लिए क्या माइक्रोवेव का फीडर स्टेशन के रूप में प्रयोग किया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कई परिस्थितियों में ऐसा किया भी जा सकता है। लेकिन ऐसा उन विशेष परिस्थितियों में ही होता है जब संचार पद्धति के अतिरिक्त विशेष चैनल भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

श्री डी० डी० देसाई : अब जब कि अमरीकी उपग्रह को हटाया गया है और गुजरात टेलीविजन पद्धति का प्रयोग नहीं हो रहा है तो मंत्री जी स्थलीय तथा उपग्रह टेलीविजन का तालमेल किस प्रकार करने का विचार कर रहे हैं ताकि स्थलीय पारेषण पद्धति के मेल से उन संयंत्रों का उपयोग किया जा सके जो हमने काफी व्यय करके लगाए हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपग्रह द्वारा टेलीविजन के पारेषण का गुजरात राज्य को बहुत लाभ हो रहा है। यद्यपि गुजरात को उपग्रह द्वारा टेलीविजन दिखाने की मूल योजना में शामिल नहीं किया गया था लेकिन स्थलीय पारेषण यंत्र के प्रयोग से माननीय सदस्य के जिलों में यह कार्य हो रहा है। अब इस वर्ष 31 जुलाई के बाद एन० ए० एस० ए० उपग्रह 86 हमें उपलब्ध नहीं होगा। अतः जब तक स्थलीय पारेषण यंत्र काम नहीं करने लगते तब तक देश के उन राज्यों के गांवों में कई मास तक कार्यक्रम नहीं दिखाए जा सकेंगे। परन्तु जो गांव एस० आई० टी० ई० के अन्तर्गत आते हैं, वहां कार्यक्रमों में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। अतः अब शिकायत श्री देसाई को ही हो सकती है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : 4000 गांवों में एस० आई० टी० ई० के अन्तर्गत कार्यक्रम दिखाने के लिए सरकार को कुल कितनी राशि देनी पड़ी और मध्यप्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों समेत सभी 4000 गांवों में स्थलीय प्रबन्ध हेतु कब तक लाया जा सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में बहुत अधिक विस्तार से पूछा गया है। अगला प्रश्न।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह एस० आई० टी० ई० कार्यक्रम से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : इसका इससे सीधा सम्बन्ध नहीं। यह यथोचित ताल-मेल है।

उड़ीसा में जन जाति विकास कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए विश्व बैंक की टीम का दौरा

*773. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जन-जाति विकास कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए विश्व बैंक की किसी टीम ने हाल ही में उड़ीसा का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) विश्व बैंक मिशन ने फरवरी, 1976 में उड़ीसा का दौरा किया था और जन जाति विकास कार्यक्रम का समर्थन करने की सम्भावना पर प्राथमिक रूप से विचार-विमर्श किया था। आशा की जाती है कि बैंक इस मामले पर शीघ्र अपने विचार व्यक्त करेगा।

श्री के० प्रधानी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उड़ीसा में जो धन खर्च किया जायेगा, वह सहायता के रूप में प्राप्त होगा अथवा ऋण के रूप में। दूसरे यदि वह ऋण के रूप में प्राप्त होगा, तो उस की शर्तें क्या-क्या हैं ?

श्री ओम मेहता : बातचीत अभी आरम्भिक अवस्था में है तथा अभी तक हम ने समूचे मामले पर पूर्णतया विचार नहीं किया है। जब तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता यह नहीं कहा जा सकता कि राशि सहायता के रूप में प्राप्त होगी अथवा ऋण के रूप में।

श्री के० प्रधानी : एक उप योजना है, जिसे केन्द्रीय तथा अन्य सरकारों द्वारा आरम्भ किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि यह राशि विश्व बैंक से प्राप्त होगी, तो यह उस उप-योजना की राशि से अतिरिक्त होगी अथवा उसके स्थान पर होगी ?

श्री ओम मेहता : जैसा कि मैं कह चुका हूं बातचीत अभी तक आरम्भिक चरण में है, तथा अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : आदिमजातीय विकास कार्यक्रम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है तथा इससे प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में बड़ी सहायता मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस आदिमजातीय विकास कार्यक्रम को उड़ीसा तक सीमित रखने की बजाए मध्य प्रदेश जैसे पड़ौसी राज्यों में भी आरम्भ किया जाएगा और क्या इन क्षेत्रों सम्बन्धी योजनाओं के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया जाएगा ताकि सब राज्यों में समूची आदिमजातीय पट्टी का विकास हो सके ?

श्री ओम मेहता : विश्व बैंक दल उन योजनाओं का पता लगाने के लिए वहां आया था, जिन से देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और इस संदर्भ में उन्होंने उड़ीसा की यात्रा की थी तथा उन्होंने उड़ीसा के प्रति रुचि दिखाई थी और कुछ चीजें करने की पेशकश की थी। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जहां तक आदिम जातीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, चाहे वे आन्ध्र प्रदेश में हों अथवा उड़ीसा में अथवा देश के किसी अन्य भाग में, हमारे पास उन के लिए उप-योजनाएं हैं तथा राज्यों को 1000 करोड़ की राशि दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : उन का सुझाव यह है कि आप को विश्व बैंक से अनुरोध करना चाहिए।

श्री ओम मेहता : हमारे पास धन है और हमने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धन की व्यवस्था की है तथा इस वर्ष में आदिम जातीय क्षेत्रों के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यदि हमारे पास धन न होता तो हम उन के पास जाते। जब हमारे पास धन है, तो हमें उनसे अनुरोध करने की क्या जरूरत है।

श्री सुरेन्द्र मेहन्ती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विश्व बैंक की यह आदिम जातीय विकास योजना पंचवर्षीय योजना का भाग है अथवा एक नई और स्वतन्त्र योजना है और यदि यह स्वतन्त्र योजना है तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

श्री ओम मेहता : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

श्री सुरेन्द्र मेहन्ती : मैं योजना की विस्तृत बातें नहीं जानना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या यह पंचवर्षीय योजना का अंग है अथवा नहीं।

श्री ओम मेहता : वह पंचवर्षीय योजना का अंग नहीं है।

औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूंजी-निवेश

*774. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार इस वित्त वर्ष में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश आमंत्रित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कौन से देश पूंजी निवेश कर रहे हैं और सरकारी अथवा गैर सरकारी किस क्षेत्र में पूंजी निवेश कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन विदेशी निवेशकर्ताओं की शर्तों को पूरा करने के लिए अथवा सहयोग अथवा लाइसेंस देने की नीति में ढील दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) विदेशी निवेश के बारे में सरकारी नीति बड़ी ही चयनात्मक बनी हुई है और इसका उद्देश्य तकनीकी क्षेत्र के अन्तराल कम करना तथा निर्यात बढ़ाना है। अतएव वहीं विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है जहां आयातित तकनीक बड़ी जटिल होती है और जिसका देश में विकास नहीं हुआ है। गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों में जहां समस्त उत्पादन अथवा उसके एक बड़े भाग का निर्यात किया जाना है उन्हीं मामलों में सहयोग करने पर विचार किया जाता है।

इस समय सरकार के पास विदेशी इक्विटी सहभागिता के 16 प्रस्ताव अनिर्णीत पड़े हुए हैं। इनमें से केवल एक प्रस्ताव सरकारी क्षेत्र के बारे में है। ये ग्रेट ब्रिटेन, यू० एस० ए०, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, हालैण्ड, बरमुडा, स्पेन आदि के हैं। इन प्रस्तावों पर विभिन्न स्थितियों में विचार हो रहा है तथा विद्यमान नीति और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार गुणावगुणों के आधार पर उन पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री एस० एम० बैनर्जी : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी नीति बड़ी ही चयनात्मक है और इस का उद्देश्य तकनीकी क्षेत्र के अन्तराल को कम करना तथा निर्यात बढ़ाना है। उन का कहना है कि वहीं विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है जहां आयातित तकनीक बड़ी जटिल होती है और जिसका देश में विकास नहीं हुआ है। यदि यह जटिल तकनीक का प्रश्न है अथवा उस तकनीक से सम्बन्धित है जो देश में उपलब्ध नहीं है, तो हिन्दुस्तान लीवर सनलाइट, लाइफबाय, सर्फ, विम, रैक्सोना, वनस्पति तथा अनिक की जैसी चीजें क्यों बनाता है, जिन्हें कोई भी बना सकता है? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान लीवर और कोका कोला को ऐसी चीजें बनाने की अनुमति क्यों दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या-क्या स्थिति समाप्त होने वाली है अथवा उन्हें ऐसी चीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और लाइसेंस दिये जा रहे हैं, जिन्हें कोई भी बना सकता है?

श्री टी० ए० पाई : प्रश्न विदेशी पूंजी निवेश आमंत्रित करने तथा कौन-कौन से देश पूंजी निवेश कर रहे हैं आदि बातों से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य ने हिन्दुस्तान लीवर के सनलाइट तथा अन्य उत्पादों का उल्लेख किया है, जो उन के अपने उप-उत्पाद हैं तथा जिन में विदेशी सहयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें एफ० ई० आर० ए० के अन्तर्गत वर्तमान फर्मों तथा उस की पूंजी के सम्बन्ध म क्या करना है, इस पर विचार किया था तथा रिजर्व बैंक को अपनी सिफारिशें दे दी ह

श्री एस० एम० बैनर्जी : क्या उन का ध्यान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों की ओर दिलाया गया है, जिस ने अपना प्रतिवेदन 1973 में पेश किया था। उन्होंने कहा था कि साम्य पूंजी नहीं होनी चाहिए आदि आदि। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन पर विचार किया है और यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं?

श्री टी० ए० पाई : समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है तथा जैसा कि मैंने कहा है सरकार ने देशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए उन सब उद्योगों को लाइसेंस

की आवश्यकता से मुक्त कर दिया है जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से अथवा विदेशों में स्थित भारतीय संस्थानों से तकनीक लेने को तैयार हैं।

जहां तक विदेशी तकनीक का अनुमोदन करने का प्रश्न है, हम बहुत ही चुनिंदा आधार पर ऐसा कर रहे हैं। हमने केवल उन्हीं मामलों में ऐसा किया है जिन में बड़ी मात्रा पर 85 से 100 प्रतिशत तक निर्यात का वचन दिया गया है। टमाटर पेस्ट का उदाहरण दिया गया है, इसकी अनुमति विदेशों में रहने वाली एक पार्टी को केवल इस लिए दी गई है, क्योंकि उसने एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए 80 प्रतिशत निर्यात का वचन दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मैं माननीय मंत्री के उत्तर को नहीं समझ पाया। यह प्रश्न विदेशी सहयोग से नहीं अपितु चालू वित्तीय वर्ष में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए विदेशी पूंजी के निवेश से सम्बन्धित है। मैं माननीय मंत्री से एक बार पुनः यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने आधुनिक तकनीक सम्बन्धी जो मानदण्ड विवरण में बताया है, वह मानदण्ड कैडबरी अथवा कोलगैट पालमोलिव अथवा कोका कोला अथवा अन्य विदेशी फर्मों द्वारा बनाये जा रहे साबुन, पाउडर और अन्य ऐसे ही उत्पादों पर कैसे लागू होता है? इन में क्या तकनीकी अन्तराल है? इन फर्मों को ऐसी चीजें बनाने की अनुमति क्यों दे रखी है?

श्री टी० ए० पाई: कुछ भ्रांति है, जिसे मैं दूर करना चाहता हूं। वर्तमान निवेश के प्रश्न को विकास की दर को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश आमंत्रित करने के प्रश्न से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश में विदेशी निवेश की बहुत अधिक पेशकश प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 1969 से मार्च, 1972 तक 1768 लाइसेंस जारी किये गये। जिन में से केवल 277 मामलों में सहयोग तथा वित्तीय सहयोग की मंजूरी दी गई है, जो कि कुल मामलों का 15.6 प्रतिशत है। औसत तौर पर विदेशी पूंजी निवेश लगभग 35 से 37 करोड़ प्रतिवर्ष के आस पास रहा है। इस में वह राशि भी शामिल है जो कि उन कम्पनियों के वर्तमान उद्योगों के लाभ से प्राप्त होती है। इसलिए नई पूंजी प्राप्त होने का कोई खास प्रश्न नहीं है। यदि हिन्दुस्तान लीवर कुछ साबुन तथा अन्य चीजें आदि बना रहा है, तो उस में उधार ली हुई तकनीक का प्रश्न कहां से पैदा होता है? यह कम्पनी भारत में कई वर्ष से काम कर रही है। इस में कोई सहयोग की व्यवस्था नहीं है। इसलिए विदेशी तकनीक का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

जहां तक कैडबरी तथा ऐसी अन्य कम्पनियों का सम्बन्ध है, ये समूचे मामले एफ० ई० आर० ए० के अन्तर्गत आते हैं। जहां तक उन के लिए निर्यात बाजार का प्रश्न है हमें हाल में ज्ञात हुआ है कि कैडबरी और कोलगैट--पालमोलिव द्वारा भारत में बनाये गये उत्पादों की हंगरी में काफी अच्छी मांग है और हम निर्यात को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री राम सहाय पांडेय: विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को अपनी बचत विदेशी मुद्रा में भारत लाने की सुविधा प्रदान करने के बाद, मैं जानना चाहता हूं कि यदि वे लोग भारत के औद्योगिक विकास को सक्रिय समर्थन देने के लिए और उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेते हैं, तो क्या उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी?

श्री टी० ए० पाई : निस्सन्देह विदेशी निवेश और गैर आवासी भारतीयों द्वारा पूंजी लाने में विभेद किया जायेगा, क्योंकि वह विभेद इसलिए जरूरी है कि भविष्य में हम इसे भारत में विदेशी निवेश न समझ लें। हमने केवल योजना की घोषणा ही नहीं की है, अपितु हम राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए हैं ताकि राज्य सरकारों के आवेदन पत्रों की शीघ्रता से निबटारा करें तथा उन्हें भूमि, बिजली और पानी तथा उद्योग स्थापित करने के लिए अन्य आवश्यकताएं शीघ्र प्रदान करें, ताकि वे बिना आर्थिक कठिनाई के उद्योग स्थापित कर सकें।

श्री राजा कुलकर्णी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी निवेशकर्ताओं ने 40-60 की साम्य पूंजी की शर्त स्वीकार कर ली है तथा क्या उनके निवेश से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कार्यकरण में तो कोई बाधा नहीं पड़ेगी ?

श्री टी० ए० पाई : यदि देश की नीतियां सुस्पष्ट हैं, तो यह निर्णय करना निवेशकों का काम है कि वे भारत में पूंजी लगायें अथवा नहीं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम विदेशी साझेदारी की बजाये तकनीक में सहयोग को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने न केवल 40-60 की साम्य पूंजी की शर्त को स्वीकार कर लिया है, बल्कि बहुत से मामलों में हमने 40 प्रतिशत से भी कम की मंजूरी दी है।

श्री वसन्त साठे : यह अच्छी नीति है कि जहां तकनीकी अन्तराल हो, उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का पता लगा लिया है जिन में वह तकनीकी अन्तराल को पूरा करना चाहती है ?

श्री टी० ए० पाई : परिशिष्ट 1 को अति जटिल क्षेत्र समझा गया है। परन्तु हमें ज्ञात हुआ है कि इन में से बहुत से उद्योगों में विदेशी निवेश अथवा विदेशी सहयोग की जरूरत नहीं है। हम इस सूची का निरन्तर पुनरीक्षण करते रहते हैं तथा हम इस बारे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि किन-किन उद्योगों में विदेशी निवेश की अनुमति दी जा सकती है। परन्तु हम विदेशी निवेश के लिए प्रचार नहीं करना चाहते।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में पुर्जों की कमी

*776. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में फालतू पुर्जों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो फालतू पुर्जों की अनुपलब्धता की समस्या को तेजी से हल करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पंत) : (क) और (ख) जी नहीं। विदेशी सहायता-प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत खनन मशीनों के लिए फालतू पुर्जे प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां आई हैं जिन्हें सहायता देने वाले देशों के साथ आपसी बातचीत के द्वारा हल किया जा रहा है।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ फालतू पुर्जे प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां आई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कुछ कठिनाइयां क्या हैं और खनन मशीनों के वे फालतू पुर्जे क्या-क्या हैं तथा इस बारे में कौन-कौन से देश किस सीमा तक सहायता दे रहे हैं?

श्री कृष्ण चन्द पंत : ये कुछ रूस की सहायता प्राप्त परियोजनायें हैं, जिनमें कुछ उपकरण जो कुछ समय पूर्व खरीदे गए थे, पुराने हो गये हैं तथा अब वहां नहीं बनते। इसलिए इन उपकरणों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि वे हमें ड्राइंग दे दें ताकि उन उपकरणों का निर्माण हम अपने देश में कर सकें।

इस प्रकार की कठिनाइयां कई प्रकार की मशीनों जैसे ड्रिल, डम्पर आदि तथा कुछ भूमिगत उपकरणों के फालतू पुर्जों के बारे में पैदा हो गई हैं।

इस प्रकार पोलैंड की मशीनों के बारे में कुछ फालतू पुर्जे प्राप्त करने में कठिनाइयां पेश आ रही हैं और फालतू पुर्जे प्राप्त करने के लिए हम भारत-पोलैंड संयुक्त आयोग का उपयोग कर रहे हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मशीनों की खरीद के लिए अगले तीन वर्षों में कितनी धन राशि की आवश्यकता होगी तथा पांचवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पृथक पृथक कितनी राशि की आवश्यकता होगी तथा क्या इन पुर्जों को देश में बनाने के लिए सहायक उद्योगों की स्थापना की जरूरत होगी?

श्री कृष्ण चन्द पंत : अग्रिम कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने पांचवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा 279 करोड़ रुपये के क्रयादेश देने का सिद्धान्त रूप में निर्णय किया है। फालतू पुर्जों के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : फालतू पुर्जों के निर्माण के लिए सहायक उद्योगों की स्थापना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं एक वाक्य में यह कह सकता हूं कि हम सहायक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए हमने एक समिति का गठन किया है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या रूबल की तुलना में रुपये के पुनर्मूल्यांकन के बारे में कोई व्यवस्था की गई है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस प्रश्न का उत्तर वित्त मंत्रालय दे सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या एम० ए० एम० सी०, जोकि खनन मशीनें बनाने वाला एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, इस स्थिति में है कि कोयला खानों के लिए आवश्यक फालतू पुर्जों का निर्माण कर सके?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : केवल एम० ए० एम० सी० ही फालतू पुर्जों का निर्माण नहीं करता। गत कुछ वर्षों में सरकारी तथा गैर-सरकारी दो क्षेत्रों में कई कम्पनियां बनाई गई हैं, जो कोयला उद्योग के लिए फालतू पुर्जों का निर्माण करती हैं। आप को ज्ञात है कि गत कुछ वर्षों में काफी मात्रा में उपकरण और फालतू पुर्जे खरीदे गए हैं तथा बेकार पड़ी मशीनों को पुनः काम में लाने के लिए उन का उपयोग किया गया है। यह देश की समूची निर्माण क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

Sale of Commodities at Pre-Budget Prices

*777. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the commodities, taxes on which were reduced in Central Budget, are still being sold in the market at old rates;

(b) whether any action has been taken against such businessmen or shopkeepers in Delhi; and

(c) if so, the facts thereof?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) दिल्ली में बजट के बाद उन वस्तुओं, जिनके उत्पादन शुल्कों में कमी की गई है, के फुटकर मूल्यों के बारे में किए गए यादृच्छिक (रेन्डम) सर्वेक्षण से पता चलता है कि ये वस्तुएं बजट से पहले की अपेक्षा कम मूल्यों पर बेची जा रही हैं।

(ख) चालू वित्त वर्ष के आरम्भ होने के बाद से दिल्ली प्रशासन की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जिसमें कानूनी तौर पर नियत किये गये या व्यापारियों द्वारा प्रदर्शित किये गये मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक तथा उपभोक्ता वस्तुओं की मूल्य सूचियों का सर्वेक्षण

*780. **मौलाना इसहाक सम्भली**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन } : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों पर वितरित होने वाली अत्यावश्यक तथा उपभोक्ता वस्तुओं की मूल्य सूचियों का कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) उचित मूल्य की दुकानें/राशन की दुकानें चावल, गेहूं तथा लेवी चीनी का वितरण करती हैं, जिनके विक्रय मूल्य कानूनी तौर पर सरकार द्वारा नियत किए जाते हैं। कुछ राज्यों में गेहूं से बनी वस्तुओं जैसे आटा, मैदा, सूजी का वितरण भी इन वितरण केन्द्रों के माध्यम से नियत मूल्यों पर किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : The first point of my question is whether Government are aware that commodities, taxes on which were reduced in the Central Budget, are still being sold in the market at old rates. I want to know the action taken in this regard. Part (b) of my question pertains to Delhi. I want to know about those rural areas where commodities are being sold at old rates. The budget has given relief to common man on several items like washing soap, blades, fans, etc. by reducing taxes thereon, but these things are still being sold at pre-budget prices in many towns.

So far as Delhi is concerned I would like to say that prices of coca cola was increased by the traders just after the announcement of the budget, but the prices of other items like blades, soap etc. on which tax relief was granted in the budget were not reduced just after the announcement of the Budget. I would like to know whether Government will conduct any survey to know in the rural areas to find out whether the prices of the items on which tax relief has been given have been reduced or not and whether he will ensure strict action against those who are still selling the commodities at old rates?

श्री टी० ए० पाई : यह प्रश्न दिल्ली से सम्बधित है। अप्रैल, 1976 से 9 मई, 1976 तक दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्यों से सम्बन्धित वस्तुओं के मामले में 923 मामलों में जांच की गई थी तथा किसी मामले में यह नहीं पाया गया कि वस्तुओं को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा हो। चूंकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आवश्यक मूल्यों के फुटकर भाव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक अन्तर है, इसलिए दिल्ली प्रशासन का विचार फुटकर विक्रेताओं द्वारा लिये जाने वाले लाभ की सीमा निश्चित करने के लिए एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है।

जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है हम राज्यों को सूचित करेंगे कि वे इस बात की जांच करें और यह निश्चित करें कि उत्पादन शुल्क के अनुसार आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य चीजों के मूल्य घटाए जायें।

श्री शंकर दयाल सिंह : मंत्री महोदय, बार-बार दिल्ली का ही जबाव दे रहे हैं। यह दुख की बात है। मेरा सवाल यह था। मेरा प्रश्न यह था कि केन्द्रीय बजट में जिन वस्तुओं पर कर घटाए गए हैं उनको बाजार में अब भी पुरानी दरों पर बेचा जा रहा है। मेरा प्रश्न विशेष रूप से दिल्ली के बाजार से सम्बन्धित नहीं है। मैं ग्रामीण बाजार के बारे में भी पूछ रहा हूं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण बाजारों में अभी भी वस्तुओं को पुरानी दरों पर बेचा जा रहा है। सरकार का विचार उन व्यक्तियों अथवा दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है, जो अभी भी वस्तुओं को पुरानी दरों पर बेच रहे हैं?

श्री टी० ए० पाई : प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध दिल्ली में की गई कार्यवाही के के बारे में है। अतः हमने अपना उत्तर भी उसी के अनुरूप दिया है। यदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं तो उनसे मैं इन्कार नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का भाग (क) बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न बिल्कुल सही ढंग से पूछा गया है।

श्री टी० ए० पाई : हमने समग्र देश में सर्वेक्षण नहीं कराया है, केवल दिल्ली के बारे में ही हम कह सकते हैं कि परिणाम यह है क्योंकि वहां ही सर्वेक्षण कराया गया है। हो सकता है कुछ खुदरा व्यापारियों ने, जिनके पास पहले का स्टाक जमा है वस्तुएं बजट से पहले के मूल्य पर बेची हों, लेकिन हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि बजट के बाद निर्मित होने वाली सभी वस्तुओं को घटी दर पर बेचा जाए। यदि फिर भी कुछ लोग पहले वाले अधिक दामों पर माल बेच रहे हैं तो माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वह ऐसे मामले मेरे ध्यान में लायें। फिलहाल मैंने राज्य सरकारों को भी इस संबंध में नियंत्रण रखने के तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या वस्तुओं के मूल्यों में जैसा कि हम चाहते हैं कुछ कमी हुई है, करने को कहा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने बड़े स्पष्ट रूप में पूछा है कि कुछ वस्तुएं जैसे कोका कोला इत्यादि जिन पर शुल्क बढ़ाया गया है उनके दाम में वृद्धि हुई है ठीक है, लेकिन अन्य वस्तुएं जैसे साबुन इत्यादि जिन पर शुल्क घटाया गया है, उनके दामों में कमी नहीं हुई है ऐसा क्यों है ?

श्री टी० ए० पाई : जहां तक साबुन का संबंध है मेरे पास ऐसे निर्माताओं की सूची है जिन्होंने कि साबुन के मूल्य में कमी कर दी है। मेरी सूची में उन बड़े निर्माताओं के नाम हैं जो 75 प्रतिशत साबुन का उत्पादन करते हैं बाकी 25 प्रतिशत उत्पादन लघु पैमाने के उद्योगों के पास हैं। इन लोगों को बड़े निर्माताओं की प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है जिन्होंने कि दाम घटा दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले को मेरे समक्ष लाते हैं तो मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा।

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : In my areas Chatra, Jhumri Taliya and elsewhere also goods are being sold at pre-budget rate. It is not a matter of Delhi alone.

श्री टी० ए० पाई : मैं राज्य सरकारों को इसकी जांच करने के लिए कहूंगा।

SHRI ISHAQUE SAMBHLI : Mr. Speaker, Sir, I would like to ask question about Delhi only. Here goods are being sold at pre-budget rate in some cases the price is rather more than the old rate. The prices are not reduced even at fair price shops. It is a matter of gratitude that as a result of the steps taken by the Government to check the prices of commodities the prices of agricultural commodities have goned own cansiderably but as far the prices of industrial goods are concerned they have rather gone up. e.g. The sugar is still being sold at old price at super Bazar and at the fair price shops likewise the. price of cotton has gone down but the prices of textile are the same, instead they have gone up. The price of the cloth being sold at fair price shops is also not less. Recently the price of mustard oil has also gone up. I would therefore like to know whether any survey has been conducted in this regard, if so, the result thereof and what action does the Government propose to take in future.

श्री टी० ए० पाई : उचित दर की दुकानों में चीनी के लेवी दाम नहीं बढ़े हैं यदि कोई उचित दर की दुकान वाला नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर चीनी बेच रहा है तो आप मुझे उसका ब्यौरा दें मैं मामले की जांच करूंगा । उचित दर की दुकानों वाले सूजी, मैदा इत्यादि भी बेचते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है सहकारी समितियां सभी आवश्यक पदार्थ खुदरा मूल्यों पर, बेचती हैं और यह मूल्य वह बाजार की प्रतिस्पर्धा को दृष्टि में रखते हुए वे स्वयं निर्धारित करती हैं । हमारे मंत्रालय ने निर्माताओं की एक बैठक बुलाकर उनसे इस विषय पर चर्चा की और उन्होंने बजट के बाद मूल्यों में कमी करने की बात को स्वीकार कर लिया ताकि शुल्क में हुई कमी का कुछ लाभ उपभोक्ताओं तक भी पहुंचे ।

श्री बी० वी० नायक : श्री संभली के प्रश्न के संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि आवश्यक पदार्थों में से एक मुख्य पदार्थ गेहूं है जिसका वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाता है। क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि देश के कई भागों में पिछले वर्ष वाली गेहूं अभी भी बिक रही है और वह गेहूं काफी खराब हो गई है और वह केवल जानवरों के खाने लायक ही रह गई है। वह आम आदमी के खाने लायक नहीं है। यदि उन्हें किसी अन्य भाग से इस संबंध में समाचार नहीं प्राप्त हुआ तो मैं अपने जिले उत्तर कनारा की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां कि यह घटिया किस्म की गेहूं अभी भी बिक रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न खाद्य मंत्री से पूछें।

श्री बी० वी० नायक : अध्यक्ष महोदय यह एक संगत प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न मूल्य के सम्बन्ध में है न कि गेहूं के खराब होने के बारे में।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब कुछ लोगों ने दिल्ली में पदयात्रा की तो उस विशिष्ट दिन मूल्यों में कमी हो गई और दुकानों पर भी सही मूल्य दर्शाए गए लेकिन उसके समाप्त होते ही पुरानी कीमत फिर से बरकरार हो गई ऐसा दिल्ली में ही नहीं अपितु कानपुर में भी हुआ। क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है यद्यपि सरसों के तेल और पोस्टमेन तेल के मूल्यों में कुछ कमी अवश्य हुई थी अब उनमें फिर वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है। यदि हां तो मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। मैं खुदरा मूल्यों के बारे में नहीं कह रहा। खुदरा व्यापारी तब तक कम दरों पर माल नहीं बेचते जब तक थोक मूल्यों में कमी नहीं होती। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री टी० ए० पाई : पोस्टमेन तेल और अन्य तेलों के मूल्य का सम्बन्ध मूंगफली के तेल के मूल्य से है । अभी तक मुख्य तेल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं और यदि मूल्यों में वृद्धि की गई है तो निश्चय ही हम इसकी समीक्षा करेंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मुझे समझ नहीं आता कि किस वर्ष के बजट को दृष्टि में रखकर यह कहा जा रहा है कि मूल्यों में कमी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या

मन्त्री महोदय ने दो मुख्य आर्थिक पत्रिकाओं 'इक्नामिक टाइम्ज' और 'फाइनेंशियल टाइम्ज' में दिए गए थोक मूल्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अध्ययन किया है। इन पत्रिकाओं में दिए गए सूचकांकों में अप्रैल के महीने में ही मूल्यों में वृद्धि दर्शाई गई है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वृद्धि अतिरिक्त धन सप्लाई के कारण है अथवा सट्टा प्रवृत्तियों और वितरण में व्याप्त कदाचार भी इसके लिए जिम्मेदार हैं जिनके बारे में बार बार समाचार प्रकाशित हो रहे अथवा ऐसा केवल मौसमी उतार चढ़ाव के कारण है।

श्री टी० ए० पाई : हम शायद इस बात को भूल रहे हैं कि मौसमी उतार चढ़ाव भी मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ मामलों में हम मूल्यों में कमी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह धीरे धीरे कम हो रहे हैं जीवन निर्वाह लागत सूचकांक में 51 प्रतिशत भाग खाद्यान्नों का है और खाद्यान्नों के मूल्य में तनिक वृद्धि से जीवन निर्वाह लागत सूचकांक बढ़ जाता है। गत सप्ताह इसमें केवल 2 प्रतिशत वृद्धि हुई और अब फिर वह नीचे आ रहा है।

अभी तक कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई लेकिन निश्चय ही हम इस बारे में विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए।

श्री पी० एम० मेहता : अध्यक्ष महोदय मैं कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही इस प्रश्न पर 15 मिनट लगा चुके हैं अतः मुझे खेद है मैं आपके प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दे सकता।

"प्रोटिनेक्स का निर्माण"

*778. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'प्रोटिनेक्स' एक औषध है;

(ख) क्या 'प्रोटिनेक्स' का निर्माण करने वाली कम्पनी इसके उत्पादन और बिक्री से भारी लाभ कमा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार 'प्रोटिनेक्स" पर और इसी प्रकार की अन्य मदों पर मूल्य-नियन्त्रण लागू करने का है ताकि उनकी उचित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

प्रोटिनैक्स प्रोटीन हाईड्रोलीनेट का एक पेटेंटीकृत नाम है जिसका एक औषधि के रूप में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की पहली अनुसूची की अनुसूची संख्या 22

भेषज और औषधि के अधीन लाइसेंसीकरण किया गया था। 1971 में इसका उत्पादन करने वाली कम्पनी ने महाराष्ट्र सरकार के भेषज नियन्त्रण प्रशासन से इसे खाद्य सामग्री के रूप में रजिस्टर करने के लिए आवेदन किया था क्योंकि वह इसके चिकित्सा परक महत्व के बारे में निश्चित नहीं थे। फरवरी 1976 में उन्होंने पुनः आवेदन किया और औषधि नियन्त्रण प्रशासन द्वारा प्रोटिनेक्स का एक औषधि के रूप में उत्पादन करने के लिए पंजीयन कर लिया गया।

2. एक औषधि सामग्री के रूप में प्रोटिनेक्स भेषज मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1970 से विनियमित होगा और लागू आदेश के संदर्भ में इसका मूल्य निश्चित करने के प्रश्न की रसायन और उर्वरक मन्त्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

श्री भालजीभाई परमार : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मैसर्स फिज़र के पास प्रोटिनेक्स के लिए एक विशिष्ट औद्योगिक लाइसेंस है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कम्पनी ने एक अनुसूचित उद्योग के अंतर्गत कब यह औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किया और सरकार की अनुमति के बिना वह इस उद्योग को किस प्रकार अन्य अनुसूचित उद्योगों में उसे परिवर्तित कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कम्पनी ऐसा अपनी मर्जी से कर सकती है यदि हां तो वह उपबन्ध क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं माननीय सदस्य की बात सुन नहीं पाया।

श्री भालजीभाई परमार : मैं यह जानना चाहता हूं कब मैसर्स फिजर को प्रोटिनेक्स के लिए औद्योगिक लाईसेंस प्राप्त हुआ और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है। क्या अन्य अनुसूचित उद्योग में परिवर्तित करके इस कम्पनी ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

श्री के० एस० चावड़ा : मन्त्री महोदय द्वारा इस प्रश्न के उत्तर में दिए गए विवरण में ही नियमों और अधिनियमों का उल्लंघन स्पष्ट दिखता है। विवरण में कहा गया है।

"एक औषधि सामग्री के रूप में प्रोटिनेक्स भेषज मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1970 से विनियमित होगा"

1970 में प्रोटिनेक्स को एक औषधि सामग्री के रूप में बाजार में लाया गया लेकिन जहां तक इसकी कीमत का सवाल है भेषज मूल्य नियन्त्रण आदेश के अंतर्गत इसके लिए कभी स्वीकृति नहीं ली गई। इसका अर्थ यह हुआ कि इसने कम्पनी आवश्यक पदार्थ अधिनियम, 1955 का उल्लंघन किया है। विवरण के अनुसार फिज़र ने औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 का भी उल्लंघन किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मैसर्स फिज़र के द्वारा उल्लंघन के मामलों की जांच करने हेतु एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति करेगी। उद्योग मन्त्रालय के सचिव श्री रामन एक योग्य व्यक्ति हैं।

श्री टी० ए० पाई : मैसर्स फिज़र को प्रोटिनेक्स बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्त है; उन्होंने 1960 में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इसे भेषज के रूप में घोषित किया। बाद में उन्होंने इसका खाद्य पदार्थ के रूप में पंजीकरण करा लिया। क्योंकि वह इस भेषज के

चिकित्सीय महत्व के बारे में निश्चित नहीं थे। 1976 में उन्होंने इसे फिर भेषज के रूप **में घोषित** किया। यदि वह दवाइयां बनाने के स्थान पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरु न करते हैं तो उन्हें औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के अंतर्गत इसके लिए औद्योगिक विकास मन्त्रालय से अनुमति लेनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस प्रकार उन्होंने अधिनियम का उल्लंघन किया है। दूसरे उन्हें भेषज मूल्य नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत प्रोटिनेक्स का मूल्य निर्धारित करवाना चाहिए था और ऐसा न करके भी उन्होंने अधिनियम का उल्लंघन किया है इसके अतिरिक्त उन्होंने लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन किया है। रसायन मन्त्रालय से इन उल्लंघनों के मामलों पर पूरी तरह से जांच करने के लिए कहा गया है।

डा० रानेन सेन : मैसर्स फिज़र द्वारा अधिनियम के नियमों और उपबंधों के उल्लंघन का मामला इस सभा में कम से कम चार पांच बार उठाया जा चुका है लेकिन सरकार हर बार यही उत्तर देती है कि मामले पर विचार हो रहा है। मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि कई मामलों में उन्होंने अधिनियम का उल्लंघन किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार को इन उल्लंघनों के बारे में पता चल गया था तब उसने इस कम्पनी के विरुद्ध क्या ठोस कार्यवाही की।

श्री टी० ए० पाई : हमें इन उल्लंघनों के बारे में तभी पता चला जब कुछ माननीय सदस्यों ने इस ओर हमारा ध्यान दिया। हमें पता चला है कि महाराष्ट्र भेषज प्रशासन का भी इसमें हाथ है क्योंकि उन्होंने एक अवस्था में इसे खाद्य पदार्थ घोषित किया और दुबारा फिर इसे भेषज के रूप में मान लिया। अब इस प्रश्न पर विचार करना है ऐसा क्यों किया गया और इसके क्या कारण थे और क्या कम्पनी कभी भी अपना उत्पादन बढ़ाने की हकदार है। कोई भी कानूनी कार्यवाही करने से पहले हमें इन बातों की जांच करनी है। यह मामला अब आवश्यक कार्यवाही हेतु रसायन और उर्वरक मन्त्रालय को सौंपा गया है।

डा० रानेन सेन : एक साल से यह मामला निलंबित पड़ा है।

श्री के० एस० चावड़ा : उन्होंने 1971 में इसे खाद्य पदार्थ के रूप में घोषित किया। आप भेषज मूल्य नियन्त्रण आदेश 1970 के अंतर्गत क्या कर रहे हैं।

SHRI BIBHUTI MISHRA : Mr. speaker, Sir if it was considered as a drug we would have got it from C.G.H.S. dispensaries. Doctors prescribe it and they say you buy it from the market it will help in overcoming the deficiency of protein. We people buy it from the market and take it with milk. We don't know what are its content. Whether it is a drug or a food article. If it is a drug what should be its price and if it is a food article in that case also what should be its price. Has the Government taken any decision in their regard. If it is considered as a drug why is not being given by Government hospitals so that patients are benefitted by it.

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : जैसा कि मेरे मन्त्रालय ने बताया है, मैंने मन्त्री महोदय से अनुमति ली थी और मैं इसके स्पष्टीकरण के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

जहां तक कम्पनी के मूल लाइसेंस का प्रश्न है, कम्पनी ने औषध निर्माण के लिए लाइसेंस लिया था। वर्ष 1960 से 1970 तक कम्पनी इसे औषधि के रूप में बेचती रही।

मूल्य निर्धारित कर दिया गया था; वर्ष 1963 के बाद मूल्य वृद्धि नहीं की गई बल्कि 1963 के नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत मूल्य नियत कर दिए गए थे। वर्ष 1970 के बाद से महाराष्ट्र सरकार ने इसे खाद्य वस्तु के रूप में बेचने की अनुमति दी।

श्री के० एस० चावड़ा : यह अनुमति वर्ष 1971 में दी गई थी।

श्री पी० सी० सेठी : यह अनुमति वर्ष 1971 में दी गई थी। महाराष्ट्र अधिनियम के अनुसार महाराष्ट्र सरकार को अनुमति देने का अधिकार है। लेकिन जहां तक कम्पनी का सम्बन्ध है, उसे केवल महाराष्ट्र सरकार की ही अनुमति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था; उन्हें औद्योगिक विकास मन्त्रालय से औषध उत्पादन के परिवर्तन के बारे में बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन कम्पनी ने ऐसा नहीं किया। इसलिए जैसा श्री पाई ने बताया, यह कम्पनी केवल हमारे लिए ही जवाबदेह नहीं है। जहां तक औद्योगिक (विकास विनियमन) अधिनियमन के उल्लंघन का सम्बन्ध है, इसे देखना औद्योगिक विकास मन्त्रालय का काम है और जहां तक औषध मूल्य नियन्त्रण का सम्बन्ध है, यह देखना मेरे मन्त्रालय का काम है।

श्री के० एस० चावड़ा : अत्यावश्यक वस्तु, अधिनियम का भी उल्लंघन हुआ है। मन्त्री महोदय दोनों के लिए जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

बाढ़-विनाश से उड़ीसा राज्य को बचाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना

***778-क. श्री अर्जुन सेठी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र को सुझाव दिया है कि वह भीमकुंड के पूरा होने पर वहां बनने वाली बिजली में अपने भाग का 50 प्रतिशत, परियोजना के प्रथम चरण की कार्यान्विति के लिए, राज्य को बाढ़ के विनाश से बचाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र को योजना के रूप में छोड़ दे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) भीमकुंड एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है जिसमें सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण और विद्युत् उत्पादन के लिए व्यवस्था है।

इस समय इस परियोजना को केन्द्रीय सैक्टर में कार्यान्वियन के लिए हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री अर्जुन सेठी : उड़ीसा की वैतरणी नदी अब दु:ख की नदी मानी जाती है। चूंकि राज्य सरकार के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, इसलिए उसने भारत सरकार को इस परियोजना के क्रियान्वयन का सुझाव दिया है और राज्य सरकार इस बांध से उत्पन्न होने वाली बिजली का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र को देने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि यदि भारत सरकार इस मामले में बातचीत करना चाहती है तो उसे उड़ीसा सरकार को इसकी सूचना देनी चाहिए क्या भारत सरकार इस परियोजना को अन्तिम रूप देने या इसकी

रूपात्मकता के बारे में उड़ीसा सरकार के साथ बात करने को तैयार है ताकि बाढ़ से होने वाली क्षति को कम से कम किया जाए?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : भीमकुंड परियोजना के प्रथम चरण का परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेजा गया था और आयोग ने सितम्बर, 1975 में राज्य सरकार को अपनी टिप्पणियां भेजी थीं और राज्य सरकार से उत्तर आना शेष है। इस स्थिति में तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि योजना और इसके क्रियान्वयन को अन्तिम रूप देने से पूर्व योजना के तकनीकी आर्थिक लाभ को भी सुनिश्चित करना होगा। जहां तक उड़ीसा सरकार के साथ बातचीत का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य की सिफारिश के बिना भी हम हमेशा राज्य सरकार के साथ बातचीत करते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : मैंने मूल प्रश्न कृषि मन्त्रालय को भेजा था क्योंकि यह बाढ़ रोकने के उपाय के बारे में है। परियोजना के कुछ भाग का सम्बन्ध इस मन्त्रालय के साथ है। सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकार को चर्चा के लिए आमंत्रित करे और इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए योजना बनाए क्योंकि यह एक गम्भीर मामला है और हर वर्ष बाढ़ों से चिन्ताजनक क्षति हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप उड़ीसा सरकार को कहिए कि वह केन्द्रीय सरकार से बात करे।

श्री अर्जुन सेठी : उड़ीसा सरकार कृषि और सिंचाई मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालय को लिख चुकी है। अतः केन्द्रीय सरकार को उन्हें सूचना भेजनी चाहिए।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : यदि मेरे दोहराने की आवश्यकता है तो मैं यह कहूंगा कि मैं राज्य सरकार से किसी भी समय बात करने के लिए तैयार हूं।

"स्विस एड एब्रोड" की निधि का उपयोग करने की स्वीकृति

*782. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शैक्षिक प्रयोजनों के लिए "स्विस एड एब्रोड" को एक बड़ी धन राशि का उपयोग करने की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कितनी है तथा उसका भुगतान कब किया गया था और क्या उसका भुगतान राजनीतिक व्यक्तियों को किया गया था;

(ग) क्या इस राशि का उपयोग वास्तव में केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उस राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता स्विस एड एब्रोड से सामान्य बैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त हुई है।

सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार 1968 से निम्नलिखित धनराशि प्राप्त हुई हैं :—

प्राप्तकर्ता का नाम	धनराशि रुपये	वर्ष	प्रयोजन
1. श्री लालभाई डी० नायक, निवासी नबसारी, वलसाड़, गुजरात	250000	1968	गांव अम्मेटी, तालुक धर्मपुर, जिला वालसाड़ में एक आश्रम भवन के निर्माण के लिए।
2. श्री बाबूभाई जे० पटेल, गांव अगाशी जिला बुल्सर में भारतीय उत्तर बुनियादी ट्रस्ट का अध्यक्ष	380000	1972-73	भारतीय उत्तर विद्यालय और उसके छात्रावास के निर्माण के लिए।
3. अम्मेटी ग्राम सेवा केन्द्र, गुजरात	284000	1969-70 तथा 1972-73	बुनियादी विकास (ग्रामीण स्कूल) के विकास के लिए।

(ग) तथा (घ) : शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए दी गई आर्थिक सहायता के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

SHRI SHASHI BHUSHAN ; Mr. speaker, Sir I would like to know the formation of Swiss Aid Abroad in Switzerland and is it also a fact that out of its 9 Directors five are American and four are from Switzerland and is it also a fact that one permanent representative of this agency is staying in India. How are they keeping one permanent representative for such a small amount. Is it also a fact that the time of total revolution the General Secretary of Swiss Aid abroad stayed in Ahmedabad. He would not have come to India for such a small amount of five ten lakh rupees I want to know what is the mystery about it?

श्री एफ० एच० मोहसिन : निदेशकों के सम्बन्ध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। एक स्विस प्रतिनिधि अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश में रह रहा है और उसका नाम पियरे ऑपलीगर है। वह विभिन्न संस्थाओं को 1960 से सहायता दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार का स्विट्जरलैंड की सरकार से एक समझौता हुआ था। यह वित्तीय सहायता 1960 से प्राप्त हो रही है जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि पहले देश में धर्मार्थ संस्थानों को विदेशों द्वारा दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में विनियम नहीं था। हाल ही में हमने विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम पारित किया है इससे पहले देशों में विदेशों से भेजे जाने वाले धन को नियमित करने के लिए कोई कानून नहीं था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

भावनगर के भूतपूर्व महाराजा द्वारा भूमि की बिक्री

*775. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि भावनगर के भूतपूर्व महाराजा ने कृषि और नगरीय दोनों प्रकार की लगभग 40 हजार एकड़ भूमि बेच दी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे सौदों के बारे में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेवेली में तेल से चलने वाले जेनरेटरों से पैदा होने वाली बिजली की लागत

*779. **डा० के० एल० राव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली में तेल से चलने वाले जेनरेटर यूनिटों तथा लिग्नाइट से चलने वाले जेनरेटर सेटों से पैदा होने वाली बिजली की कितनी लागत आती है; और

(ख) तेल का उपयोग ईंधन के रूप में करने के क्या कारण हैं जबकि तेल के मूल्य बहुत अधिक हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) नेवेली बिजली घर की लिग्नाइट चालित इकाइयों व तेल चालित इकाइयों की 1975-76 में बिजली उत्पादन की औसत लागत इस प्रकार थी :—

लिग्नाइट आधारित बिजली	12.107 प०/कि० वा० घं०
तेल आधारित बिजली	32.682 प०/कि० वा० घं०

(ख) तमिलनाडु में बिजली की भारी कमी को दूर करने हेतु नेवेली बिजली घर की 50-50 मेगावाट की दो इकाइयां तेल से चलाई जा रही हैं क्योंकि अपेक्षित मात्रा में लिग्नाइट न मिलने से लिग्नाइट चालित इकाइयों का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। फिर भी, 1979-80 तक जब बिजली घर को पूरी मात्रा में लिग्नाइट मिलने लगेगा तो इन इकाइयों को फिर से लिग्नाइट चालित बनाने का प्रस्ताव है।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची के फाउण्ड्री संयंत्र द्वारा क्रेन्कशैफ्ट का निर्माण

*781. **श्री राजदेव सिंह :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम, रांची के फाउन्डरी सन्यन्त्र द्वारा भारत के प्रथम क्रेन्कशैफ्ट का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या पहले उक्त उपकरण संयुक्त राज्य अमरीका से आयात किया जाता था; और

(ग) क्या भारी इंजीनियरी निगम, रांची एक या दो साल में अपेक्षित संख्या में क्रेन्कशैफ्ट का निर्माण करने लगेगा?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने 1975 में पहली बार डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी द्वारा अपेक्षित उच्च अश्व शक्ति के डीजल इंजनों के लिए क्रैंकशाफ्टों का उत्पादन किया। उच्च अश्व शक्ति के डीजल इंजनों, जैसे रेल इंजनों के लिए डीजल इंजन के लिए क्रैंकशाफ्टों को छोड़कर छोटे क्रैंकशाफ्टों का निर्माण देश में पहले से ही हो रहा था।

(ख) जी, हां।

(ग) क्रैंकशाफ्टों के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है और हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को आशा है कि वह 1978-79 तक रेलवे की प्रतिवर्ष 150 वी० जी० क्रैंकशाफ्टों की अनुमानित आवश्यकता पूरी कर लेगा।

उत्तर बंगाल और पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित धनराशि

*783. **श्री रानेन सेन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू योजना अवधि के लिए उत्तर बंगाल और पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु, कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार की इस प्रयोजनार्थ मांग क्या थी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख) योजना आयोग समस्त राज्य योजना के विकास के विभिन्न मदों के लिए परिव्ययों का अनुमोदन करता है। इसके बाद प्रत्येक जिले के लिए आवंटनों का निश्चय सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। परन्तु जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है; "विशेष और पिछड़े क्षेत्र" योजना-शीर्ष के अन्तर्गत, जिसमें उत्तरी बंगाल शामिल है, 150 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जबकि राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक योजना 1976-77 के लिए 363 लाख रुपए का प्रस्ताव किया था। इसमें उत्तरी बंगाल के लिए 33 लाख रु० का परिव्यय शामिल है। इसके बाद, राज्य सरकार ने अपने बजट में इस शीर्ष के अन्तर्गत किए गए आवंटन को बढ़ाकर 217 लाख कर दिया है। इसमें उत्तर बंगाल के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

उपर्युक्त प्रावधान, उन धनराशियों के अलावा है जो इन क्षेत्रों को अन्य क्षेत्र कार्यक्रमों और पहाड़ी व जन-जाति उप-योजनाओं से उपलब्ध होंगी।

बिहार के लिए सिंचाई योजनाएं

*784. **श्री रामभगत पासवान :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में बिहार के लिए दो सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) जी, हां। योजना आयोग ने अप्रैल, 1976 में डकरानाला पम्प स्कीम (चरण-1) और सूरजगढ़ पम्प नहर स्कीम नामक दो सिंचाई स्कीमों को स्वीकृत कर दिया था।

(ख) इन दो परियोजनाओं की मुख्य बातें सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1. डकरानाला पम्प स्कीम (चरण-1)

इस परियोजना में मुंगर जिले में 17,343 हैक्टर भूमि की सिंचाई के लिए गंगा से 8.61 क्यूजेक पानी लेने का विचार है। पानी को पम्प से उठाने का काम दो चरण में किया जाएगा। पहले चरण में पम्प 8.61 क्यूजेक पानी 15.4 मीटर तक उठायेंगे और ये लगभग 4.8 किलोमीटर की दूरी पर मुंगेर शहर के दक्षिण में डकरानाला और गंगा के संगम पर स्थित है। दूसरे चरण में पम्प 6.8 क्यूजेक पानी 13.1 मीटर तक उठायगे और वे लगभग 11.3 किलोमीटर की दूरी पर जमालपुर रेलवे स्टेशन के दक्षिण-पश्चिम में स्थित होंगे। क्यूल (हरोहर) नदी पर एक बांध भी बनाने का प्रस्ताव है जिससे डकरानाला स्कीम के नियंत्रण क्षेत्र पर बाढ़ नियन्त्रण का काम किया जा सके। इस स्कीम पर 848.24 लाख रु० लागत आने का अनुमान है।

2. सूरजगढ़ पम्प स्कीम

इस स्कीम की अनुमानित लागत 112.32 लाख रुपये है और गंगा की एक सहायक नदी हरोहर से 3.4 क्यूजेक पानी पम्प से उठाकर मुंगेर जिले में खरीफ सिंचाई की परिकल्पना की गई है। कृषि योग्य नियन्त्रण क्षेत्र 4,125 हैक्टर है और इससे हर वर्ष 3302 हैक्टर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी।

नागालैण्ड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भूमिगत नागाओं द्वारा आत्मसमर्पण

*785. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान नागालैण्ड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में कितने भूमिगत नागाओं ने आत्मसमर्पण किया है;

(ख) उनमें से कितने नागा अभी भूमिगत हैं;

(ग) क्या आत्मसमर्पण करने वाले नागाओं को हिरासत में ले लिया गया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या पूर्वोपाय किए गए हैं कि वे अपनी गैर कानूनी गतिविधियों में पुनः संलग्न न हो जायें?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1974 व 1975 के दो कलैण्डर वर्षों के दौरान नागालैण्ड में 1236 भूमिगत

और मिजोरम में 274 भूमिगत बाहर आये। अरुणाचल प्रदेश में शांति रही है और वहां कोई भूमिगत नहीं है।

(ख) कोई प्रमाणित आंकडे नहीं हैं।

(ग) और (घ) सरकार की यह नीति रही है कि जो भूमिगत हिंसा का मार्ग छोड़कर स्वेच्छा से बाहर आते हैं उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाता है। उन्हें अपने अपने गांवों को जाने की अनुमति दी जाती है और उनको पुनर्वास के लिए आर्थिक तथा अन्य सहायता दी जाती है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों के पास ऐसे व्यक्तियों के लाभप्रद रोजगार और आर्थिक पुनर्वास के लिए योजनायें हैं। इनमें योग्य पाये जाने वालों के लिए सरकारी नौकरियों, भूमि पर पुनर्वास की व्यवस्था करना, कृषि भूमि / अनुदान, व्यावसायिक निर्देशन तथा नकद पुनर्वास अनुदान देना शामिल हैं। जो उच्चतर शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। उनका उचित पुनर्वास और गांव तथा समाज में सामान्य जीवन की ओर उनको लौटने को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वे हमेशा के लिए हिंसा का मार्ग त्याग दें। किन्तु जहां आवश्यक होता है वहां उनके बाहर आने के समय आवश्यक जमानत/वचन लिया जाता है।

Housing Scheme and House Rent Allowance for Jawans

*786. SHRI CHIRANJIB JHA : Will the MINISTER OF DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase house rent allowance of the Jawans and to expedite the implementation of housing schemes for them;

(b) if so, the time by which these will be implemented; and

(c) the estimated expenditure to be incurred thereon?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI BANSI LAL) : Efforts have continuously been made to allot more funds for the construction of houses for jawans. In the last 5 years, on an average 7,000 quarters have been completed every year. About 10,000 quarters are in various stages of execution/sanction and the deficiency is about 1·1 lakh dwelling units. While it is not possible to indicate the time by which the entire deficiency will be made up, efforts will continue to be made to speed up construction. The cost of housing schemes is likely to be of the order of Rs. 400 crores.

2. Personnel below officer rank, who are not provided with married accommodation, are permitted to hire private accommodation and for this purpose they are given Compensation in lieu of Quarters (CILQ). This compensation includes in addition to the hire of accommodation the cost of furniture, water and electricity. The rates of CILQ are under revision in the light of the recommendations of the Third Pay Commission and it is expected that the orders shall be notified in the near future. The financial effect of the proposed orders is being worked out.

कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम पर दामोदर घाटी निगम की बकाया राशि

*787. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन की इस शिकायत की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम पर दामोदर घाटी निगम का 6 करोड़ रुपया बकाया है;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम में बिजली की उत्पादन लागत 14.1 पैसे प्रति यूनिट है जबकि इसे कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को 12 पैसे प्रति यूनिट की दर से बेचा जाता है परन्तु कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम द्वारा जनता से 20 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सार्वजनिक उपभोक्ता सेवा में इस प्रकार की लाभ प्रवृत्ति को रोकने का है?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1975-76 के दौरान ऊर्जा की बिक्री की लागत 14.9 पैसे प्रति यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है। दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन से चार्ज की गई औसत दर भार अनुपात पर आश्रित थी और 15.5 से 16.5 पैसे प्रति यूनिट तक भिन्न-भिन्न रही है।

कलकत्ता सप्लाई इलैक्ट्रिक कारपोरेशन द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से चार्ज की जाने वाली दरें भिन्न भिन्न हैं। कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के 1970-71 से 1974-75 तक के परीक्षित लेखों के अनुसार इसका विशुद्ध लाभ, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुज्ञेय यथोचित लाभ से अधिक किसी भी लेखा वर्ष में नहीं हुआ है। यदि कलकत्ता इलक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का विशुद्ध लाभ किसी भी लेखा वर्ष में यथोचित लाभ की राशि से बढ़ता है तो राज्य सरकार के विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत यथाअपेक्षित आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

*788. **श्री एम० कत्तामुत्तु** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को वर्ष 1976-77 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 8 से 10 प्रतिशत तक वृद्धि होने की सम्भावना है, और

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बातें क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) जी हां। 1976-77 की अवधि में वस्तुपरक स्थितियों से औद्योगिक उत्पादन में 8-10 प्रतिशत तक की वृद्धि की आशा उचित जान पड़ती हैं। इस सीमा तक की उपलब्धि उद्योगों द्वारा कृषि सम्बन्धी अनुकूल स्थिति दुर्लभ प्रकार के निवेशों जैसे कोयला, इस्पात, बिजली आदि की सप्लाई की अनुकूल स्थिति तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की हाल की नीतियों और पहल के फलस्वरूप उत्पन्न की गई विकास सुविधाओं का लाभ उठाने पर निर्भर करेगा।

हल्के इंजीनियरिंग सामान के उत्पादन में गिरावट

*789. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्के इंजीनियरिंग सामान का उत्पादन करने वाले बहुत से एककों में पत्नी वर्ष 1975 में उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई, और

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट की तथ्यात्मक स्थिति और इस के कारण क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) यह देखा गया है कि कुल मिलाकर अधिकतर हल्के वैद्युत उद्योगों में वर्ष 1974 की तुलना में 1975 की उपादन दर में वृद्धि हुई है किन्तु कुछेक हल्के इंजीनियरी उद्योगों जैसे टाटो सहायक उद्योग, बाल और रौलर बियरिंग, हाई टैंसिल फास्टनर और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट आई है। प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट आने के कारण हर क्षेत्र में अलग अलग है। जैसे बाल और रौलर बियरिंग, हाई टैंसिल और आटो सहायक उद्योगों में गिरावट का कारण मांग की प्रवृत्ति में तबदीली उपभोक्ताओं की वलीयता आदि के कारण मोटरगाड़ियों और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में आई कमी रही है।

कपड़ा मिलों और उद्योगों द्वारा तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग

*790. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग करने सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में कपड़ा मिलों और उद्योगों से बातचीत शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे विदेशी मुद्रा की बचत करने में सहायता मिलेगी ; और

(ग) क्या तेल के स्थान पर कोयले का उपयोग करने से ईंधन की लागत में कमी आयेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

Students trained by Film Institute, Poona

*791. SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : Will the Minister OF INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the number of students coming out of Film Institute, Poona each year after completion of their training; and

(b) what efforts are made by Government to privide them jobs after the said training?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) :

(a) Year	Number of students passed out
1963	21
1964	42
1965	56
1966	53
1967	52
1968	38
1969	55
1970	50
1971	54
1972	54
1973	73
1974	70
1975	71
	689

(b) Institute privides free placement service for the benefit of students. Information about possible job openings is disseminated to the Diploma holders. Private Producers and Government departments also consult the institute for their requirement of trained personnel.

अस्पृश्यता निवारण

*792. **श्री बसन्त साठे :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश राज्य हरिजन सम्मेलन द्वारा अप्रैल, 1976 में आयोजित तीन दिन की गोष्ठी में की गई सिफ़ारिश के आधार पर अस्पृश्यता के प्रभावी निवारण के लिए किए गए बहुप्रयोजनीय प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अस्पृश्यता निवारण के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य हरिजन सम्मेलन द्वारा अप्रैल, 1976 में आयोजित विचार गोष्ठी में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए थे। "सामाजिक सुधार" सम्बन्धी विचार गोष्ठी के कार्यकारी दल-1 ने अनेक सिफारिशें की थीं, जिनमें अन्य के साथ अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम में संशोधन करना और अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर एक व्यवस्था बनाना शामिल है।

अस्पृश्यता (अपराध) 1955 अर्थात् अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा विविध उपबन्ध विधेयक, 1972 में संशोधन न करने का एक विधेयक पहले से ही संसद् के सामने है। इस विधेयक में अधिनियम के उपबन्धों का अच्छी तरह कार्यान्वियन सुनिश्चित करने और अस्पृश्यता के लिए अधिक कड़ी सजा देने की व्यवस्था है।

कार्यकारी दल की अन्य सिफारिशें राज्य सरकार की जांच की विभिन्न अवस्थाओं में है।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना

*793. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार चालू योजनावधि में पश्चिम बंगाल में नए उद्योग स्थापित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में गैर सरकारी क्षेत्र में कितने उद्योग स्थापित किए जायेंगे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल राज्य में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास और विकनयमन) अधिनियम, 1951 के अधीन कैलेन्डर वर्ष 1974 और 1975 में 102 आशय पत्र और 43 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ख) इनमें से 93 आशय पत्र और 33 औद्योगिक लाइसेंस पश्चिम बंगाल के गैर सरकारी क्षेत्र में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए जारी किए गए थे।

उद्योगों में क्षमता का उपयोग

*794. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े और लघु उद्योग क्षेत्रों में अप्रयुक्त औद्योगिक क्षमता का अध्ययन किया है,

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक क्षेत्र में कितनी क्षमता अप्रयुक्त है, और

(ग) क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) और (ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय की देखरेख में आने वाले कुछ प्रमुख उद्योगों की क्षमता उपयोग और विकास दर दिखलाने वाला एक विवरण (अनुबन्ध) संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—10843/76]। यह देखा जा सकता है कि अनेक उद्योगों की क्षमता के उपयोग में 1974 की तुलना में 1975 में सुधार हुआ है। किन्तु क्षमता उपयोग के अनुपात मात्र से पूरी स्थिति प्रकट नहीं होती तथा इसका अध्ययन उद्योगों की विद्यमान विकास दर के साथ किया जाना चाहिए। इस प्रकार उदाहरण के लिए उद्योग की विकास दर काफी अच्छी होने के बावजूद भी क्षमता उपयोग से गिरावट या मन्दी प्रगट हो सकती है। ऐसा अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत होने की स्थिति में होता है किन्तु इस नई क्षमता से उत्पादन

स्थापित करने में समय लगता है और यह अनुपातिक नहीं होता है इसी प्रकार अनेक इन्जीनियरी उद्योगों ने विभिन्न वस्तुओं के लिए समन्वित क्षमता स्थापित किया है और मांग तथा उन्हें प्राप्त क्रयादेशों के आधार पर अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए वे अपने उत्पाद भिन्न की योजना तैयार करते हैं। किन्तु पंजीकरण लाइसेंसों के लिए वे इनमें से प्रत्येक वस्तु की प्रायः अपनी इष्टतम क्षमता बताते हैं। इससे इन उद्योगों में विद्यमान निम्न उपयोग दर अनुपात का पता चलता है। लघु उद्योग विकास संगठन ने राज्य उद्योग निदेशालय के सहयोग से 1974 में 1972 को संदर्भ वर्ष मानकर लघु उद्योगों की देश व्यापी गणना किया था जिससे इस क्षेत्र की 53 प्रतिशत क्षमता के उपयोग का पता चला है।

(ग) सरकार इस बात के लिए बराबर प्रयत्नशील रही है कि विद्यमान औद्योगिक क्षमता का भली प्रकार उपयोग किया जाए। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए सरकार ने उत्पादन में विविधता लाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाना कच्चे माल और उपकरणों को आयात की प्रक्रिया का सरलीकरण करना, कच्चे माल और तैयार उत्पादन दोनों के परिवहन के लिए माल डिब्बों की कमी जैसी बाधाओं को मिटाने जैसे अनेक अभ्युपाय किए ह। 20 प्रतिशत या उससे कम क्षमता का उपयोग जिन लघु उद्योगों में हो रहा है उनकी और तकनीकी सहायता के संदर्भ में लघु उद्योग सेवा संगठन के देश भर में फैले विस्तार सेवा केन्द्रों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा। कच्चे माल जैसे लोहा और इस्पात अल्युमिनियम और अन्य अलौह धातु की देशीय उपलब्धता में सुधार होने के कारण और कच्चे माल की उपलब्धता के कारण सरकार को लघु उद्योगों के अनुकूल उदारीकृत आयात और ऋण नीतियों के परिणाम स्वरूप क्षमता उपयोग में वृद्धि होने की सम्भावना है।

विपणन निरोक्षण निदेशालय, कोचीन और मद्रास के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेना

3787. **श्री वयालार रवि : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विपणन निरीक्षण निदेशालय, कोचीन और मद्रास के कुछ वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :(क) सरकार को आरोप की जानकारी है कि इन संगठनों के कुछ अधिकारी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हैं।

(ख) ऐसी गतिविधियों के अन्तर्गस्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए पूरी निगरानी रखी जा रही है।

हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के मुख्यालय का दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरण

3788. **श्री छत्रपति अम्बेश :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन के अध्यक्ष और वित्तीय निदेशकों के मुख्यालयों को दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या निगम ने इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड की बजाए गैर सरकारी परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है; और हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० के सुचारु कार्य संचालन यथासंभव कार्यालय को दिल्ली के बाहर ले जाने की आवश्यकता तथा इसके द्वारा हाथ में ली गई विभिन्न परियोजनाओं के शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वियन जिसके लिए उपकरण उत्पादकों जो अधिकतर कलकत्ता में स्थित हैं से निकट संपर्क बनाए रखना आवश्यक है को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि खरीद की पर्याप्त मात्रा की व्यवस्था कलकत्ता से की जाती है निगम के निम्नलिखित विभागों को कलकत्ता स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया है:—

(1) परियोजना कार्यान्वियन एवं इंजीनियरिंग प्रभाग।

(2) क्रय प्रभाग।

(3) बिक्री प्रभाग।

(4) वित्त और लेखा प्रभाग।

(5) अध्यक्ष का कार्यालय।

(ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० ने केरल न्यूजप्रिंट परियोजना के सविवरण इंजीनियरी निर्माण कार्य के लिए इंजीनियर्स इंडिया लि० सहित छः ख्याति प्राप्त परामर्शदाता फर्मों से निविदा आमंत्रित की थी। इन फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदाओं की तुलना के बाद कोट किए गए मूल्यों और कागज तथा लुगदी उद्योग में अनुभव को ध्यान में रखकर निगम ने एक गैर सरकारी भारतीय परामर्शदाता नियुक्त करने का निश्चय किया है।

Adverse effect on Power Projects in M.P. due to inadequate allotment of Steel and Cement

3789. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether construction work of power projects in Madhya Pradesh State has been adversely affected due to inadequate allotment of steel and cement; and

(b) if so, steps being taken in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) & (b) The Madhya Pradesh Electricity Board have indicated that the supply of steel and cement was satisfactory to meet the requirements of power projects under construction in Madhya Pradesh during the year 1975-76 and the construction work on power projects has not been adversely affected on this account.

Production in Motor Companies

3790. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether production has been adversely affected in Premier Automobiles (Premier Padmini Car manufacturers), Hindustan Motors (Ambassador car manufacturers) and Mahindra and Mahindra (jeep manufacturers) factories due to fall in demand in the market; and

(b) if so, the steps taken by Government to overcome the production crisis in these factories ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Yes, Sir.

(b) Reduction in prices in case of cars will help stimulating the demand. Widefront diversification has been permitted to car industry. The jeep unit is expected to improve through fuel economy devices, dieselisation and exports.

भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वनियोजन योजनाएं

3791. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि भूतपूर्व सैनिकों को बागवानी और उद्योग क्षेत्रों में लघु परियोजनाएं स्थापित कर स्वनियोजन योजनाएं आरम्भ करने के लिए सहायता देने संबंधी योजना पर निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिससे उक्त एकको परियोजनाएं आरम्भ की जा सकें; और

(ग) उक्त योजना की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) वर्तमान प्रबंधों के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों द्वारा अपनी सेवा के दौरान प्राप्त की गई कुशलताओं में सुधार किया जा रहा है और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उन्हें और अधिक कुशल ट्रेडों में तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनका अधिकतम व्यवहार्य सीमा तक उपयोग किया जा रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उनके लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। उन्हें स्वयं अपना रोजगार चलाने के लिए कृषि और मधु मक्खि पालन, कुक्कुट पालन, पशु पालन आदि जैसे सहायक क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उन्हें ऋणों के रूप में पर्याप्त आर्थिक सहायता देकर इन क्षेत्रों में तथा मोटर ट्रांसपोर्ट में भी कार्य करने के लिए सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये ऋण भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए विशेष निधि से भूतपूर्व कार्मिकों की उन सहकारी समितियों अथवा व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो आर्थिक रूप से पक्की योजनाएं प्रस्तुत करते हैं जिनकी शर्तें इस प्रकार हैं :—

(क) यह ऋण व्यक्ति/सहकारी समिति की काम में लगाई गई अंशदायी पूंजी से अधिक नहीं होगा।

(ख) ट्रांसपोर्ट व्हीकलों के मामले में ऋण की राशि व्हीकलों के मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ग) ऋण, उद्यम/सहकारी समिति और प्रतिभूतियों की स्थायी सम्पत्तियों के बंधक के प्रति प्राप्त किया जाएगा।

(घ) ऋण सामान्यत: केवल एक बार ही दिया जाएगा। दूसरी बार ऋण देने पर केवल तब ही विचार किया जाएगा जबकि पहले मंजूर किए गए ऋण का उद्देश्य पूरा हो गया हो और मंजूर किए गए ऋण की रकम ब्याज सहित वापस कर दी गई हो।

(ङ) ठोस योजना के आधार पर विशेष मामलों में ऋण निवेशित धन के 50 प्रतिशत तक स्वीकृत किया जा सकता है।

(च) उद्योग की आय तथा स्रोतों के अनुसार ऋण वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा। किस्तों की संख्या 15 से अधिक नहीं होगी और ऋण की वसूली उनकी प्राप्ति के केवल एक वर्ष पश्चात् ही आरम्भ की जाएगी।

(छ) केन्द्रीय निधि से 2000 रुपए से अधिक के ऋणों के लिए ब्याज की दर 6 प्रतिशत होगी। 2000 रुपए तक के ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

(ज) ऋण की रकम लौटाने में चूक हो जाने अथवा शर्तें पूरी न करने की स्थिति में सोसाइटी/व्यक्ति से ऋण की बकाया राशि ब्याज सहित एक मुश्त के आधार पर वसूल की जा सकेगी।

2. औद्योगिक उद्यम स्थापित करने में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता करने के लिए एक नई योजना पर सरकार विचार कर रही है जिसके अधीन उन्हें "अतिरिक्त माल" (मार्जिन मनी) दिया जाएगा जिससे उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिल सकेगा। इस प्रयोजन के लिए, कुछ ऐसे नगरों में जहां भूतपूर्व सैनिक अधिक संख्या में रहते हैं, उपयुक्त संगठन स्थापित करने का एक प्रश्न कुछ राज्य सरकारों के परामर्श से इस समय विचाराधीन है।

सैनिकों के लिए बीमा योजना

3792. **चौधरी रामप्रकाश** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिकों के लिए सरकार ने कोई बीमा योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री बंशी लाल) : (क) जी हां।

(ख) सैनिकों के लिए 1-1-1976 से चालू की गई सामूहिक बीमा योजना (आर्मी ग्रुप इंशोरेंस स्कीम) के अन्तर्गत सेना के सभी अफसरों और कार्मिकों का मृत्यु के प्रति अनिवार्यत: बीमा किया गया है जिसमें युद्ध में मृत्यु हो जाना भी सम्मिलित है। इसके लिए अन्य रैंक, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और कमीशन प्राप्त अफसरों से क्रमश: 5 रुपए; 10 रुपए और 30 रुपए प्रतिमास अंशदान वसूल किया जाता है और इसी क्रम में उन्हें 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और 30,000 रुपए की सुरक्षा-राशि दी जाती है। इन अंशदानों में से एक आय तो सुरक्षा-राशि देने के लिए जीवन बीमा निगम को दिया जाता है और

शेष भाग, बचत अंश के रूप में एकत्र किया जाता है और अधिकतम ब्याज प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश किया जाता है। मृत्यु हो जाने पर उपर्युक्त बीमे की राशि और ब्याज के साथ बचत अंश पात्र वारिसों को देय है। सेवानिवृत्त हो जाने पर कार्मिकों को उनकी कुल जमा राशि (उनकी सेवा अवधि और योजना के अन्तर्गत वास्तविक अंशदान के आधार पर) और उस पर ब्याज मिलता है । इस प्रकार से यह योजना, सेवा के दौरान कार्मिक की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार की सहायता और सेवानिवृत्त हो जाने की हालत में कार्मिकों के पुनर्व्यवस्थापन में सहायता करती है ।

Madhya Pradesh Tribal Co-operatives Development Corporation

3793. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have since received the report of the Enquiry Commission appointed to enquire into the loss and bungling in the Madhya Pradesh Tribal Co-operative Development Corporation which has been given crores of rupees by Central Government, if so, the facts thereof;

(b) the amount given in the form of loans and grants to the Corporation by Central Government so far; and

(c) how is it functioning at present?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : (a) No formal Enquiry Commission has been appointed to enquire into the working of the Madhya Pradesh Tribal Cooperative Development Corporation. However, an executive enquiry was conducted by the State Government which has made some suggestions regarding long term improvements in the functioning of the Corporation.

(b) The total amount given by Centre as loan and subsidy to the Tribal Cooperative Development Federation is Rs. 214·85 lakhs.

(c) The Corporation has been reconstituted into M.P. Tribal Cooperative Development Federation. The State Government has reported that the Federation is doing fairly statisfactory business of late.

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का गरीबी से नीचे के स्तर पर रहने वाले लोगों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

3794. **श्री समर गुह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का विभिन्न राज्यों में गरीबी से नीचे के स्तर पर रहने वाले लोगों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ?

(ग) क्या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के परिणाम योजना आयोग के पहले के निष्कर्षों से मिलते हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) क्या योजना आयोग द्वारा अपनी नीतियां निर्धारित करते समय गरीबी से नीचे के स्तर पर रहने वाले लोगों संबंधी आंकड़ों को ध्यान में रखा जाएगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने इस प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की है।

(ख) से (घ) तक : जैसा कि भाग (क) में बताया गया है, ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) में जैसा बताया गया है, ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते। परन्तु उपभोक्ता व्यय और अन्य विषयों पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्टों का योजना आयोग निरन्तर विश्लेषण करता रहता है।

Agreement with Turkey for supply of Tractors

3795. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether agriculturists have to wait for long in getting tractors and have to purchase tractors in the market for a price higher than the prescribed one;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the number of tractors imported in the country after the proclamation of Emergency;

(d) whether an agreement has been concluded by India with Turkey in April, 1976 for supply of tractors in thousands; and

(e) if so, at what price and the price at which it is being sold in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A.C. GEORGE) : (a) & (b) All tractors produced in the country with the exception of two models are available without any waiting. Government is not aware of higher price than prescribed being charged from customers.

(c) There has not been any import of tractors as such after the proclamation of Emergency. 1100 tractors were imported under IDA Agricultural Projects financed by World Bank.

(d) & (e) : One tractor manufacturing unit has concluded an agreement with Turkey in February, 1976, for supply of 1000 tractors at an approximate price of Rs. 38,000/- per tractor as against the internal price of Rs. 48,550/- inclusive of excise duty.

Representation from Soft Drinks manufacturers regarding Foreign Exchange (Regulations) Act.

3796. SHRI SOMCHAND SOLANKI: Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether soft drinks manufacturing companies have submitted a representation to Government in regard to Foreign Exchange (Regulation) Act;

(b) if so, the names of those companies and

(c) the reaction of Government in regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B.P. MAURYA) : (a) and (b) In July, 1975, the Coca Cola Bottlers Association of India submitted a tentative proposal outlining the future set-up of the Coca Cola Export Corporation under the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973.

(c) Government informed the Association that under the Foreign Exchange Regulations Act, 1973, Government have to consider an application from the foreign firm concerned and as such Government would await a proposal from the Coca Cola Export Corporation. The application of the Coca Cola Export Corporation has been received by the Reserve Bank of India and is under consideration.

Creation of Gaya Division

3797. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to create a Gaya Division comprising Gaya, Rohtas, Aurangabad, Nawada and Monghyr districts for administrative convenience; and

(b) the time by which Government propose to accord Gaya a status of Division ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN) : (a) & (b) The proposal for creation of a separate administrative division by altering the existing administrative divisions within the State is primarily a matter within the purview of the State Government and the Central Government is hardly concerned.

पिछड़े जिलों में उद्योग

3798. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में पिछड़े जिलों में बड़े, मध्यम तथा लघु क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग स्थापित हुए हैं;

(ख) उनमें उन क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन, रोजगार तथा आर्थिक खुशहाली बढ़ाने की किस हद तक क्षमता है; और

(ग) पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) हाल ही में की गई एक संवीक्षा से पता चला है कि निम्नलिखित प्रकार के एकक स्थापित किए गए थे जिन्होंने पिछड़े जिलों में निवेश राजसहायता का लाभ उठाया है :—

(1) खाद्य परिष्करण उद्योग जैसे कि तेल मिलें, दाल मिलें, आटा पीसने की चक्कियां, आइसक्रीम, काजू परिष्करण, बेकरी, शीतल पेय, खाद्य संरक्षण आदि।

(2) रसायन उद्योग जिनमें (चर्बीयुक्त अम्ल/फैटी एसिड) प्रक्षालक, साबुन, अगरबत्ती, कारबाइड और अन्य रसायन, यौगिक आदि शामिल हैं।

(3) फर्नीचर एकक जिसमें मुख्य रूप से लकड़ी का फर्नीचर शामिल है।

(4) यांत्रिक इंजीनियरी उद्योग जैसे, फालतू पुर्जा (स्पेयर पार्टस) मुद्रणालय, मरम्मत के लिए कार्यशालाएं, कृषीय उपकरण और अन्य वस्तुएं शामिल हैं।

(5) कागज उत्पाद।

(6) वस्त्र तथा हथकरघा—इनमें होजरी, सिले सिलाए कपड़े, पट्टियां, सूती और रेशमी धागा शामिल है।

(7) छपाई

(8) विद्युत उद्योग।

(9) विविध उद्योग जो उपर्युक्त समूह में शामिल नहीं हैं।

पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों की उत्पादता रोजगार और आर्थिक समृद्धि बढाने की क्षमता का निर्धारण किया जा रहा है। जिसका ब्यौरा निकट भविष्य में मिल जाएगा।

(ग) इस समय देश में पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए उद्योग के उद्यमियों को निम्नलिखित रियायतें/प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :

1. निवेश राज सहायता की केन्द्रीय योजना :

देश में चुने हुए 104 जिलों में पिछड़े राज्यों के 6 जिलों में तथा अन्य राज्यों के 3 जिलों में स्थापित किए गए उद्योगों के उद्यमकर्ताओं को इस योजना के अन्तर्गत 10/15 प्रतिशत निवेश की राजसहायता दी जाती है।

2. सशर्त वित्त ऋण देने वाली अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर कि जाने वाली वित्त सुविधाएं :

इस योजना के अन्तर्गत देश के 246 पिछड़े हुए जिलों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमकर्ताओं को रियायती दर पर धन दिया जाता है जो लगभग साढ़े नौ प्रतिशत होता है जिसकी वसूली लम्बी होती है तथा कुछ अन्य सुविधाएं भी होती हैं।

3. केन्द्रीय परिवहन राजसहायता योजना :

इस योजना के अन्तर्गत उत्तरपूर्वी क्षेत्र, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके में जहां रेल से आवागमन कठिन है, कच्चे माल और तैयार माल पर रेल हैड तक पहुंचाने में 50 प्रतिशत की परिवहन लागत मिलती है।

4. कर सम्बन्धी रियायतें :

आयकर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० के अधीन पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ आयकर सम्बन्धी रियायतें दी जाती हैं। रियायतों का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जिस किसी नए औद्योगिक उपक्रम में 1 जनवरी, 1971 को या इसके बाद उत्पादन शुरू हुआ है वह आयकर की गणना में लाभ में से 20 प्रतिशत की कटौती करने का अधिकारी होगा।

इसके अलावा लघु उद्योग विकास संगठन गहन विस्तार सेवाओं की व्यवस्था करके पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमिता के विकास पर विशेष जोर दे रहा है पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण गहन अभियान, संगोष्ठियां और सम्मेलन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन, मौके पर तकनीकी प्रबन्धकीय सहायता देना, पता लगाई गई परियोजनाओं के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही आदि के सम्बन्ध में प्राथमिकता प्रदान करने के लघु उद्योग सेवा संस्थाओं को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

गुजरात में बिजली की कमी

3799. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० वेकारिया } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के किस किस जिले में और कितने जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान लगातार बिजली की कमी बनी रही ।

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गुजरात राज्य के किसी भी जिले में पिछले तीन वर्षों में विद्युत् की कमी लगातार नहीं रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Declaration of Dr. Ambedkar's Birthday as a Gazetted Holiday

3800. SHRI RAMJI RAM : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to declare 14th April as a Gazetted Holiday to celebrate the birthday of Dr. Ambedkar; and

(b) if so, the time by which a decision is likely to be taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारतीय समुद्री सीमा में मछली पकड़ने वाले विदेशी जहाजों का प्रवेश

3801. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समुद्री सीमा में निकोबार क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले विदेशी जहाजों का आना जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस प्रकार का प्रवेश रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ।

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) सितम्बर 1975 के पश्चात् कोई घटना नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वालों का पकड़ा जाना

3802. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वाले पांच जालसाजों को अभी हाल में पकड़ा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी गतिविधियां किस प्रकार की थीं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) अनुमानतः प्रश्न में उन रिपोर्टों का संदर्भ है जो मार्च, 1976 में दिल्ली के कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी, जिनमें से कुछ ने जालसाजों की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया था । यह मामला, कुछ डाक कर्मचारियों की सांठगांठ से, डाक वस्तुओं से विदेशी मुद्रा के दस्तावेजों की चोरी से संबंधित था, जिसके

संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा जो मामले में आगे कार्रवाई कर रही है कुछ गिरफ्तारियां की गई थीं ।

बिहार के पिछड़े जिलों का विकास

3803. **श्री एन० ई० होरा : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने विकास के लिए बिहार के कुछ पिछड़े जिलों को चुना ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) 14-15 अप्रैल 1976 को पटना में हुए अनुसंधान और उद्योग संबंधी एक सम्मेलन के दौरान बिहार सरकार को राज्य में विज्ञान और प्रोद्योगिकी के प्रयोग द्वारा विकास करने के लिए कुछ पिछड़े जिलों के नाम देते हुए विशेष सिफारिश करने का सुझाव दिया गया था। प्रथम चरण में बताए गए जिलों में से एक जिला उक्त कार्य के लिए सावधानी पुर्वक सर्वेक्षण/छानबीन करने के उपरांत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) द्वारा छांटा जायेगा ।

(ख) जिले को अपनाने का उद्देश्य है—विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आवश्यकता अनुसार घर-घर में पहुंचाना। स्थानीय सामग्री और जनशक्ति का प्रयोग करना। लाभदायक रोजगार प्रदान करना, जिले के लोगों को अपनी सहायता के लिए शामिल करना। विकास कार्य की गति तीव्र करने के लिए विज्ञान और समाज का एकीकरण करना । इस विकास कार्य का संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से है जैसे कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, संचार और यातायात आदि ।

उत्तर प्रदेश मेरठ जिले में मोखमपुर गांव में हरिजनों पर अत्याचार

3804. **श्री बी० एन० रेड्डी : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मोखमपुर गांव के हरिजन परिवारों पर नौकरशाहों के सहयोग से जमींदारों द्वारा किए आपराधिक दुराचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री : (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) इस संबंध में कुछ आरोप सरकार के ध्यान में आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आरोपों की जांच की गई है और सही नहीं पाए गए हैं।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में प्रचार के लिए केन्द्रीय सहायता

3805. **श्री राम सहाय पाण्डे : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में प्रचार तेज करने के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सूचना मंत्री ने 6 अप्रैल, 1976 को हुए सूचना मंत्रियों के तेहरवें सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान मध्य प्रदेश में विशेषकर इस बात को देखते हुए कि इसकी जनसंख्या का बड़ा अनुपात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का है, प्रचार के लिए अधिक बजट आवंटन की वकालत की थी। अपने विभिन्न विभागों और योजनाओं के लिए धन राशि उपलब्ध करना पूर्णतया राज्य सरकार का काम है।

बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

3806. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री देश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में दिनांक 28 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1323 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के 11.02 किलोवाट घंटे एवं अखिल भारतीय औसत 99.3 किलोवाट घंटे की तुलना में शेष बिहार के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) 61 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उत्तरी बिहार एवं शेष बिहार के बीच अलग-अलग उनकी लागत क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 1973-74, 1974-75 और 1975-76 (दिसम्बर 1975 तक) के दौरान स्वीकृत की गई बिहार राज्य बिजली बोर्ड की योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	स्वीकृत योजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण की राशि (करोड़ रुपयों में)
उत्तर बिहार	32	16.85
शेष बिहार	29	19.28
	61	36.13

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध जांच

3807. **श्री एस० एस० मुरुगनन्तम** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध जांच के बारे में 24 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1283 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच उपसमिति के प्रतिवेदन पर निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निर्णय क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० के प्रबन्धकों के खिलाफ शिकायत पर निदेशकों की उप-समिति की रिपोर्ट की अभी सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

3808. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की सीमाओं से आगे बढ़ कर विदेशी साम्य पूंजी की साझेदारी संबंधी नीति में हाल ही में जो ढील दी गई है उससे औद्योगिक एककों की स्थापना में वृद्धि होगी ;

(ख) क्या यह ढील प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध जानकारी के विकास में भारतीय उद्यमों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी;

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी तथा जानकारी एवं उद्यमियों को विदेशों में किन शर्तों पर काम करने दिया जाता है और विदेशों में किन क्षेत्रों में भारतीय साझेदारी है;

(घ) क्या अन्य विकासशील देशों के विशेषरूप से मध्य पूर्व एवं अफ्रीका में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जैसे कानून हैं; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय उद्यमियों की इन शर्तों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 लागू करने के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के संचालन से प्राप्त अनुभव के परिणामस्वरूप व्याख्या की दृष्टि से उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों को उदार बनाने के सम्बन्ध में घोषणा की गई थी और 15 अप्रैल, 1976 को उसे लोक सभा पटल पर रख दिया गया था। इस उदारीकरण के प्रभाव का अनुमान कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद ही किया जा सकता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भारत द्वारा अन्य देशों को अनेक प्रकार से जैसे विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करके, टर्न की परियोजनाएं हाथ में लेकर भारतीय और विदेशी पार्टियों के बीच तकनीकी सहयोग करारों के माध्यम से, परामर्शदात्री संविदा वाली इन्जीनियरी सेवाएं शुरू करके भारतीय विशेषज्ञों को विदेश भेज करके तथा भारत में विदेशियों को प्रशिक्षण आदि देकर तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। यद्यपि कुछ मामलों में भारतीय तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकारी स्तर पर अनुरोध किए जाते हैं। किन्तु अधिकांश मामलों में भारतीय और विदेशी कम्पनियों के बीच सहयोग की शर्तें आपस में सीधे तय की

जाती हैं। आयरलैण्ड, कनाडा, इण्डोनेशिया, मुश्कत, दवई, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, मलेशिया, केनिया और आबूधावी में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए 1976 में मार्च के अन्त तक 12 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के अन्तर्गत आरगेनिक रसायन, सिन्थेटिक ब्रिस्ल्स, एन्टवाइटिक्स, परामर्शदात्री और इंजीनियरी सेवाएं, रेस्टोरेन्ट, हैण्डटूल भवन निर्माण, लकड़ी की लुगदी और कागज आदि आते हैं।

(घ) और (ङ) प्रत्येक देश की अपनी विनियोजन नीति होती है और विदेश में भारतीय उद्यमी द्वारा स्थापित किए जाने वाले संयुक्त उपक्रम के प्रस्ताव का उस देश में विद्यमान विदेशी विनियोजन नीति से मेल खाना जरूरी है।

बिहार में इलेक्ट्रानिक उद्योग

3809. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक तथा तकनीकी संगठनों द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि बिहार में इलेक्ट्रानिकी उद्योग की अच्छी गुंजाइश है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रोनिकी आयोग के सूचना, आयोजना तथा विश्लेषण दल द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि बिहार में आम तौर पर इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए तथा विशेषकर खनन इलेक्ट्रोनिकी के लिए प्रगति की काफी गुंजाइश है। इस सर्वेक्षण से इलेक्ट्रानिकी के कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों का पता चला है जिनके संबंध में इस राज्य में संवर्धनात्मक उपाय किए जा सकते हैं। कुछ जरूरी उपाय तो पहले से ही शुरू कर दिए गए हैं। खनन इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास की जो परियोजनाएं इलेक्ट्रानिकी विभाग के परामर्श से बनाई गई हैं, उनका विभाग द्वारा रांची स्थित बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान में तथा धनबाद स्थित केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र में वित्तपोषण किया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से और आगे के कार्यक्रमों पर चर्चाएं चल रही हैं। इनके अतिरिक्त, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को रोगी निगरानी प्रणाली, हृद-नियंत्रण प्रणाली जैसे चिकित्सा विषयक इलेक्ट्रानिकी उपस्करों, तथा अंकीय मल्टीमीटर एवं अंकीय आवृत्ति मीटरों जैसे परीक्षण एवं मापन उपकरणों के विनिर्माण के लिए आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं। लघु क्षेत्र के इलेक्ट्रानिक एककों को बढ़ावा देने के प्रयोजन से रांची में एक प्रयोजन मूलक संस्थान का भी गठन किया जा रहा है।

सीमेंट सप्लाई करके विदेशी मुद्रा की प्राप्ति

3810. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा में भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को सीमेंट सप्लाई किए जाने से आज तक कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : 30 अप्रैल, 1976 तक बाहर से देश में भेजी गई विदेशी मुद्रा पर किए गए सीमेंट आवंटन से 1,53,86,381 रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है।

राजभाषा का विकास, प्रसार तथा प्रयोग

3811. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार द्वारा राजभाषा के विकास, प्रसार तथा प्रयोग के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के स्तर पर समानता एवं सहयोग पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : यों तो गृह मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग शुरू से ही सभी मंत्रालयों में होने वाले राजभाषा संबंधी काम को समन्वित करता था, लेकिन 26 जून, 1975 के बाद से (इसी दिन स्वतंत्र राजभाषा विभाग बना) इस काम को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं।

हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन में एकरूपता लाने के लिए प्रधान मंत्री जी के अनुमोदन से मार्गदर्शी सिद्धांत निश्चित किए गए हैं और सभी मंत्रालयों के राजभाषा संबंधी काम में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से इन हिन्दी सलाहकार समितियों में राजभाषा विभाग के सचिव और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार पदेन सदस्य होंगे। साथ ही राजभाषा विभाग का एक दूसरा अधिकारी भी उनमें सदस्य होगा।

मंत्रालयों और विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में राजभाषा विभाग का एक अधिकारी सम्मिलित होता है और उन्हें निर्धारित नीति के अनुसार काम करने की सलाह देता है। सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए एक समान राजभाषा नीति को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति काम कर रही है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिन्दी का काम देखने वाले संयुक्त सचिव सदस्य हैं। इसके अलावा, राजभाषा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक संयुक्त सचिवों की समन्वय समिति भी काम करती है जिसमें कुछ प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के संयुक्त सचिव सदस्य रहते हैं। यह समिति विशेषतया उन नीति विषयक मामलों को जांचती है जो केन्द्रीय हिन्दी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति बराबर यह देखती रहती है कि सभी मंत्रालयों और विभागों में एक समान राजभाषा नीति लागू की जाए।

केन्द्रीय हिन्दी समिति की 25 नवम्बर, 1975 की बैठक में यह तय किया गया था कि सभी मंत्रालयों और विभाग राजभाषा हिन्दी के प्रयोग आदि से संबंधित सभी योजनाओं पर राजभाषा विभाग से पूर्व परामर्श करेंगे और अन्य संबंधित मामलों के बारे में राजभाषा विभाग को जानकारी देंगे। इस निर्णय की सूचना सभी मंत्रालयों और विभागों को जनवरी, 1976 के एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा भेजी गई थी। इस के अनुसरण में राजभाषा विभाग के सचिव ने फरवरी, 1976 में मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को अर्ध सरकारी पत्र भी लिखे थे। इस पत्र में राजभाषा संबंधी योजनाओं पर राजभाषा विभाग से पूर्व परामर्श की अनिवार्यता पर बल देते हुए यह भी कहा गया था कि हिन्दी के संबंध में पदों के सृजन और भर्ती नियमों के बारे में राजभाषा विभाग से पूर्व परामर्श अवश्य कर लिया जाए।

अनेक मंत्रालयों और विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी उपक्रम काम कर रहे हैं। हाल ही में इनकी एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय उपक्रमों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उस बैठक में उपर्युक्त उपक्रमों में राजभाषा संबंधी कार्य के लिए समन्वित कार्यक्रम पर अमल करने के बारे में चर्चा की गई।

राजभाषा के स्वरूप में एकरूपता लाने की दृष्टि से मार्च, 1976 में सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा सुबोध होनी चाहिए।

कोयले का उत्पादन

3812. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 में कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) वर्ष 1976–77 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1975–76 में कोयले का उत्पादन 998.80 लाख टन था।

(ख) 1976–77 में कोयले का उत्पादन लक्ष्य 1080 लाख टन है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देने के लिए सुविधाएं

3813. **श्री लालजी भाई** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पुस्तकालय और होस्टल आवास संबंधी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा *(ख) दिल्ली में* अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को राव आई० ए० एस० स्टैडी सर्कल में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए संस्था द्वारा लिया जाने वाला सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को उधार देने हेतु पुस्तकें खरीदने के लिये संस्था को 2000.00 रु० का अनुदान दिया गया है। उपयुक्त आवास उपलब्ध न होने के कारण छात्रावास सुविधाएं नहीं दी जातीं, किन्तु प्रत्येक बेरोजगार प्रशिक्षणार्थी को निर्वाह के लिए 100.00 रु० मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है।

विभिन्न सेवाओं में दक्षता में सुधार करने हेतु की गई कार्यवाही

3614. **श्री भाऊसाहेब धामनकर**
श्री चिरंजीव झा : } : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सेवाओं के तत्व तथा संचालन दक्षता में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) विभिन्न सेवाओं के तत्व तथा संचालन दक्षता में सुधार करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अपने नियंत्रणाधीन सेवाओं के बारे में प्रत्यक्ष रूप से तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से लगातार प्रयत्न करता रहता है। इनमें विभिन्न सेवाओं को आवधिक संवर्ग समीक्षा, भर्ती नीति की समीक्षा, कैरियर योजना संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा परामर्श, प्रशिक्षण तथा स्थानन (प्लेसमेंट) के बीच समन्वय, पदोन्नति की रीतियों, स्वैच्छिक तथा अनिवार्य सेवा निवृत्ति, प्रोत्साहन परिवीक्षा, सिविल कर्मचारियों के दुःखों का निवारण, कल्याण योजनाएं आदि शामिल हैं। यह विभाग कार्मिक प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर उचित नीति तथा प्रणाली के निर्माण के लिए इन क्षत्रों में निरन्तर अनुसंधान तथा विश्लेषण भी करता है। कार्मिक प्रबंध के विभिन्न पहलुओं पर प्रशासनिक आयोग, वेतन आयोगों, प्राक्कलन समितियों तथा अन्य समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की भी जांच की जाती है और विभिन्न सेवाओं के प्रबंध में सुधार लाने के लिए इन्हें ध्यान में रखा जाता है।

दिल्ली में बिक्री कर की चोरी

3815. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 जनवरी, 1976 से 30 अप्रैल, 1976 तक की अवधि के दौरान सरकार को कितने व्यक्तियों के विरुद्ध बिक्री कर की चोरी के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) क्या इन सभी मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और यदि हां, तो सरकार ने प्रत्येक मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन को संबंधित अवधि के दौरान 338 व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें मिलीं। 309 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है। 146 मामलों में कोई प्रतिकूल बात ध्यान में नहीं आयी है। 163 मामलों में कुछ अभिशंसी सामग्री मिली है और इस संबंध में संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पर्वतीय शृंखलाओं को काट कर पन बिजली का उत्पादन

3816. **चौधरी नीति राज सिंह : क्या उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्सेला डी० जेड० तथा दीहंग के बीच की पर्वत श्रृंखलाओं के लगभग 56 किलोमीटर भाग को काट कर, जिससे ब्रह्मपुत्र पर लगभग 900 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है; अत्यधिक पन बिजली उत्पन्न की जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत से भारत में प्रवेश करने पर उस पर विद्युत् विकास की संभावनाएं हैं । जल-विद्युत् की संभावनाओं के विकास के कुछेक स्थान राष्ट्रीय सीमाओं से परे हो सकते हैं। इस क्षेत्र में विद्युत् के विकास के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के लेखा अधिकारी के विरुद्ध जांच की रिपोर्ट

3817. **श्री एस० ए० मुरुगन्तम** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के लेखा अधिकारी के विरुद्ध जांच के बारे में 26 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1233 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय जांच अधिकारी ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के लेखा अधिकारी द्वारा किराये की जाली रसीदों के आधार पर अधिक मकान किराया भत्ता लेने के बारे में इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) जी हां।

अनुशासन प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार मकान किराये भत्ते के रूप में अधिकारी द्वारा लिए गए 1270.60 रुपये की धनराशि अधिकारी ने वापिस कर दी है। निगम के निदेशक मण्डल को भी की गयी कार्यवाही से अवगत कर दिया गया है।

Coordination between Examination Conducted by UPSC and Universities

3818. DR. LAXIMINARAYAN PANDEYA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether the Union Public Service Commission has expressed the view that their present system of selection needs a change;

(b) whether the Commission has in its annual report for 1974-75 also stressed the need for bringing about adjustments or coordination between the examinations conducted by it and those conducted by Universities; and

(c) if so, steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : (a) The Union Public Service Commission have been continuously reviewing their methods, procedures and policies in the light of the experience gained from time to time. Some time back a committee under the Chairmanship of Dr. D. S. Kothari was set up by the Commission to review the existing arrangements and make recommendations regarding recruitment policies and selection methods. This Committee has already submitted its report regarding recruitment to two All India Services and some of the Class I Central Services. The recommendations made by the Committee in its Report are under consideration of the Commission at present.

(b) The Commission keep the syllabi of their examinations under constant review so as to ensure a proper coordination between the syllabi adopted by Universities and those prescribed for the examinations conducted by the Commission. A reference to this has been made in the

Annual Report of the Commission for the year 1974-75. The syllabi are also discussed with representatives of the Ministries concerned before they are incorporated in the rules of the examinations announced from time to time.

(c) In regard to coordination between the Universities and the Commission, no particular action on the part of Government is called for at present as the Commission itself keeps in touch with Universities. As for the recommendations made by the Committee under the chairmanship of Dr. Kothari, suitable action will be taken after the Commission have examined the same and made specific recommendations to Government.

कोयला खनिकों के लिए ग्रुप बीमा

3819. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खनिकों के लिए ग्रुप बीमा योजना लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का प्रतिष्ठान कोल इण्डिया लिमिटेड और घातक गंभीर दुर्घटनाओं के बारे में कोयला खान कामगरों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना की रूपरेखा पर विचार कर रहा है।

रोजगार कार्यक्रमों के लिए नियतन

3820. **श्री राजदेव सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत चार वर्षों (1971-72 से 1975-76) में विभिन्न रोज़गार कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 342 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की;

(ख) यदि हां, तो रोज़गार कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस आशय के आंकड़े प्राप्त हुए हैं कि रोज़गार के कितने अवसर उत्पन्न किए गए हैं और धनराशि किस प्रकार खर्च की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) जी, हां। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को दी गई केन्द्रीय सहायता की वास्तविक राशि 342.79 करोड़ रुपया है।

(ख) विभिन्न रोज़गार कार्यक्रमों की मुख्य रूपरेखा नीचे दी गई है :—

(1) त्वरित ग्रामीण रोज़गार स्कीम (1971–72 से 1973–74 तक) :

त्वरित ग्रामीण रोज़गार स्कीम 1971-72 में आरम्भ की गई थी जो 1973-74 तक जारी रही। इसका कुछ काम 1974-75 में भी किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में छोटी सिंचाई, भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, वनरोपण, बाढ़-नियंत्रण, सड़क निर्माण, आदि स्कीमें शुरू की गई थीं।

(2) शिक्षित बेरोजगारों से संबधित कार्यक्रम (1971–72 से 1973–74 तक) :

यह कार्यक्रम सर्वेक्षण और अभिकल्प विकास जैसे कार्यों, अथवा विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत योजनागत सरकारी परियोजनाएं तैयार करने का प्रशिक्षण देने के लिए और तकनीकी योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों को उद्योग या कृषि क्षेत्र में स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए तकनीकी और शिक्षित जनशक्ति तैयार करने की दृष्टि से आरम्भ किया गया था। संगठित क्षेत्र में सामाजिक सेवा क्षेत्र रोज़गार का प्रमुख स्रोत होता है, इसलिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा और उपभोक्ता भण्डारों के विस्तार से संबंधित स्कीमें भी आरम्भ की गई।

(3) विशेष रोज़गार कार्यक्रम (1972–73 से 1973–74 तक) :

विशेष रोज़गार कार्यक्रम इस उद्देश्य से तैयार किया गया था कि राज्य त्वरित ग्रामीण रोज़गार स्कीम और शिक्षित बेरोज़गारों से संबंधित स्कीम की तुलना में अधिक व्यापक क्षेत्र में रोज़गार स्कीमें आरम्भ कर सकें। ये स्कीमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही तरह के व्यक्तियों के लाभ के लिए थीं। स्कीमों के चयन का दायित्व राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों पर छोड़ दिया गया था और राज्यों को समान राशि के अंशदान की व्यवस्था करनी होती थी।

(4) पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम (1973–74) :

पांच लाख रोज़गार कार्यक्रम 1973-74 में आरम्भ किया गया था जिसके अन्तर्गत केवल शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसरों का सर्जन किया जाना था। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने कितने ही प्रकार की स्कीमें शुरू की थीं और इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणी के शिक्षित व्यक्तियों से संबंधित स्कीमें शामिल की गई थीं। ऐसे पुश्तैनी कलाकारों और पारस्परिक हस्तशिल्पकारों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित शिल्पकारों के लिए कुछ मामलों में छूट दी गई जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं थे।

(5) रोज़गार संवर्धन कार्यक्रम (1974–75) :

रोज़गार संवर्धन कार्यक्रम में शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को स्व-रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था। स्व-रोज़गार स्कीमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण व्यय और उद्यमियों को मूल पूंजी/उपांत धन की व्यवस्था की जाती थी। सहकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में रिक्त स्थानों को भरने से संबंधित अलग प्रशिक्षण स्कीमों के लिए भी व्यवस्था की गई है बशर्ते कि वहां उनके नियमित रूप से नियुक्त होने की संभावनायें हों।

(ग) : (1) त्वरित ग्रामीण रोज़गार स्कीम :

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार इस कार्यक्रम पर 1971-72 से 1973-74 तक की अवधि में कुल 12681.76 लाख रुपया व्यय हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप 3159.10 लाख श्रम दिवसों का रोज़गार सर्जित हुआ।

(2) शिक्षित बेरोज़गारों से संबंधित कार्यक्रम :

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की रिपोर्टों के अनुसार 1971-72 से 1973-74 तक की अवधि में कुल 6283.28 लाख रुपया खर्च हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 97,000 शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर सर्जित किए गए।

(3) विशेष रोज़गार कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 7777.90 लाख रुपया व्यय किया गया जिसमें 4888.84 लाख रुपया केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त हुआ था। इसके परिणामस्वरूप 1972-73 में 220910 लाख काम और 136.28 लाख श्रम दिवसों का रोज़गार और 1973-74 में 184520 काम और 239.21 लाख श्रम दिवसों का रोज़गार उपलब्ध हुआ।

(4) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम :

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की रिपोर्टों के अनुसार इस कार्यक्रम पर कुल 3154·18 लाख रुपया व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप 341531 रोज़गार के अवसर सर्जित हुए।

(5) रोज़गार संवर्धन कार्यक्रम :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1346.24 लाख रुपया केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिया गया, जिसमें 1975-76 में अधिनीत सहायता के रूप में दिए गए 490.56 लाख रुपये भी शामिल हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुई अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार इस कार्यक्रम पर 1374.59 लाख रुपया व्यय हुआ और 67457 शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर सर्जित किए गए।

अंतर्राज्यीय विद्युत् पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य को स्वीकृत ऋण

3821. **श्री के० मालन्ना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में अन्तर्राज्यीय विद्युत् पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य को ऋण मंजूर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों की राशि तथा विशिष्ट परियोजनाओं संबंधी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) राज्य ने केन्द्रीय सरकार से प्रारम्भ में कितनी राशि की मांग की थी?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) 1975-76 वर्ष के दौरान कर्नाटक सरकार को 78.41 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें 4.16 लाख रुपये की राशि हाम्पी-गुटी अन्तर्राज्यीय लाइन के लिए तथा 74.25 लाख रुपये की राशि इदिक्की-मैसूर अन्तर्राज्यीय लाइन के लिए है।

(ग) राज्य सरकार ने 1975-76 के दौरान 80 लाख रुपये की राशि मांगी थी।

Forest based industries in Hoshangabad, M.P.

3822. SHRI G.C. DIXIT : Will the MINISTER OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether any forest based industry is to be set up in Hoshangabad district in Madhya Pradesh in the near future; and

(b) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B.P. MAURYA) : (a) and (b) No such proposal is under consideration in the Ministry of Industry and Civil Supplies.

Assistance to M.P. for Implementation of Plan Programme of 1976-77 for Weaker Sections

3823. SHRI G. C. DIXIT : Will the MINISTER OF PLANNING be pleased to state:

(a) whether special Central financial assistance is proposed to be provided to Madhya Pradesh for implementation of plan programmes of 1976-77 for the weaker sections in the State; and

(b) if so, the funds likely to be sanctioned?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI SANKAR GHOSE) : (a) and (b) For 1976-77, Special Control Assistance of Rs. 10·11 crores has been tentatively approved for the Tribal Sub-Plan of Madhya Pradesh. The release of this a ssistance will depend on the progress of formulation and implementation of integrated Tribal Development Projects.

Besides, assistance for weaker sections will also be available through the Drought Prone Areas Programme and the Tribal Development Agency Projects, for which Rs. 2·20 crores and Rs. 50 lakhs respectively are likely to be available in the Central Plan.

Permanent artists in Radio Stations in Madhya Pradesh

3824. SHRI G.C. DIXIT : Will the MINISTER OF INFORMATION AND BROAD CASTING be pleased to state :

(a) whether permanent artistes have been registered in A.I.R. Stations at Indore, Bhopal, Gwalior and Raipur;

(b) whether Government have received any complaints in regard to inviting various categories of artistes for A.I.R. programmes; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA-CHARAN SHUKLA) : (a) There are two types of artists in All India Radio : (i) Staff Artists who are employees of A.I.R. and are given contracts on long term basis and (ii) Casual Artists approved for broadcast engagements by Audition Committees in the case of Drama and Music Artists, who are engaged as and when necessary according to programme requirements. Regular lists are maintained of all such Artists.

(b) Yes, Sir.

(c) Every complaint is carefully examined and suitable action taken.

Accumulations of Coal at Pitheads (Madhya Pradesh)

3825. SHRI G.C. DIXIT : Will the MINISTER OF ENERGY be pleased to state :

(a) the quantity of coal accumulated at pitheads of the mines in Madhya Pradesh in the early months of 1975;

(b) whether this coal accumulation was within normal limits or in excess; and

(c) if it was in excess, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) and (b) The average quantity of coal accumulated at pitheads of the mines in Madhya Pradesh during early months of 1975 was less than one month's average production, which is considered as normal

(c) Does not arise.

Vasectomy Unit developed by Bhabha Atomic Research Centre

3826. DR. LAXIMNARAYAN PANDEYA : Will the MINISTER OF ATOMIC ENERGY be pleased to state :

(a) whether the Bhabha Atomic Research Centre has developed a vasectomy unit which is useful, particularly for rural areas;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the expenditure involved in each vasectomy case through this device?

THE PRIME MINISTER, MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS AND MINISTER OF STATE SPACE (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : (a) Yes, Sir.

(b) The vasectomy kit designed in consultation with Family Planning authorities, consists of essential medical supplies such as drape, surgical dressing, hypodormic needle and syringe, blade, suture etc. required for vesectomy procedures. The components of the kit are sealed in polyethylene bags and the pre-packed kit is sterilised by Gamma radiation.

(c) The price of the vasectomy kit is Rs. 5/-. In addition, the expenditure in a vasectomy case involves the cost of medicine administered to the patient prior to the operation.

Visit of a team of Commonwealth Broadcasting Association to study the progress of Television

3827. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether a team of the Commonwealth Broadcasting Association visited Delhi in April, 1976 to study the progress of television and prospects of dissemination of mass education through this media in India and if so, the other points discussed by this team;

(b) the number of States in the country at present where mass education or other development activities are being telecast under the SITE programme; and

(c) the number of villages being benefited thereby whether some more villanges or a group of villages are being convered under this programme.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir. A team comprising 19 delegates from 12 Commonwealth countries visited India from April 5 to 17, 1976 to study various aspects of the Satellite Industructional Television Experiment only.

(b) & (c) The SITE programme is received by 2,400 villages on augmented TV sets in six States viz, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh and Karnataka. In addition, a 30-minute programme in the common chunk in the evening includings a news bulletin in simple Hindi, is relayed by Lucknow and Amritsar Doordershan Kendras and by the low power transmitter at Pij in the Nadiad District of Gujarat, which has been set up by the Department of Space as part of the SITE.

हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को पेंशन दिया जाना

3828. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश से भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के बीच स्वतन्त्रता सेनानियों से पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकार को कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने व्यक्तियों को पेंशन दे दी गई है और कितने व्यक्तियों को इन्कार किया गया है; और

(ग) कितने आवेदन-पत्र अभी अनिर्णीत हैं और उन पर कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 30-4-1976 तक पेंशन की मंजूरी के लिए 1455 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) 1176 मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई है और 170 मामले अस्वीकृत किए गए हैं।

(ग) कोई आवेदन-पत्र अनिर्णीत नहीं है। परन्तु मान्य सबूत न होने के कारण 109 मामले फाइल कर दिए गए हैं और आवेदकों को सूचित कर दिया गया है। इनका निपटान लिखित सबूत प्राप्त होने पर किया जायेगा।

अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्र वृत्तियां देने की प्रणाली का सुव्यवस्थित किया जाना

3829. **श्री वसंत साठे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने की प्रणाली के सुव्यवस्थित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुधार सोचे गए हैं; और

(ग) योजना के अन्तर्गत कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं और गत तीन वर्षों में राज्य-वार छात्रवृत्तियों के लिए कितनी राशि दी गई?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री श्री एफ० एच० (मोहसिन) : (क) तथा (ख) अनुसूचति जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशानों को निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :—

(1) स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के पात्र छात्रों को 'अधिकार कार्ड' जारी करने चाहिए जिसके आधार पर वे ट्यूशन फीस तथा अन्य अनिवार्य फीस का पूर्व भुगतान किये बिना कालेजों में प्रवेश प्राप्त कर सकें। इस धनराशि का नियमित छात्रवृत्ति की धनराशि में समायोजन किया जा सकता है।

(2) छात्रों को छात्रवृत्तियों का भुगतान तिमाही अथवा छमाही भुगतान के बजाय मासिक आधार पर किया जाना चाहिए;

(3) योजना का विकेन्द्रीकरण कम से कम जिला कल्याण अधिकारियों के स्तर पर होना चाहिए;

(4) शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने से पहले शैक्षणिक संस्थाओं को पर्याप्त खाली आवेदनपत्रों की सप्लाई की जानी चाहिए ताकि छात्र कालेज में प्रवेश लेते ही आवेदनपत्र प्रस्तुत कर सकें;

(5) कालेज को तदर्थ धनराशि दी जानी चाहिए ताकि समय पर भुगतान किया जा सके; और

(6) एक वरिष्ठ अधिकारी मनोनीत किया जाना चाहिए जो इन छात्रवृत्तियों के वितरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। इसका उचित रूप से प्रचार किया जाना चाहिए ताकि जिन उम्मीदवारों को विलम्ब के बारे में कोई शिकायत है तो वे राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार को लिखने के बजाय सीधे उनको लिख सकें। उस अधिकारी को ऐसी शिकायतों और विलम्ब, जहां विलम्ब होता है, के कारणों की जांच करनी चाहिए और तुरन्त तथा उचित सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

(ग) 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान स्वीकृत की गई धनराशि और अनुदान के बारे में राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई उपलब्ध सूचना का विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10844/76।]

पांचवी योजना के योजना प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जाना

3830. **श्री वसंत साठे :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं योजना का निश्चित प्रारूप तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का अन्तिम प्रारूप कब तक तैयार हो जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख) वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अद्यतन बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अक्तूबर, 1976 तक अन्तिम रूप देने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं, परन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन कार्रवाइयों में काफी कार्य निहित होता है और केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श करना होता है, यह ठीक-ठीक बताना कठिन है कि ये कार्रवाइयां कब तक पूरी हो जाएंगी।

अन्तरिक्ष अनुसंधान में भारत सोवियत सहयोग के लिए भारतीय अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों की मास्को यात्रा

3831. **श्री वसंत साठे :** क्या **अंतरिक्ष मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल ने अन्तरिक्ष अनुसंधान में भारत-सोवियत सहयोग को सुदृढ़ बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में मास्को की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो जिस कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय और सोवियत वैज्ञानिकों ने द्वितीय उपग्रह (भू-प्रक्षण के लिए उपग्रह) के छोड़ने और निर्माण से सम्बद्ध सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार-विमर्श के साथ-साथ समय-अनुसूची तथा उपग्रह पर किये जाने वाले विभिन्न प्रयोगों की कार्य-पद्धति के बारे में भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भावी सहयोग की संभावनाओं पर भी बातचीत करी और 1977-78 के दौरान किसी समय हैदराबाद से बैलूनों का प्रयोग करते हुए गामा-किरण संबंधी खगोलिकी पर संयुक्त परीक्षण करने की सहमति हुई। नीत-भार के ब्यौरे को तथा दोनों पक्षों के बीच जिम्मेदारियों के विभाजन को अक्तूबर-नवम्बर, 1976 के दौरान भारत में से होने वाली आगामी बैठक में अन्तिम रूप दिया जायेगा।

पटाखे बनाना

3832. **श्री वसंत साठे :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में अनुमानतः कितने मूल्य के पटाखे बनाये गये तथा देश में पटाखा उद्योग में गत तीन वर्षों में कितने कर्मचारी लगे हुए थे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : *विकास* आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा की गई लघु उद्योगों की गणना के अनुसार पटाखे बनाने के उद्योग में लगे हुए कामगरों की संख्या लगभग 9300 है और 1970, 1971 और 1972 में क्रमशः 5.13 करोड़, 5.99 करोड़ और 7.28 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है।

पनबिजली, तापीय बिजली और परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता का विस्तार

3833. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों के दौरान पन-बिजली तापीय बिजली और परमाणु-बिजली की उत्पादन क्षमता के विस्तार-कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या संयंत्र और उपकरणों के लिए क्रयादेश दिए जा चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारी उपकरणों, उनकी लागत और डिलीवरी कार्यक्रमों आदि का विशिष्ट संदर्भ बताते हुए तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पांचवीं योजना के अगले तीन वर्षों में अर्थात् 1976—79 में 8627 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह अतिरिक्त क्षमता जल-विद्युत् केन्द्रों में 3307 मेगावाट, ताप-विद्युत् केन्द्रों में 4630 मेगावाट तथा परमाणु विद्युत् केन्द्रों में 690 मेगावाट होगी। उपर्युक्त उत्पादन क्षमता के लिए मुख्य संयंत्रों और उपकरणों के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं और ये उपकरण निर्माण/प्राप्ति के भिन्न चरणों में हैं। मुख्य संयंत्रों और उपकरणों की लागत और माल सुपुर्दगी की समय सूची प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग है और सम्भरणकर्ता और परियोजना प्राधिकारियों के बीच के आपसी निर्णय-व्यवस्थाओं के अनुसार इनका निर्धारण होता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

3834. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी तीन वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आरंभ किये जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : देश में ग्राम विद्युतीकरण के लिए आगामी तीन वर्षों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। तथापि, पांचवीं योजना की रूपरेखा में योजना के अवधि के लिए 1,10,208 गांवों का विद्युतीकरण करने और 15.78 लाख सिंचाई पम्पसेटों/नलकूपों को बिजली देने का लक्ष्य बनाया गया है। पांचवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान लगभग 24,000 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा 3.62 लाख पम्पसेटों को बिजली दी जा चुकी है।

लाइसेंस नीति तथा प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शी पुस्तक

3835. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस नीति तथा प्रक्रिया में किये गये बहुत से परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में जनता का मार्गदर्शन करने हेतु सरकार का विचार नवीनतम स्थिति बताते हुए एक मार्गदर्शी पुस्तक प्रकाशित कराने का है;

(ख) यदि हां, तो ये पुस्तक कब तक प्रकाशित हो जायेगी; और

(ग) क्या प्रत्येक उद्योग के अन्तर्गत बनाई जाने वाली क्षमता और उपलब्ध प्रोत्साहनों की जानकारी भी पुस्तक में दी जायेगी?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) : "गाइड लाइन्स फार इण्डस्ट्रीज" नामक एक वार्षिक प्रकाशन जिसमें सरकार की औद्योगिक नीति और औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने सम्बन्धी प्रक्रिया और स्वीकृति प्रणाली

विधयक जानकारी होती है, उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय द्वारा निकाला जा रहा है। प्रकाशन में महत्वपूर्ण उद्योगों की विद्यमान स्थिति और भावी सम्भावनाओं पर भी प्रकाश डाला जाता है। ऐसे उद्योगों के अधुनातम आंकड़े भी प्रकाशन में प्रकाशित किए जाते हैं।

"गाइड लाइन्स फार इण्डस्ट्रीज 1976-77" जिसमें लाइसेंस नीति में घोषित सभी परिवर्तन दिए गए हैं, छप रही है और इस महीने के अन्त तक प्रकाशित हो जाने की आशा है।

तेल संस्थानों के संरक्षण के बारे में रुस्तमजी समिति

3836. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुस्तमजी समिति ने देश की सभी तेल संस्थापनाओं के संरक्षण की समस्या का गहरा अध्ययन किया है;

(ख) समिति की सिफारिशों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इन तेल संस्थापनाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : श्री के० एफ० रुस्तमजी की अध्यक्षता में समिति से जिसे तस्करी विरोधी उपायों की जांच करने और उस पर रिपोर्ट देने के लिए गठित किया गया था, समुद्रतट से दूर तेल संस्थापनाओं की सुरक्षा समेत समुद्र से सम्बन्धित अन्य समस्याओं की जांच करने के लिए भी कहा गया था। समिति ने एक तट रक्षी संगठन की स्थापना की सिफारिश की थी जो अन्य बातों के साथ समुद्रतट से दूर संस्थापनाओं की सुरक्षा की भी देखभाल करेगा, यह प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

विजय बैंक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के तत्व

3837. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि *विजय बैंक* के कर्मचारी वर्ग में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्व मौजूद हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कोट्टाक्कल स्थित विजय बैंक की शाखा के एक कर्मचारी जिसके राष्ट्रीय स्वयं सेवक से संबंध थे, पर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था और आपात स्थिति विरोधी आंदोलनात्मक गतिविधियों में उसके अन्तर्ग्रस्त होने के कारण सात महीने की कारावास की सजा दी गई थी। बैंक की कालीकट शाखा के एक अन्य कर्मचारी को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से निरन्तर संबंध रखने के कारण मीसा के अधीन नजरबन्द किया गया था।

लायन्स क्लब, रोटरी क्लब और वाइज मैन्स क्लब का कार्यकरण

3838. **श्री वयालार रवि :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लायन्स क्लब, रोटरी क्लब तथा वाइज मैन्स क्लब की कितनी शाखायें चल रही हैं;

(ख) उन्होंने क्लब राशि के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की तथा कितनी अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यालयों को भेजी; और

(ग) क्या सरकार ने इन क्लबों के कुल व्यय का कोई अनुमान लगाया है, यदि हां, तो किस सीमा तक?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री : (श्री ओम मेहता) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में प्रथम रोटरी क्लब और प्रथम लायन्स क्लब क्रमशः 1920 तथा 1956 में बनाई गई थी। बाद में इन क्लबों की शाखाएं भारत में विभिन्न स्थानों में खोली गई। सरकार को भारत में कार्यरत इन क्लबों की शाखाओं की स्पष्ट संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है : सरकार को वाइज मैन्स क्लब के बारे में भी कोई सूचना नहीं है।

(ख) सरकार को एकत्रित की गई क्लब की कुल धन राशि के संबंध में कोई सूचना नहीं है। विदेशों में अपने अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यालयों को भेजी गई ऐसी धन राशि के बारे में सूचना एकत्रित की जायेगी और सदन को भेज दी जायेगी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

इमारते सरिया, फुलवारी शरीफ, बिहार

3839. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उड़ीसा में मुस्लिम वैयक्तिक कानून लागू करने और उसके बारे में न्याय-निर्णय करने के लिए इमारतें सरिया नाम की एक संस्था है, जिसका मुख्यालय फुलवारी शरीफ, बिहार में है; और

(ख) क्या मुस्लिम वैयक्तिक कानून के बारे में न्याय-निर्णय करने वाले इस उच्च न्यायालय के उड़ीसा के रूरकेला स्थित कार्यालयों को सील कर दिया गया था और उसके पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था जिससे मुसलमानों में रोष उत्पन्न हो गया है और क्या 1 और 2 अप्रैल, 1976 को लोक सभा में गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय सदन में इस मामले को उठाया गया था और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और संसद को भेज दी जाएगी।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा झरिया-धनबाद वायु प्रदूषण समस्या का अध्ययन

3840. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने झरिया-धनबाद वायु प्रदूषण समस्या का अध्ययन आरम्भ किया है ?

(ख) यदि हां, तो किन प्रभावी उपायों का सुझाव दिया गया है; और

(ग) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने देश के अन्य बड़े नगरों के संबंध में ऐसे अध्ययन आरम्भ किए हैं ?

योजना राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र, धनबाद ने धनवाद के खान क्षेत्रों में वायु की किस्म का स्तर निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन प्रारम्भ किया है।

(ख) अध्ययन अभी प्रारंभिक अवस्था में है।

(ग) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने भारत के बहुत से बड़े शहरों में वायु की किस्म का अध्ययन प्रारंभ किया है ?

जिम कारबेट स्मारक डाक टिकट

3841. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री जिस कारबेट स्मारक डाक टिकट के बारे में 15 अप्रैल, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2451 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिम कारबेट स्मारक डाक-टिकट के मुद्रक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मुद्रक को अब छपाई का कोई काम नहीं दिया जा रहा है।

(ख) सरकार इस प्रकार की किसी भी गलती के प्रति गंभीर दृष्टिकोण अपनाती है और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच में विलम्ब

3842. **श्री के० लकप्पा**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन
श्री एच० एन० मुकर्जी
श्री के० एम० मधुकर
: क्या प्रधानमंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अप्रैल, 1976 के एक स्थानीय दैनिक पत्र में "इनआर्डिनेट लीगल डिलेज हैम्पर सी० बी० आई० वर्किंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है; और ऐसे विधायी, प्रशासनिक तथा अन्य उपाय, किए जाते रहे हैं जो समय-समय पर स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।

नारियल जटा उद्योग का यंत्रीकरण

3843. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नारियल जटा उद्योग का यंत्रीकरण करने का है जिससे इस पारम-परिक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किय जाने का विचार है; और

(ग) क्या केरल सरकार ने नारियल जटा उद्योग की यंत्रीकरण योजना के बारे में केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) :(क) से (ग) भारत सरकार ने अपने दिनांक 5 अप्रैल, 1976 के संकल्प के द्वारा कयर उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल का गठन किया है। अध्ययन दल अन्य बातों के साथ-साथ प्रक्रियाओं जिनका एक प्रावस्थाबद्ध रूप में यंत्रीकरण किया जा सकता है ऐसी उत्पादन की वस्तुओं केन्द्र तथा राज्य सरकारों, कयर बोर्ड द्वारा शुरु किए जाने वाले कार्यक्रमों हस्क और यार्न का पूर्णतय उपयोग सुनिश्चित करने में वित्तीय संस्थानों की भूमिका तथा आन्तरिक बिक्री बढ़ाने और निर्यात आदि के बारे में उपयुक्त सुझाव भी देगा।

योजना आयोग के सदस्य अध्ययन दल के अध्यक्ष हैं। कयर बोर्ड ने सूचित किया है कि कयर उद्योग के यंत्रीकरण के लिए केरल की राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिषद्

3844. श्री राजदेव सिंह : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिषद की स्थापना करने का हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज):(क) जी हां। तथापि, प्रस्तावित परिषद् का नाम राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् रखने का विचार है न कि राष्ट्रीय उप-भोक्ता सहकारी परिषद्।

(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्य केन्द्रीय सरकार को नीचे लिखे विषयों में सलाह देना होगा :--

(क) समाज के जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना अथवा उसमें वृद्धि करना;

(ख) किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ का उचित मूल्य पर समान वितरण तथा सुलभता सुनिश्चित करना;

(ग) वस्तुओं अथवा पदार्थों के उत्पादन, विनिर्माण आपूर्ति व वितरण, उपयोग तथा खपत और उनके व्यापार तथा वाणिज्य का नियमन अथवा निषेध करना अथवा इस प्रकार के किसी मामले के बारे में किसी भी प्रकार को भ्रष्ट पद्धति अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग को रोकना; और

(घ) भारत रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 114 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट कोई दूसरा मामला ।

इसके अतिरिक्त परिषद् के निम्नलिखित कार्य भी होंगे:--

(I) उपभोक्ताओं की समस्याओं तथा उनके हितों को प्रभावित करने वाले मामलों के बारे में पूरी जानकारी रखना;

(II) उपभोक्ताओं के मामलों के बारे में जानकारी एकत्र करना तथा उसका प्रसार करना;

(III) उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों के बारे में अनुसंधान करना तथा जांच करना ।

(IV) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को उनके इलाकों में उपभोक्ता आन्दोलन के विकास में सहायता करना;

(V) उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए गठित संगठनों तथा संघों को मान्यता देना तथा सहायता देना, जिसमें वित्तीय सहायता भी शामिल है;

(VI) उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करना तथा सम्बन्धित अभिकरणों, जिनमें उपभोक्ताओं के संरक्षण तथा कल्याण सम्बन्धी कानून को लागू करने वाले अभिकरण भी शामिल हैं, के माध्यम से उपचारात्मक कार्रवाई करना;

(VII) उपभोक्ताओं का कल्याण तथा आम खपत की वस्तुओं का उचित मूल्यों पर समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना;

(VIII) उचित मूल्यों पर आम खपत की वस्तुओं के समान वितरण को बढ़ावा देना तथा आम खपत की निर्दिष्ट वस्तुओं के वितरण को कारगर बनाने तथा/अथवा उनके मूल्यों में कमी करने के उपायों के बारे में सम्बन्धित अभिकरणों को लिखना;

(IX) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों से सम्बन्धित विनिर्माण, व्यापार अथवा वाणिज्य के बारे में उपभोक्ताओं के कल्याण पर विपरीत प्रभाव डालने वाली किसी मूल्य वृद्धि अथवा किसी व्यापार-पद्धति को समाप्त करने के लिये सम्बन्धित अभिकरणों के साथ मामला उठाना; तथा

(X) उपभोक्ताओं के मामलों से सम्बन्धित किसी अन्तर्राष्टीय संस्था का सदस्य बनना।

औद्योगिक क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें

3845. **श्री रानेन सेन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें खोली हैं; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक क्षेत्रवार खोली गई उचित दर की ऐसी दुकानों की संख्या क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : औद्योगिक क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, आवश्यक वस्तुओं के वितरण के कार्य को सरल तथा कारगर बनाने तथा उसका आयोजन करने के एक भाग के रूप में दिसम्बर, 1974 तथा जनवरी व फरवरी, 1975 में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इस विचार-विमर्श के फलस्वरूप राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सलाह दी गई कि वे शहरी इलाकों, कमीवाले देहाती इलाकों, पहाड़ी इलाकों, औद्योगिक, बागानी व खान उद्योगों तथा दूसरे जरूरतमंद इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ायें तथा उसका विस्तार करें। शहरी और देहाती इलाकों, जिनमें वे इलाके भी शामिल हैं जहां बहुत से उद्योग हैं, में केन्द्रीय नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उपभोक्ता व्यापार, जिसमें उचित मूल्य की दुकानें चलाना भी शामिल है, आरम्भ करने के लिए सहकारी सोसायटियों के विकास के लिए सहायता दी जा रही है।

देश में कुल 2.33 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं। अलग-अलग उद्योगों के आधार पर कोई उचित मूल्य की दुकानें नहीं खोली गई हैं।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

3846. **श्री शंकर राव सावंत :** क्या **गृह** मंत्री महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद के बारे में 24 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1221 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद निपटाने के लिये इस बीच आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त विवाद कब तक निपटाये जाने की आशा है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) जैसा पहले कहा गया था इस विवाद का कोई संतोषजनक हल निकालने के प्रयत्न अभी जारी है और इस अवस्था में कोई ब्यौरा देना अथवा कोई समय-सीमा निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होगा ।

अपनी आय के साधनों की तुलना में अधिक परिसम्पत्तियों वाले सरकारी कर्मचारी

3847. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में ऐसे कितने सरकारी कर्मचारियों का पता लगा जिनके पास उनकी आय के ज्ञात साधनों से अधिक परिसम्पत्तियां थी, और

(ख) उनमें से कितनों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और कितनों को अनिवार्यतः सेवा निवृत्त किया गया, बर्खास्त किया गया, निकाला गया अथवा पदावनत किया गया ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) पिछले दो वर्षों (1-1-1974 से 31-12-1975) के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्तिम रूप दिए गए मामलों में, 63 सरकारी कर्मचारी ऐसे पाए गए जिनके पास उनके आय के ज्ञात साधनों से अधिक परिसम्पत्तियां थी ।

(ख) की गई कार्रवाई निम्नलिखित है :—

(I)	मुकदमा चलाया गया	20
(II)	अभियोजन के लिए मंजूरी जारी करना लम्बित है	1
(III)	अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए गए	3
(IV)	सेवाएं समाप्त की गई	1
(V)	त्याग पत्र दिया . .	1
(VI)	जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है .	28
(VII)	विभागीय/उपयुक्त कार्रवाई के लिए विचाराधीन	9
	कुल	63

टायरों का निर्यात और उसके मूल्यों में गिरावट

3848. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान कितने मूल्य के टायरों का निर्यात किया गया; और

(ख) इस समय टायरों का मूल्य कितना कम हुआ है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 1976 के प्रथम तीन महीनों की अवधि में निर्यात किये गये गाड़ियों के टायर और ट्यूबों का अनुमानित मूल्य 2.92 करोड़ रुपये है ।

(ख) कुछ टायर कंपनियों ने हाल ही में बसों और ट्रकों के कुछ आकार के टायरों के मूल्य कम किए हैं। मूल कीमत में 1.6 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक कमी हुई है।

केन्द्र के विचाराधीन बिहार के अध्यादेश तथा विधेयक

3840. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार ने वर्ष 1974 में कितने अध्यादेश तथा विधेयक केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजे हैं ; और

(ख) उनमें से कितनों को स्वीकृति अथवा अनुमति दे दी गई हैं और कितने अभी केन्द्र के विचाराधीन पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) 1-5-1976 की स्थिति इस प्रकार है :—

	प्राप्त हुये	स्वीकृति दी गई	विचाराधीन
स्वीकृति के लिये विधेयक	26	26	शून्य
अध्यादेश	176	171	5

विविध भारती से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण

3850. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कितना-कितना समय नियत किया गया है ;

(ख) क्या कलकत्ता से होने वाले प्रसारण उत्तर भारत में सुनाई नहीं देते ;

(ग) क्या सरकार का विचार विविध भारती कार्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं में बंगाली भाषा को भी शामिल करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) विविध भारती की मुख्य भाषा हिन्दी है। कर्नाटक संगीत प्रतिदिन 105 मिनट के लिए प्रसारित किया जाता है। विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के लोक गीत सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन 28 मिनट के लिए प्रसारित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त विविध भारती के 17 केन्द्र प्रादेशिक भाषाओं में मूल रूप से कार्यक्रम, जिनकी अवधि, भिन्न-भिन्न होती है, प्रसारित करते हैं; इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-10845/76]।

(ख) कलकत्ता स्थित विविध भारती ट्रांसमीटर कलकत्ता और उसके आस-पास के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए है।

(ग) विविध भारती का कलकत्ता केन्द्र कुछ बंगला कार्यक्रम मूल रूप से पहले ही प्रसारित करता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दामोदर घाटी निगम तथा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम को बिजली की सप्लाई

3851. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा गत पाच वर्षों में कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम तथा पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्ड को प्रतिवर्ष कितनी बिजली की सप्लाई की गई;

(ख) क्या इस अवधि में कलकत्ता विद्युत् प्रदाय निगम के स्वयं के बिजली के उत्पादन में गिरावट आई जब कि इसके राजस्व एवं आय में वृद्धि हुई है; और

(ग) इस कम्पनी द्वारा लाभ के रूप में प्रति वर्ष ब्रिटेन को कितनी धनराशि का प्रत्यावर्तन किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड व दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को की गई विद्युत की सप्लाई का और कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन द्वारा उत्पादित समग्र विद्युत् का वर्ष 1970-71 से वर्ष 1974-75 तक के पांच वर्षों का ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है ।

कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की आय, लाभ और इस कम्पनी द्वारा अपने देश ब्रिटेन को भेजी गई राशि भी उपाबंध में दी गई है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड तथा दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन को सप्लाई की गई बिजली की मात्रा, कलकत्ता इलैक्ट्रिक कारपोरेशन द्वारा उत्पादित कुल बिजली, कारपोरेशन की आय, लाभ और कम्पनी द्वारा अपने देश ब्रिटेन को भेजी गई राशि :—

	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
	(मि० यू०)	(मि०यू०)	(मि० यू०)	(मि०यू०)	(मि०यू०)
कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से खरीदी गई .	619.49	754.55	817.24	1,026.80	810.95

	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
	(मि० यू०)	(मि० यू०)	(मि० यू०)	(मि० यू०)	(मि० यू०)
कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन द्वारा दामोदर घाटी निगम से खरीदी गई	613.33	605.78	589.65	478.63	631.74
कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन द्वारा (कुल) उत्पादन . . .	1668.34	1733.48	1856.01	1668.84	1588.59
कुल राजस्व जिसमें कलकत्ता इलैक्ट्रिक कारपोरेशन की सांविधिक आरक्षित निधि से निकाली गई राशि भी शामिल है (लाख रुपये)	3318.61	3558.32	3797.87	4066.05	4762.63
कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का निवल लाभ (लाख रुपये) .	140.71	138.87	157.66	107.04	128.85
ब्रिटेन भेजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गई कुल राशि (रुपये)	—	4083886	4040602	1211332	1241907

अर्जेन्टीना द्वारा भारतीय परमाणु जानकारी की मांग

3852. **श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्जेन्टीना के अपदस्थ राष्ट्रपति की सरकार ने भारत से परमाणु जानकारी की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने के सम्बन्ध

में सहयोग करने के एक करार पर 28 मई, 1974 को अर्जेन्टीना के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार का अनुसमर्थन किया जाना बाकी है तथा यह करार अनुसमर्थन के दस्तावेजों के आदान-प्रदान की तारीख से लागू होगा।

अपराध संबंधी रिकार्ड का संगणक द्वारा रखा जाना

3853. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपराध संबंधी रिकार्ड को संगणक द्वारा रखने की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में एक संगणक लगाया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) अपराध संबंधी रिकार्ड को संगणक द्वारा रखने की योजना में 1975-76 से शुरू होने वाले 3-4 वर्ष की अवधि में 12 संगणक लगाने की व्यवस्था है। इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०, हैदराबाद इन संगणकों की सप्लाई करेगा।

1976-76 में इन संगणकों की पहली खेप की सप्लाई तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों को कर दी गई है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा सिविल इंजीनियरी परामर्शदात्री संगठन का गठन

3854. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने हाल में सिविल इंजीनियर परामर्शदात्री संगठन का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने निर्धन देशों के लिए सिविल इंजीनियर परियोजनाएं आरम्भ करने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) तत्संबंधी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) ने एक सिविल इंजीनियरी परामर्शदात्री सेवा (सीकोन) स्थापित की है। सीकोन छः राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक सामूहिक संगठन है।

(ख) सीकोन का एक उद्देश्य सिविल इंजीनियरी में अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदात्रीय सेवा प्रदान करना है।

(ग) उपरोक्त उद्देश्य के तारतम्य में भारत के कुछ विशिष्ट सिविल इंजीनियरी संगठन जो विकासशील देशों में टर्न-की कार्यों के लिये कोशिश कर रहे हैं, ने सीकोन की अभिकल्पना (डिजाइन) परामर्शदात्री सेवाएं प्राप्त करने के लिये अपनी रुचि प्रकट की है। सीकोन ऐसे संगठनों के साथ उक्त कार्य के लिये विचार कर रहा है। अन्य इंजीनियरी परामर्शदात्री फर्मों के लिये भी सीकोन एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा।

हिमाचल प्रदेश के लिए एक पृथक प्रचार रीजन की स्थापना

3855. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए एक पृथक फील्ड पब्लिसिटी रीजन बनाने, जैसा कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लिए है, तथा धर्मशाला स्थित फील्ड पब्लिसिटी यूनिट को दो शाखाओं में बांट कर हमीरपुर में मुख्यालय बना कर एक अतिरिक्त प्रचार एकक की स्थापना हेतु तथा इस स्थान पर एक सूचना केन्द्र की स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है ताकि हिमाचल प्रदेश की, विशेषकर 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति से सम्बन्धित प्रचार कार्य सम्बंधी आवश्यकताओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी, हां।

(ख) अंतिम उद्देश्य प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग रीजन और प्रत्येक जिले में एक क्षेत्रीय प्रचार एकक की स्थापना करना है, बशर्ते धन राशि उपलब्ध हो। भविष्य में जब नए एककों की स्थापना की जायेगी हिमाचल प्रदेश की आवश्यकताएं, जिनमें एक सूचना केन्द्र की स्थापना भी शामिल है, ध्यान में रखी जायेगी।

राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों में प्रशासनिक ढांचा

3856. **श्री ए० सी० सामन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों में प्रशासनिक ढांचों में क्या त्रुटियां और कमियां पाई गई हैं;

(ख) उन राज्यों को शेष राज्यों के समान बनाये जाने को ध्यान में रखते हुये प्रशासनिक तंत्र में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

नागालैण्ड, तमिलनाडु और गुजरात राज्य इस समय राष्ट्रपति शासन के अधीन हैं। इन राज्यों के प्रशासन में कमियों के बारे में स्थिति और की गई सुधारात्मक कार्यवाही निम्नलिखित है :—

नागालैण्ड

राज्य सरकार ने इसके प्रशासनिक ढांचे में त्रुटियों तथा कमियों की जांच तथा सिफारिशें करने के लिये नवम्बर, 1975 में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति की एक प्राथमिक रिपोर्ट अब राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी गई अपनी 29 जनवरी, 1976 की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ राज्य के प्रशासन में निम्नलिखित त्रुटियां तथा कमियां बताई थीं :—

(1) आपात स्थिति की उद्घोषणा के प्रति सरकार के सहयोग की कमी ।

(2) शक्ति के दुरुपयोग के सुस्पष्ट मामले ।

(3) डी० एम० के० पार्टी के लिये धन इकट्ठा करने के लिये सरकारी तंत्र का प्रयोग ।

(4) दल के हितों के उद्देश्य के प्रवर्धन के लिये पुलिस बल के प्रयोग समेत सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के अनेक मामले ।

(5) विपक्षी दलों के समाचार माध्यम को दबाने के लिये भारत सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम 1971 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित शक्तियों का दुरुपयोग ।

अब राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तंत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये हैं ।

गुजरात

प्रशासनिक तंत्र में 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कुछ त्रुटियां देखी गई थीं और उस सिलसिले में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रशासनिक तंत्र में कार्यकुशलता बढ़ाने के वास्ते आवश्यक उपाय किये हैं ।

Expansion of Indian Explosives Limited

3857. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) whether the Indian Explosives Limited has requested Government for expansion of the company and if so, the names of the explosives or the chemicals manufactured by this company;

(b) whether this company is a multinational company;

(c) if so, the policy adopted by Government in regard to expansion of such companies; and

(d) whether other companies of India have opposed its expansion?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA) : (a) Indian Explosives Limited are manufacturing blasting explosives and accessories (like Safety Fuse, Gunpowder and Detonators) as well as urea fertilisers, nitric acid, ammonia nitrate and nitro glycerine. The firm has been granted an industrial licence for the manufacture of nitrocellulose. Government has received an application from them for an industrial licence for the setting up of a new unit for the manufacture of industrial explosives in one of the backward areas in Central India or Western India.

(b) The United Nations in a study (1973) entitled "Multinational Corporations in World Development" has defined "Multinational Corporations" in the broad sense to cover all enterprises which control production or services outside the country in which they are based. According to this definition, all foreign companies which operate in India either through a branch or subsidiary can be regarded as Multinational Corporations. Indian Explosives Ltd. being an Indian

company with foreign majority equity participation can also, therefore, be treated as a Multinational Company.

(c) In their Industrial Policy Statement of February 2, 1973, Government have consolidated a list of industries which are open, along with the other applicants for the participation of larger industrial houses, foreign concerns and subsidiaries and branches of foreign companies. Industrial explosives is one of the items listed threrein.

(d) Yes, Sir.

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा

3858. **चौधरी रामप्रकाश :** क्या प्राधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठने के लिए उम्मीदवारों को तीन अवसर दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को तीन अवसर देने का है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान्। उच्चतर सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासन सेवा आदि परीक्षाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा को 24 वर्ष से बढ़ाकर 26 वर्ष तक कर दिए जाने को ध्यान में रखते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के अधीन नियुक्त एक समिति द्वारा इन सेवाओं में भर्ती की सम्पूर्ण प्रणाली की जांच होने तक, वर्ष 1973, 1974 तथा 1975 में हुई परीक्षाओं में उम्मीदवारों को दिए जाने वाले अवसरों की संख्या को बढ़ा कर तीन कर दिया गया था, जो पूर्णत: एक संक्रमणकालीन उपाय था ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिए जाने के बाद, सहायक ग्रेड परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को दिए जाने वाले अवसरों की संख्या के बारे में निर्णय लिया जाएगा ।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा 'एशिया 72' प्रदर्शनी पर खर्च

3859. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली को मंत्रालय को ओर से 'एशिया 72' प्रदर्शनी में एक मण्डप की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी थी,

(ख) यदि हां, तो वस्तुत: कितनी राशि खर्च की गई और क्या सारे खर्च की पूर्ण लेखा परीक्षा की जा चुकी है ;

(ग) क्या मण्डप को तोड़ने पर निकली कोई सामग्री बेची गई थी, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उससे कितनी राशि प्राप्त हुई;

(घ) क्या उक्त मण्डप की स्थापना तथा उसको तोड़ने से संबंधित लेनदेन के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त जांच की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मंडप (पैवीलियन) के सम्बन्ध में कुल 10,10,133.57 का खर्च हुआ है। निगम ने मंडप के बारे में सरकार को आय और व्यय का एक लेखापरीक्षित विवरण दिया है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा टूटी वस्तुओं के रूप में मंडप से निकला कुछ सामान एक सार्वजनिक नीलाम में 750.00 रुपये में बेचा गया था, मंडप से छांटी गयी अन्य सामग्री अभी भी राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के पास पड़ी है। निगम से इस सामग्री के स्टाक रजिस्टर आदि से सत्यापित किये जाने के उपरान्त निगम के लेखा परीक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित लेख परीक्षण प्रमाण पत्र देने को कहा गया है। लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र मिल जाने के बाद सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के पास पड़ी वस्तुओं को बेचने के प्रश्न पर आगे जांच करेगी।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनगणना निदेशालय में भर्ती संबंधी नियम

3860. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना कार्यों सम्बंधी विभिन्न निदेशालयों के लिये प्रकाशित किये गये भर्ती नियम एक जैसे नहीं हैं ; और

(ख) क्या सरकार इन नियमों की जांच तथा समीक्षा करने के बारे में विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी, हां, श्रीमान् । जनगणना कार्य निदेशालयों में भिन्न-भिन्न समय पर विभिन्न श्रेणियों के पद बनाये गये थे । बाद में जब भर्ती नियम बनाये गये थे तो विभिन्न कार्यालयों में स्थानीय परिस्थितियों को भी यथासंभव ध्यान में रखना पड़ा था।

(ख) जी हां, श्रीमान् । जब कभी अवसर आता है तो भर्ती नियमों का पुनरीक्षण किया जाता है और एक समान प्रतिरूप लागू करने के उद्देश्य से संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति से उनमें संशोधन किया जाता है :

जनगणना निदेशालय में कार्य कर रहे कर्मचारी

3861. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना निदेशालय तथा भारत के महापंजीयक के कार्यालय में 550–900 रुपये के वेतनमान में कार्य कर रहे सभी कर्मचारी 'बी' ग्रुप अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे पदों के नाम क्या हैं जो 'बी' ग्रुप की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा कौन से पद उस में आते हैं ; और

(ग) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रतिकूल अभी ऐसा भेद बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : क जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) जनगणना संगठन में 550–900 रु० के वर्तमान वेतनमान में 10 श्रेणियों के पद आते हैं। आदिवासी हस्तकला अनुसंधान अधिकारी, कार्यालय अधीक्षकों, अन्वेषकों तथा कंसोल ओपरेटरों के पद द्वितीय श्रेणी के पद थे। अब ये नई श्रेणी 'बी' में आते हैं। जनगणना संबंधी कार्यों के सहायक अधीक्षक, नागालैंड और वरिष्ठ तकनीकी सहायकों, भूगोलवेत्ताओं, मानचित्रकारों और सारणी अधिकारियों के पद तृतीय श्रेणी के पद थे और अब ये नई श्रेणी 'सी' के पद हैं। यह कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये दिनांक 11-11-1975 की अधिसूचना के अनुसार है जिसमें कहा गया है कि 1-1-1973 से पहले विद्यमान तृतीय श्रेणी के सभी सिविल पद और 1-1-1973 को अथवा उसके बाद संशोधित वेतन-मान में उनके संवर्गों में लाये गये नये पद श्रेणी 'सी' में चले जायेंगे। जब कि तृतीय वेतन आयोग ने जनगणना संगठन में तृतीय श्रेणी के पदों के कुछ वर्गों के लिये वेतन-मान (550–900 रु० संशोधित) की सिफारिश की थी उसने द्वितीय श्रेणी में उनको शामिल करने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं किया गया था।

साएल सीमेंट का विकास

3862. **श्री भाऊ साहेब धामनकर** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी की निकासी को रोकने और शुष्क क्षेत्रों में फसलों के लिये बेहतर नमी बनाये रखने हेतु "साएल सीमेंट" विकसित करने के लिये कोई परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है और इन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जो एजेंसियां उत्तरदायी होंगी उनके नाम क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां। हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित की गयी कमेटी आफ डायरेक्शन फार सीमेंट रिसर्च (सी० डी० सी० आर०) द्वारा शुष्क क्षेत्रों तथा समुद्रतटीय रेतीले रंन्धिल जमीन के क्षेत्रों के पानी की निकासी को रोकने के लिए सायल सीमेन्ट के विकास हेतु एक अनुसन्धान और विकास परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4 लाख रुपये है जिसमें से लगभग 3 लाख रुपये सी० डी० सी० आर० द्वारा शेष सीमेंट सर्विस ब्यूरो द्वारा भुगतान किये जायेंगे। परियोजना को वर्ष 1976-77 के लिए 1.5 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दे दी गयी है।

(ग) इस परियोजना में सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इंडिया (सी० आर० आई०) सीमेंट सर्विस ब्यूरो, तमिलनाडु सरकार का कृषि विभाग और सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट अभिकरण भाग ले रहे हैं।

पंजाब में "हैड वर्क्स" का भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड को अंतरण

3863. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब स्थित रोपड़, हरिके और फीरोजपुर, "हैड वर्क्स" पर अब भी पंजाब सरकार का नियंत्रण है जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के उन उपबंधों के विपरीत है जिनके अंतर्गत उनका प्रबंध पांच वर्षों के भीतर भाखड़ा प्रबंध बोर्ड को सौंपा जाना था; और

(ख) यदि हां, तो इन हैड वर्क्स के प्रबंध को हस्तांतरित कराने में केन्द्र सरकार के असफल रहने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पंत (क) और (ख) पंजाब के पुनर्गठन से पूर्व रोपड़, हरिके तथा फिरोजपुर हैड वर्क्स का नियंत्रण पंजाब सरकार कर रही थी और अब भी उक्त नियंत्रण वही कर रही है। पंजाब पुनर्गठन ऐक्ट में यथाप्रस्तावित ये हैड वर्क्स भाखड़ा प्रबंध बोर्ड को हतान्तरण करने के संबंध में राज्य सरकार ने कुछ प्रश्न उठाए हैं। तथापि, ऐक्ट में यह नहीं कहा गया है कि यह हस्तान्तरण पांच वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए। पंजाब द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर सरकार विचार कर रही है।

Cement Factories

3864. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) the number of cement factories in the country with their locations and capacity;

(b) the countries which made a demand for cement from India together with the quantity demanded by each of them during the last 3 years, year-wise and whether this demand was met and if not, the reasons therefor ;

(c) the names of the factories which Government propose to take over; and

(d) the places at which cement factories were set up during the period from 1973 to 1975 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI B. P. MAURYA) : (a) A Statement is attached (Annexure-I). [Placed in the Library—*See* No. LT—10846/76].

(b) During the years 1973-74 and 1974-75 (upto December, 1974) export of cement was not permitted on commercial basis due to scarcity in the domestic market. The exports during the above period were restricted to the extent of specific releases made by the Government. However, subsequently due to easy availability of cement, the demand for cement from foreign countries was duly met from January, 1975 onwards.

A Statement showing year-wise and country-wise exports of cement during the last three years is attached (Annexure-II) .

(c) At present, no such proposal is under consideration of the Government.

(d) During the period 1973 to 1975, three cement units were set up in the country as per details given below :—

Name of the unit	Location	Capacity (in lakh tonnes/annum)
(1) Century Cement	Tilda (M.P.)	6·00
(2) Durgapur Cement Works	Durgapur (W.B.)	4·00 (only part implemented.)
(3) JK Cement Works	Nimbahera (Rajasthan)	2·52

टेलीविजन इंजीनियरिंग कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

3865. **श्री के० लकप्पा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के तत्कालीन महानिदेशक ने टेलीविजन इंजीनियरिंग कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों की जांच करने के लिए 1974 में एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा उन्हें कहां तक क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) क्या विशेषकर हाल में टेलीविजन को आकाशवाणी से अलग किये जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए टेलीविजन इंजीनियरिंग कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का विचार वर्तमान प्रणाली में मौलिक परिवर्तन करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 नवम्बर, 1975 को आकाशवाणी महानिदेशक को दे दी थी। समिति की यह राय थी कि ऐसा संगठन जो अन्यत्र इंजीनियरी संगठनों के अनुरूप हो और जो माध्यम की चुनौती का मुकाबला करने के योग्य इंजीनियरी कर्मचारियों का संवर्ग बनाने में सहायक हो, विकसित करने के लिए वर्तमान इंजीनियरी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना आवश्यक होगा। आकाशवाणी महानिदेशक ने दूरदर्शन कर्मचारी ढांचे के लिए प्रस्ताव बनाने में समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा है।

(ग) दूरदर्शन केन्द्रों के कर्मचारी ढांचे जिसमें उनके वेतनमान/शुल्कमान भी शामिल हैं, से सम्बन्धित समूचा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

परमाणु शक्ति के बारे में लागत विश्लेषण

3866. **चौधरी नीतिराज सिंह : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति के बारे में लाभ लागत विश्लेषण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशें अथवा निष्कर्ष क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) समय-समय पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि परमाणु बिजली (प्रारम्भिक लागत के ज्यादा होने के बावजूद) तापीय बिजली से सस्ती पड़ती है, परन्तु इसका सस्ता होना कोयले की खानों से बिजलीघर की दूरी पर तथा खानों से निकाले गए ईंधन की बिजली घर पर पहुंचने पर पड़ने वाली लागत पर निर्भर करता है। वर्तमान परिस्थितियों में, कोयले की खानों से वह दूरी जिसके बाद परमाणु बिजली सस्ती पड़ती है अनुमानतः 600 से 800 किलोमीटर तक है। तथापि, यह दूरी कोयले की कीमत तथा उसकी ढुलाई पर आने वाले खर्च के अनुसार भिन्न भी हो सकती है। इस वजह से, समृद्ध यूरेनियम, भारी पानी एवम् कोयले के मूल्यों तथा कोयले की ढुलाई पर आने वाले खर्च में हुई वृद्धि के कारण स्थिति अब भी अनिश्चित ही है। इन सबके अलावा, प्रारम्भिक ईंधन की उपलब्धता, जीवाश्म ईंधनों के भंडारों की पुनःपूर्ति न होना, तेल एवं गैस के वैकल्पिक प्रयोगों आदि जैसी बातों की वजह से परमाणु बिजली का पक्ष और सबल हुआ है।

डा० भाभा का चार चरण वाला दीर्घावधि परमाणु कार्यक्रम

3867. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा०भाभा के चार चरण वाले दीर्घावधि परमाणु कार्यक्रम का पालन किया जा रहा है अर्थात् (एक) प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करते हुए भारी पानी के रिएक्टरों से पी०यू०-239 का उत्पादन, (दो) पी० यू०-239 ईंधन द्वारा चालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का विकास, (तीन) फोरियम "ब्लैंकेट" के रूप में उपयोग करते हुए एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यू०-233 का उत्पादन और (चार) 'बर्सेटाइल' यू०-233 पर आधारित परमाणु कार्यक्रम का विकास; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) कोटा, कलपक्कम तथा नरोरा में प्राकृतिक यूरेनियम से चलने वाले भारी पानी रिऐक्टर स्थापित किए जा रहे हैं तथा इनसे उत्पन्न प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर रिऐक्टरों में काम में लाने का प्रस्ताव है । कलपक्कम में एक फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर का निर्माण-कार्य चल रहा है । थोरियम से यूरेनियम-233 का प्रजनन करने की संकल्पना का अध्ययन इस टैस्ट रिऐक्टर की सहायता से करने की योजना है तथा इससे प्राप्त अनुभव का उपयोग भविष्य के न्यूक्लीय कार्यक्रम को तैयार करने के लिए किया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं तथा एक विवरण

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) (इस्ट्रूमेंटेशन) लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-10827/76]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) तांबा (विद्युत् केबिलों तथा तारों के निर्माण में प्रयोग कर निषेध) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साँ० आ० 592 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) विद्युत् केबिल तथा तार नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1975 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 593 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10828/76]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सा० सां० नि० 540 जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसमें दिनांक 1 फरवरी, 1975 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 136 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10829/76]

(2) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग, में पद संख्या निर्धारण) 11वां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 602 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) 10वां संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 603 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10830/76]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम तथा नागालैण्ड विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 609 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10831/76]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 610 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10832/76]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 327 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10833/76]

(4) नागालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1975 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित नागालैण्ड विक्रय कर अधिनियम, 1967 की धारा 57 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित नागालैण्ड सरकार अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) नागालैण्ड विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1975 के नागालैण्ड राजपत्र में अधिसूचना संख्या फिन/रेव/2-7/75 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नागालैण्ड विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1975 के नागालैण्ड राजपत्र में अधिसूचना संख्या पिन/टैक्स/4/75 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) (क) उपर्युक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने तथा (ख) अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10834/76]

इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलोजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की समीक्षा तथा इसी वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी डेवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी डेवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10835/76]

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की समीक्षा तथा इसी वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री ए० पी० शर्मा : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-10836/76]

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): मैं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अंतर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-10837/76]

दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 39 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिल्ली सिख गुरुद्वारा (कार्यकारी बोर्ड के अस्थायी चेयरमैन, अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 24 अप्रैल, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16(3)/76-जुडल में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी०-10838/76]

1976-77 के लिए भारतीय डाक और तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के व्यय संबंधी अनुदानों की मांगें

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): मैं वर्ष 1976-77 के लिये भारतीय डाक और तार विभाग पर केन्द्रीय सरकार के व्यय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-10839/76]

नौसेना (पेंशन) पहला संशोधन विनियम

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (पेंशन) पहला संशोधन विनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 98 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी०-10840/76]

Review and Annual Report of Neyveli Lignite Corporation Ltd. for 1974-75

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY : (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(1) Review by the Government on the working of the Neyveli Lignite Corporation Limited, for the year 1974-75.

(2) Annual Report of the Neyveli Lignite Corporation Limited, for the year 1974-75 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Laid on the Table. *See* Lt. No. 10841/76]

सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अन्तर्गत सामान्य बीमा (विकास कर्मचारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं जो दिनांक 29 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 327 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10-842/76]

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

कार्यवाही सारांश

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोणम्): मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति की 16 अक्तूबर और 14 नवम्बर, 1975 तथा 15 अप्रैल, 1976 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

दूसरा प्रतिवेदन

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोणम्): मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

30वां प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथ राव (छत्तरपुर) : मैं याचिका समिति का तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

चर्म, खाल और चमड़े आदि पर निर्यात शुल्क में वृद्धि के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE : EXPORT DUTY ON HIDES, SKINS AND LEATHER ETC.

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के राजस्व तथा बैंककारी विभाग की दिनांक 1 मई, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 314 (ङ) का अनुमोदन करती है जिसके द्वारा चर्म, खाल और साधित और असाधित सभी प्रकार के चमड़े किन्तु जिसमें सांप की खाल और चमड़े से विनिर्मित वस्तुएं नहीं आतीं, पर निर्यात शुल्क उक्त अधिसूचना की तारीख से 20 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ा कर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया गया है।"

अशोधित चमड़े और खाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है शोधित चमड़े को एक अलग से जारी की गयी अधिसूचना के द्वारा निर्यात शुल्क से छूट दी गई है। इसलिए 1 मई, 1976 को जारी की गई अधिसूचना का प्रयोजन अर्धशोधित चर्म और खालों पर निर्यात शुल्क बढ़ाना है।

सरकार की नीति अर्धशोधित चर्म और खालों के स्थान पर तैयार चमड़े और चमड़े के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने की है। निर्यात आय बढ़ाने और देश में चमड़ा उत्पत्ति में रोजगार की सम्भावनाओं को देखते हुए निर्यात व्यापार में यह परिवर्तन करना आवश्यक था। इस उद्देश्य की दृष्टि से अर्धशोधित चर्म और खालों पर निर्यात शुल्क 20 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ा कर 1 मई, 1976 से 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया गया है।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : क्या हम सांप की खालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकते है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं इस सुझाव को वाणिज्य मंत्रालय को भेज दूंगा।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : सांपों की खाल के निर्यात के कारण चूहों की आबादी रेगिस्तान में 10 से 20 गुणा बढ़ गयी है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है। ऐसे मामलों के लिये अलग से एक विशेष दल बनाया जाये, जो इस पर विचार करे।

डा० रानेन सेन (बारस्पट) : एक विशेष प्रकार की छिपकली की खाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि वे नागों और अन्य सांपों को खा रही थी। परन्तु गांव वालों का कहना है कि अभी भी छिपकली को बिना सोचे समझे मारा जा रहा है और खाल का निर्यात किया जा रहा है।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : सांपों आदि के अंधाधुंध मारे जाने से परिस्थिति संतुलन बिगड़ता है या नहीं, इस पर अलग से चर्चा की जानी चाहिये। यह संकल्प देशी उद्योगों की सहायता के लिए लाया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने अर्धशोधित चमड़े के निर्यात में 15 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय किया है। इस कदम को बल देने के लिये हम 5 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात शुल्क लगा रहे हैं जिससे अर्धशोधित चमड़े के निर्यात को प्रोत्साहन न मिले। इस सीमित प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे हैं।

श्री बी० वी० नायक : मैंने सांप की खाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। यदि यह सुझाव मान लिया जाता है तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सांप की खाल पर बढ़ा हुआ निर्यात शुल्क क्यों नहीं लगाया गया है।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : सांपों की खाल के निर्यात पर पहले ही से प्रतिबंध लगा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि निर्यात पर प्रतिबंध है तो प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस संकल्प के पास करने से अधिसूचना के संशोधित करने में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में यह सभा भारत सरकार के राजस्व तथा बैंककारी विभाग का दिनांक 1 मई, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 314 (ङ) का अनुमोदन करती है जिसके द्वारा चर्म, खाल और साधित और असाधित सभी प्रकार के चमड़ किन्तु जिसमें सांप की खाल और चमड़े से विनिर्मित वस्तुएं, नहीं आतीं, पर निर्यात शुल्क उक्त अधिसूचना की तारीख से 20 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ा कर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया गया है।"

वित्त विधेयक, 1976

FINANCE BILL. 1976

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं अपने बजट भाषण में इस बजट की मुख्य बातों के बारे विस्तार से कह चुका हूं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 1975-76 के दौरान असली घाटा केवल 367 करोड़ रुपए होगा।

वित्त विधेयक माननीय सदस्यों के सामने आठ सप्ताह से है । वर्षा के दौरान इस विधेयक में निहित प्रस्तावों के सम्बन्ध में अनेकों सुझाव दिये गये हैं। मुझे जनता, वाणिज्य संगठनों और अन्य व्यापार तथा व्यावसायिक संस्थाओं से भी इस सम्बन्ध में सुझाव और ज्ञापन प्राप्त हुये हैं । इन सुझावों पर सावधानियों से विचार करने के बाद मैंने मल प्रस्तावों में कुछ संशोधन करने का निर्णय किया है।

कहा गया है कि शक्तिचालित करघा निर्मित सुपर फाइन और फाइन कपड़े पर बजट से लगाई गयी प्रस्तावित कर की दरें एकीकृत मिल क्षेत्र द्वारा उत्पादित इसी प्रकार के कपड़े पर लगे कर के बराबर ही है । मैं शक्तिचालित करघों द्वारा निर्मित कपड़ का एकीकृत मिल क्षेत्र में निर्मित फाइन और सुपर फाईन कपड़े के सामने प्रतियोगिता में खड़े रहने के लिये सक्षम बनाने हेतु शक्तिचालित करघों पर निर्मित फाइन और सुपर फाइन कपड़े की दर को कम करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह दर 14 प्रतिशत मूल्यानुसार से हटाकर 12 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दी जाये। इसी प्रकार सुपर फाइन और फाइन कपड़ा जो हथकरघों पर निर्मित होता है पर भी कर की दर 12 प्रतिशत मूल्यानुसार से हटाकर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दी जाये।

यह भी कहा गया है क्योंकि सरकार ने मोटरकारों के उत्पादन शुल्क में रियायत दे रखी है तो कृषि ट्रेक्टरों पर भी इसे घटाया जाये । अतः मेरा प्रस्ताव है कि ट्रेक्टरों के साथ सप्लाई होने वाले टायर ट्यूब और बैटरी पर लगे उत्पादन शुल्क को समाप्त किया जाये ।

इस प्रकार के कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें यह कहा गया है कि कई प्रकार के छपाई और लिखने के कागजों पर लगा शुल्क बहुत अधिक बढ़ाया गया है। मैं कई प्रकार के कागजों पर लगे शुल्क को घटाने का प्रस्ताव करता हूं।

वर्ष 1975 के बजट में जब से 'शेष वस्तुओं' पर जो 1 प्रतिशत का शुल्क लगाया गया था तो छत्त की टाइलें बनाने वालों से मेरे पास अभ्यावेदन आये कि इस शुल्क को समाप्त किया जाये। मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मद संख्या 65 में आने वाली इस वस्तु पर एक प्रतिशत के इस शुल्क को समाप्त करने का प्रताव करता हूं ।

इस बजट में जब 1975 के बजट में स्टार्च पर लगाए गये 1 प्रतिशत के शुल्क को बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया, तो स्टार्च के निर्माताओं से मुझे बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद मैंने पहले ही इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में 5 लाख से अधिक का उत्पादन न करने वाले छोटे कारखानों को एक वित्तीय वर्ष में प्रथम 1 लाख के उत्पादन पर इस शुल्क से छूट दी जाये । मैंने उन सभी प्रकार के स्टार्च को भी इस शुल्क से मुक्त कर दिया है जिसका उपयोग गुलुकोस में होता है।

बजट प्रस्तावों में मैंने तांबे पर लगे तटकर और उत्पादन शुल्क में कुछ समंजन किया है। तथापि तांबे का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य इस बीच बढ़ गया है और इसके परिणामस्वरूप आयातित तांबे का मूल्य बजट में जो अनुमान लगाया गया था, उससे बढ़ने की संभावना है । मैं 60

प्रतिशत मूल्यानुसार लगे आयात शुल्क को घटा कर बजट के पहले के 45 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं ।

मिश्रित हाई कार्बन स्टील पर बढ़ाये गये तटकर शुल्क के सम्बन्ध में भी मुझे कई अभ्यावेदन मिले हैं । रोल्ड ग्रेन ओरियेंटेड स्टील के सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है । इसलिये मैं इस प्रकार के इस्पात पर लगे शुल्क को 75 प्रतिशत से घटा कर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ।

मैंने अपने बजट भाषण में उत्पादन शुल्क से राहत देने के लिये एक नई योजना का उल्लेख किया था, जिससे कि उत्पादन अधिक हो सके तथा प्रारम्भ में इसे एक वर्ष के लिये लागू किया गया था । तथापि विचार करने के बाद यह देखा गया कि एक वर्ष का समय योजना का प्रभाव देखने के लिये बहुत कम है और इस लिये यह प्रस्ताव है कि यह योजना कम से कम तीन वर्ष तक के लिये लागू रहनी चाहिये ।

प्रत्यक्ष करों का जहां तक सम्बन्ध है, अभी तक अनिवासी कर दाताओं को भारत से बाहर किसी डिजाइन, पैटेंट की ड्राइंग, आविष्कार आदि के लिये किये गये एक मुश्त भुगतान पर कोई कर नहीं लगाया गया था । वित्त विधेयक के एक उपबन्ध के अनुसार इन एक मुश्त भुगतानों को कराधान के अन्तर्गत लाया गया है । यद्यपि इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि तकनीकी जानकारी देने वाली विदेशी फर्मों ने यह करार किया था भारत सरकार की स्वीकृति से इस आधार पर इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया है कि ये भुगतान कर से मुक्त रहेंगे । तदनुसार मेरा यह प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व किए गये और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत करार आयकर से मुक्त रहेंगे, चाहे वे निगमित क्षेत्र में किये गये हों, या अनिगमित क्षेत्र में ।

इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जिनमें अनिवासी द्वारा भारत में कोई व्यापार या व्यवसाय करने के लिये कोई ऋण लिया जाता है तो उन पर दिया जाने वाला ब्याज भारत में हुई आय माना जाएगा । यह अनुरोध किया गया है कि यह उपबन्ध कुछ कठोर है । मैं इसलिये सम्बन्धित उपबन्ध को सीमित करता हूं जिससे एक अनिवासी द्वारा दिये गये ब्याज पर भारतीय आयकर के अन्तर्गत आयकर लगे तथा वह केवल उन्हीं मामलों पर लगे जिनमें ब्याज उक्त ऋण या धन पर दिया गया है जो भारत में व्यवसाय चालू करने के लिये किसी अनिवासी ने लिया हो ।

ऐसे मकानों की समस्या हल करने के लिये जिनमें मालिक स्वयं रह रहे हैं तथा जिन्हें प्रत्येक वर्ष कुल सम्पत्ति का ब्यौरा देते समय उसकी उचित बाजार मूल्य बताना है, वित्त विधेयक में उसके मूल्य को जिस वर्ष उसका निर्माण हुआ अथवा उसे खरीदा गया अथवा 1971-72 के निर्धारण वर्ष जो भी अन्तिम हो, के मूल्य के बराबर निश्चित करने का उपबन्ध है । अभ्यावेदनों में यह कहा गया है कि कुछ मामलों में शहरी सम्पत्ति का मूल्य गिर सकता है । अतः इस प्रकार मूल्य का हमेशा के लिये तय करने से कठिनाई उठ खड़ी होगी । इस कठिनाई को दूर करने के लिये मेरा प्रस्ताव है कि इस प्रकार की सम्पत्ति के मूल्य पुनः निर्धारण करदाता की इच्छा पर ही निर्भर होगा ।

इसके अतिरिक्त ब्याज कर अधिनियम 1974 के अन्तर्गत संयंत्र और मशीनों को ब्याज कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में यह संदेह उठाया गया है कि अनुसूचित बैंकों द्वारा कृषि कार्यों के लिये दिये गये ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज पर भी छूट होगी ।

इस वित्त विधेयक में संशोधन करके कुछ और करों से रियायतें देने का प्रस्ताव है। संसद सदस्य नियम, 1975 के अन्तगत सदस्यों को दिये जा रहे अतिरिक्त सुविधा भत्ते पर कोई कर नहीं लगेगा ।

इसी प्रकार परिवार नियोजन के लिये उदारतापूर्वक दान दिये जाने के लिये प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दानकर्ता द्वारा सरकार, स्वीकृत स्थानीय निकायों और संस्थाओं को परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिये दिए गए दान पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत कर से छूट देने के लिये आयकर अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्ध में संशोधन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० रानेन सेन (बारसाट): सरकार के इस दावे को सदन के दोनों ओर के सदस्यों ने चुनौती दी है कि बजट के बाद किये गये सर्वेक्षण के अनुसार मूल्य गिरे हैं। सदस्यों का कहना है कि मूल्य गिरे तो हैं ही नहीं वरन् कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं।

इसी तरह शिमला अंक ब्यूरो के इस दावे को मानना भी सम्भव नहीं कि इतने छोटे से समय में, 40 अंकों की कमी हुई है । इसके विपरीत ग्राम उपभोग की वस्तुओं के सम्बन्ध में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

यही नहीं, बड़े-बड़े व्यापारियों को अत्यधिक रियायतें दी गयी हैं। परन्तु हो क्या रहा है ? क्या उत्पादन बढ़ रहा है ? जबरन छुट्टी और छंटनी का वही पुराना सिलसिला चालू है। वित्त मंत्री इसकी जांच अवश्य करायें ।

मुझे केवल इतना ही कहना है कि पटसन उद्योग में लगे 25,0000 कार्मिकों में से लगभग 30,000 बेरोजगार हो गये हैं । क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा और दस पटसन मिलें बन्द पड़ी हैं। तालाबंदी, छंटनी आदि चल रहे हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कम्प्यूटर पद्धति शुरू किये जाने के कारण महंगाई भत्ते में कमी आई है। 'इकोनामिक टाइम्स' के अनुसंधान ब्यूरो के अध्ययन में बताया गया है कि 40 कम्पनियों का 46.5 प्रतिशत आस्तियों पर नियन्त्रण है जबकि उनकी कुल बिक्री 54 प्रतिशत है। इनमें से 10 कम्पनियां टाटाओं की, ग्यारह बिड़लाओं की तथा 19 अन्य गृहों की हैं । उनका यह भी कथन है कि मूल्य बढ़े हैं तथा लाभ भी । यह बात रिजर्व बैंक के अध्ययन में भी कही गई है।

टूथ पेस्ट, डालडा, अनिक, लक्स, रेक्सोना, कोका कोला आदि सभी बहु राष्ट्रीय कम्पनियों से बने हुए उपयोग में लाया जाता है ? दवाइयें भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की उपयोग में लाई जाती हैं।

कहा गया है कि निर्यात के विवधीकरण तथा प्रोद्योगिकी सम्बन्धी कमी को पूरा करने के लिये इन कम्पनियों को आमंत्रित किया गया था । समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इक्विटी भागीदारी पर पाबंदी लगनी चाहिये और तकनीकी सहयोग उस समय तक उचित नहीं जब तक इसे विदेशों से न लिया जाये । इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत हुए 3½ वर्ष बीत गये हैं लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया ?

जब तक सरकार उत्पादन नियंत्रित करने तथा अनिवार्य वस्तुओं की थोक बिक्री सम्बन्धी तथा वितरण के लिये कोई कदम नहीं उठाती उस समय तक मूल्यों में कमी नहीं होगी। इस प्रकार का कदम उठाने पर ही सर्वसाधारण लाभान्वित होंगे।

1 मार्च, 1975 तक सेवा निवृत्त पेंशन भोगियों की कुछ श्रेणियों को रियायतें दी गयीं हैं। लेकिन दो अथवा तीन वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को इस प्रकार की रियायतें क्यों नहीं दी जातीं ? वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि पेंशनभोगियों को 1 मार्च, 1975 से लाभ पहुंचाया जाये।

जसौर के 25,000 कार्मिक संकट में हैं। यद्यपि प्लास्टिक उद्योग के शुल्कों में कमी हुई है फिर भी सिल्वर लाइटरेट शीटों के आयात पर शुल्क है । अत: जापान को इसके आयात के फलस्वरूप इसकी कीमतों में वृद्धि हो रही है । अतः आयात शुल्क में कुछ कमी की जानी चाहिये ताकि यह छोटे स्तर का उद्योग जिंदा रह सके ।

सरकार को व्यापारी वर्ग के प्रति सतर्कता वर्तने में ढील नहीं डालनी चाहिये क्योंकि उन्हें बहुत सी रियायतें दी गई हैं लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुए और कर्मचारी परेशानी का सामना कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं वित्त मंत्री के स्वस्थ होने तथा बजट प्रस्तुत करने के लिये हर्ष व्यक्त करता हूं । 1975-76 का वर्ष वित्त मंत्रालय के लिये महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ष उठाये गये अनेक कदमों के अच्छे परिणाम निकले हैं। अत: श्री सुब्रह्मण्यम तथा उनके साथी इस वर्ष को अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियों के वर्ष के रूप में देख सकते हैं। आपकी उपलब्धियां सचमुच महत्वपूर्ण हैं।

वित्त विधेयक, 1976 में नये प्रकार के कर प्रस्ताव हैं। आशा है कि वित्त मंत्री के नये प्रस्तावों से करदाताओं को नई प्रेरणायें मिलेंगी । उन्हें अनुभव करना चाहिये कि आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के उद्देश्यों से अधिक वसूली की जा सकेगी।

आयकर अधिकारियों को बहुत शक्तियां दी गयी हैं । हमें विश्वास है कि प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कानून के अनुसार, सीमित लक्ष्यों के ही लिये किया जायेगा। लेकिन कुछ उदाहरणों से प्रतीत होता है कि शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। एक मामले में आयुक्त ने अपने अधिकारियों को एक वकील के घर की तलाशी लेने के लिये कहा था, जिसकी वार्षिक आय 10 लाख 75 हजार रुपये होती थी । उन्होंने उसके घर से दस हजार रुपये बरामद किये जिसे कि वकील ने अपनी सम्पत्ति कर सम्बन्धी घोषणा में दिखाया था । उन्होंने वकील के मेहमानों के सूटकेस तथा सामान की भी तलाशी ली। शक्तियों का इस प्रकार का दुरुपयोग

नहीं होना चाहिये । कर के मामले में हम उस स्थिति पर पहुंच गये हैं। जहां प्रति व्यक्ति कर घटकर अधिकाधिक 66 प्रतिशत पर पहुंच गया है। जबकि निगमित करों में 70 से 75 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार का रवैया कर के मामले में नहीं होना चाहिये। यहां यह निश्चित रखना जरूरी है कि निगमित कर का संतुलन व्यक्तिगत कर के साथ ठहरता है। इस प्रकार की कर प्रणाली उसी दिशा में सर्वोत्तम हो सकती है जब अधिकाधिक कर वसूली हो ।

जहां तक विकास भत्ते का प्रश्न है, यह नवीं अनुसूची एक इस प्रकार की अननुपातिक अनुसूची है जो इससे पहले न तो तैयार हुई है और न ही इसे विधान में स्थान मिला है। नवीं अनुसूची का आधार क्या है। क्या वित्त मंत्री ने कभी नवीं सूची की ओर ध्यान दिया है। हमें इस अनुसूची को हटा देना चाहिये।

विधेयक का खंड 27 एक ऐसी धारा के संशोधन से संबंधित है जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति कर अधिनियम में निर्धारिती का अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कोई कानूनी कार्य करने के लिये शुल्क से मुक्त किया गया हो। उसमें वकीलों को छूट क्यों नहीं दी गई। उन्हें क्यों छोड़ा गया है? जबकि उनका काम भी वकीलों के ही समान था। इस प्रकार के भेदभाव अनुचित हैं।

इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि बिजली अथवा हाथ से चलाने वाले करघों पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा यदि इन्हें ऐसी मशीनों द्वारा चलाया जाता हो जिसके लिये बिजली अथवा कोयला उपलब्ध न हो। दूसरे शब्दों में हथकरघा चलाने वाले लोग बहुत नुकसान में रहेंगे क्योंकि बिजली से चलाने वाले लोग इस काम के लिये आगे आयेंगे और अपना उत्पादन ऐसी मशीनों द्वारा करेंगे जिसके लिये बिजली अथवा कोयला उपलब्ध न हो; अतः बिजली से चलने वाले करघों पर भी उसी प्रकार का शुल्क लगना चाहिये चाहे वे कोयला अथवा बिजली से चलाई जायें, या नहीं।

प्रवासियों पर लगाये जाने वाले करों को सरल बनाने के लिये अनेक प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। एक प्रावधान विदेश में रायल्टी द्वारा अदायगी अथवा तकनीकी शुल्क की अदायगी से सम्बन्धित है। किसी बाहरी देश में हुए सौदे के लिये यदि तकनीकी शुल्क दिया गया हो तो विदेश स्थित भारतीय को भारतीय कानून के अनुसार, कर देना होगा। सम्भवतः मन्त्री महोदय को इस बारे में उचित परामर्श नहीं दिया गया है। इस प्रकार का प्रावधान संसद् की शक्तियों का उल्लंघन है। । इस संसद् को ऐसे सौदों का कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं, जो पूर्णतया इस देश से बाहर हुआ हो। अतः मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

जहां तक परिलब्धियों का सम्बन्ध है, आयकर विभाग ने 5,000 माहवार पाने वाले कर्मचारी के लिये मात्र 30 रुपये की परिलब्धियों का प्रावधान किया है। होटल में ठहरने वाला प्रबन्धक 30 रुपये से अधिक व्यय नहीं कर सकता। इन कर्मचारियों की परिलब्धियों में वृद्धि की जानी चाहिये। कम्पनी के प्रशासकों, तकनीशियनों तथा इंजीनियरों की परिलब्धियां कम होने के कारण वे नौकरी में नहीं आना चाहते। हां, इनके बारे में संगत रूप से विचार करना चाहिये।

सारे विश्व में व्यापार में मनोरंजन के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। केवल हमारा ही देश ऐसा है जहां मनोरंजन कर व्यय 1975 तक पूरी तरह अस्वीकृत किए जाते रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनोरंजन के नाम पर काफी घपला किया जाता है। मनोरंजन के नाम पर कर अपवंचन राशि स्वीकृत करती है, तो इससे न तो कोई फायदा ही होगा और न ही समस्या का हल होगा।

SHRI NATHU RAM MIRDHA (Nagpur) : At the time of discussion of Finance Bill, I cannot go without praising certain policies of the Finance Ministry. Two years ago we had been facing crises both from internal and external fences. The government and the people tried to get out of the difficulties.

The hon. Minister has stated that the policies of Budget for the year 1976-77 is in certain respects continuation of policies of 1975-76. Inflation was having its way throughout the world and consequently the prices of the commodities went on rising. There were difficulties in the country in every sphere of life. The reasons were both economic and political. The political reasons have been dealt with in an appropriate manner. We would have to carry on with the atmosphere created. In the financial provisions for the previous financial year there were more provisions for the progress of the country and for increasing production. The present budget provides for 25 percent more of production as against it stipulates 31 percent more of expenditure, our production has risen. With a view to stop tax evasion the highest rate of income tax has been reduced to 66 percent this year. Then in view of the present conditions in the country certain tax concessions and tax reliefs have been granted and certain reliefs in excise duty on certain raw materials have been allowed. This shows that the policies followed by our Finance Minister are quite correct.

The agricultural production has been fairly good this year and it is expected that it would rise by 5·5 percent. However the Finance Minister should still examine as to how poverty of rural people the farmers in particular could be removed and how the agricultural production could be increased. For that purpose the prices of fertilisers should be further reduced. That would exchange the larger use of fertilisers by agriculturists would result in increased productivity.

It is a peculiar feature of our economy that when farmers brought about larger agricultural production, the producers get about 50 percent lesser price for the produce than they get when the production was far far less. It is good that the Government intend to stabilise the prices of agricultural produce, but it has to be examined as to what expenditure farmers have to incur as a cost of production and what margin of profit they get their investment. For that purpose, the prices of agricultural implements tractors in particular and the prices of inputs used by farmers should be brought down. A serious study of this aspect should be undertaken by the Government. I suggest here that a multipurpose corporation should be set up to purchase agricultural produce at fair price and to supply it in the country where it is necessary or even to export it.

Every effort should be made to bring down the prices of components of tractors. Excise duty on tractors as well as their tractors should be brought down. Only the cheaper tractors could be made more popular among the farmers. An attempt to bring down the prices of inputs of agriculture will also be appreciated. The margin of profit for the farmer should also be fixed, after fresh analysis of cost of production.

Now rural and Cooperative banks are being opened in rural areas for the supply of credit to farmers but their number is inadequate to fulfil the needs of the people. A programme should be drawn up so that credit could be disbursed to the people at cheaper rates of interest. Until and unless adequate facilities for the disbursement of loans to farmers are provided, it will not be possible to strengthen the rural economy. Necessary steps must be taken in this regard.

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं वित्त विधेयक का स्वागत करता हूं । इस साल बजट से पूर्व की महत्वपूर्ण घटना यह थी कि पहली बार स्वैच्छिक प्रकटन योजना को लागू किया गया। इसके परिणाम बहुत ही प्रोत्साहनजनक रहे । कुल मिलाकर कर सरकार को 1578 करोड़ रुपये की धन दौलत का पता मिला। जिसके परिणामस्वरूप करों से 330 करोड़ रुपये की राहत मिली।

चालू वर्ष के बजट प्रस्तावों में कुछ नए उपाय शुरू किए गए हैं । जिसके परिणामस्वरूप सब प्रसन्न हैं। प्रत्यक्ष कर 77 प्रतिशत से कम करके 66 प्रतिशत कर दिये गए हैं और धन कर 8 प्रतिशत से कम करके ढ़ाई प्रतिशत कर दिया गया है। यह अच्छी बात है कि सरकार ने राष्ट्र की विकास गतिविधियों में लोगों द्वारा बचत की राशि को लगाने के लिये कुछ व्यवस्था की है। जहां तक कर प्रस्तावों का सम्बन्ध है करों में कमी और बचत के लिये प्रोत्साहन देने से लोगों को राहत मिली है और उनमें विश्वास उत्पन्न हुआ है । यही कारण है कि समाज के सभी वर्गों ने बजट प्रस्तावों का स्वागत किया है ।

वित्त मंत्री ने इस ओर काफी ध्यान दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत तथा आत्म-निर्भर बने । इस वर्ष वित्त मंत्री ने योजना व्यय के लिये 7,852 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इससे उत्पादन बढ़ेगा और परिणामस्वरूप मूल्य में कमी होगी और हमारी अर्थ-व्यवस्था मजबूत होगी ।

बिजली उत्पादन पर काफी राशि व्यय की जा रही है । इससे कृषि गतिविधियों और उद्योगों के लिये और बिजली मिलेगी । इसी प्रकार औद्योगिक विकास के लिये काफी राशि व्यय की जा रही है। पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें । पता चला है कि लगभग 4000 ऐसे लाइसेंस हैं जो प्रयोग में नहीं लाए जा रहे । अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहियें।

वित्त पोषण के मामले में वित्तीय संस्थाओं का रवैया बदलना चाहिये ताकि छोटे उद्यम-कर्ता उद्योग स्थापित कर सकें।

पिछड़े क्षेत्रों में बहुत कम उद्योग हैं । इसका कारण मूलभूत ढांचे का अभाव तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये लोगों की रुचि न होना है। राज्य के प्रत्येक जिले में विकास केन्द्र स्थापित करने के लिये सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिये । ऐसा करने से उद्योग पनपेंगे ।

अतः विकास केन्द्र की स्थापना के लिये प्रयत्न किए जाने चाहिये इससे पिछड़े क्षेत्रों के विकास का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।

गत वर्ष औद्योगिक उत्पादन में ढ़ाई प्रतिशत की और इस वर्ष साढ़े चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन यह वृद्धि अच्छे उपयोग के कारण हुई है न कि उद्योग स्थापित करने के कारण अतः नए उद्योग स्थापित करने के लिये और कार्यवाही की जानी चाहिये।

निर्यात में वृद्धि हुई है। यह एक अच्छी बात है। गत वर्ष 3800 करोड़ रुपये का रिकार्ड निर्यात हुआ था और इस वर्ष हमारा लक्ष्य 4500 करोड़ रुपये का निर्यात करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये अधिक उत्पादन की आवश्यकता है और अधिक उत्पादन तभी हो सकता है, जब और उद्योग स्थापित किए जाएं, और जिन उद्योगों को लाइसेंस दिया गया है उनका पूरा प्रयोग किया जाये।

कुछ मदों पर उत्पाद शुल्क अधिक है इसीलिए तस्करों को उन मदों पर मुनाफे की काफी गुंजाइश रहती है। अत: मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष वित्त मंत्री उत्पादन शुल्क में छूट देने पर अधिक बल देंगे। यदि उत्पाद शुल्क में कमी की जाती है अथवा उसे युक्तिसंगत बनाया जाता है तो इसके फलस्वरूप अधिक कर एकत्र होगा। अत: वित्त मंत्री को मामले की जांच करनी चाहिये तथा उत्पाद शुल्क को इस प्रकार संगत बनाया जाना चाहिये जिससे तस्करी रुकने के साथ-साथ स्थानीय उद्योग की सुरक्षा हो सके तथा वह अपना उत्पादन बढ़ाएं।

SHRI BIBHUTI MISHRA (Motihari) : I am grateful to the Minister for giving relief in the prices of tractors and thereby helping the poor farmer. He also deserves our congratulations for the special zeal as a result of which Voluntary Disclosure Scheme has proved to be grand success. The booklet published by the Finance Ministry indicates the pious intention of the Government to help the farmers. But I am sorry to point out that it is not known as to what will be infra-structure of the organisation to be set up at lowest level. It has also not been stated as to how the recommendations will be implemented.

It is a matter of satisfaction and pleasure that agricultural production has exceeded the target this year. But at the same time I may point out that it is a strange thing that when farmers produce more, they got lesser price for their produce. The prices of wheat and sugarcane have been fixed at a level which is not remunerative to agriculturists. Consequently their production is going down in the country. In order to set the things right in this regard, it is necessary for the Government to constitute an integrated price commission which should undertake study of cost production incurred by agriculturists. The prices of agricultural commodities should be fixed at in such a manner that neither the producer nor the consumer should be put to loss.

The sugar factories functioning in North Bihar are too old and their recovery is too less. It results in loss to sugarcane growers. The Government should either take over the same or should make some arrangement to modernise the same so as to have more recovery from sugarcane.

There are press reports Pakistan in collaboration with France is trying to make atom bomb. In view of this serious development, I suggest that India should also undertake the manufacture of atom bomb as it becomes necessary for maintaining the balance of power. Adequate funds should be provided for this purpose.

Now with regard to rural banks, I may draw the attention of the Government towards the fact that these banks being opened at a low speed. Unless adequate credit facilities are provided to the farmers. our rural economy cannot be made as production oriented economy. Similarly the functioning of co-operatives has also not been very encouraging. Funds should be made available to them from Reserve Bank so as to meet the demands. Rural Banks should be opened rural areas in as much large number as possible. It will be better if the Central Government made an enactment to supervise and control the cooperatives. The limit of 8 km. as imposed on the Rural Banks for disbursement of loans should be extended. It is unfair to say that rural banks cannot issue loans because they have not got adequate staff. More staff should be provided in rural banks.

A large investment to the tune of Rs. 135 crores has already been made on the Gandak Project which had been pending for the last 20 years. But still it is not known as to when its work will be completed. The Central Government has given large amount for this project to state Government so, it should also exercise its authority to get the project completed at the earliest.

Regarding distribution of land I may submit that it is not being done properly. The units of land which are being distributed among Harijans should be economically viable units so that they could maintain them on the cultivation of those holdings.

Every year North Bihar is affected by floods which cases great loss to agriculture as well as to the people. To make up these losses, the Central Government has to pay large amount as assistance. Some serious thought should be given to this problem and a permanent solution should be brought out.

Due attention should be given by the Government to the development of backward areas so that people of those areas could get employment.

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : प्रस्तुत बजट का उद्देश्य कृषि औद्योगिक दोनों क्षेत्रों की विकास दर को बढ़ा कर अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। प्रस्ताव बहुत यथार्थवादी है। मुद्रा स्फीति का पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस बात को अब अच्छी तरह जान लिया गया है पूंजी निवेश भत्ते के आरम्भ तथा लाभांश पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

बजट से निम्न तथा मध्यम आय-वर्ग के लोगों को कुछ राहत प्रदान की गई है लेकिन यदि आयकर की छूट सीमा को 8000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा और इससे राजकोष को बहुत हानि नहीं होगी।

निर्यात संवर्धन प्रयासों को बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। निर्यात संवर्धन उपायों को अधिक सफल बनाने हेतु और राहत दी जाए।

SHRI B. L. SHAKULA (Bahraich): I welcome and support the Finance Bill, because almost all the sections of society are happy to have such a budget. It has been the General policy of the Government to bring down the taxes and at the same time to encourage the people who pay their taxes honestly. Agriculture is the main industry of our country. It is the backbone of our economy. In order to sustain the growth of our economy, efforts will have to be made to strengthen our rural sector. It is noticed that these days the prices of agricultural commodities are coming down but the prices of manufactured articles and agricultural inputs are still quite high. It is likely to prove as an disincentive to farmers. Immediate steps should be taken to bring down the prices of agricultural machinery and other inputs.

It is a matter of grave concern that the number of educated persons as well as uneducated persons, who are unemployed is on increase. A crash programme should be taken by the Government to provide employment to youth. Quite sometime back there was a scheme for the allotment of petrol pump to unemployed graduates. But what has happened to it ? It should be ensured that this scheme is implemented at the earliest, the problem of unemployment should be tackled at warfooting.

With these words. I once again support the Bill.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : जबकि यह वांछनीय है कि हम सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास दोनों की प्राप्ति एक साथ करें लेकिन जहां पर इन दोनों की प्राप्ति एक साथ

संभव न हो वहाँ सामाजिक न्याय को ही प्रमुखता दी जानी चाहिए। हमारे जैसे समाजवादी लोकतन्त्र देश में बजट बनाते समय इस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। यदि सामाजिक न्याय हेतु आर्थिक विकास का बलिदान भी करना पड़े तो अवश्य किया जाना चाहिये।

अर्थ-व्यवस्था के विकास का रोजगार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। हम अपने देश के जन साधारण अथवा निर्धन परिवार की सहायता उनके बच्चों को रोजगार देकर कर सकते हैं और यही सबसे व्यवहार्य तरीका है। यह आश्चर्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्षों उपरान्त भी हम इस कार्य को पूरा नहीं कर सके हैं। वास्तव में हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं जब तक वित्तीय नीति इस उद्देश्य को दृष्टिगत रख कर नहीं बनाई जाएगी तब तक हम वास्तविक प्रगति नहीं कर सकते।

हमारे वित्तीय विधेयक में यह व्यवस्था भी की जा सकती है कि किसी उद्योग अथवा उद्यम में नए रोजगार बनाए जायेंगे तो उस उद्योग को करों में कुछ छूट दी जायेगी।

यह बड़ी हैरानी की बात है कि ट्रैक्टरों के स्थान पर कारों इत्यादि के सम्बन्ध में कर छूट दी गई है। कारों के मूल्य में कमी से उनके उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक पैट्रोल की कीमत नहीं घटाई जाती कारों की मांग नहीं बढ़ेगी। इसलिये मोटर स्प्रिट पर लगाए जाने वाले उत्पादन शुल्क में कमी करने पर विचार किया जाए।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह सराहनीय है क्योंकि इस बार उसमें सरकार द्वारा कुछ साहसिक कदम उठाये गये हैं। उनके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

[**श्री इसहाक सम्भाली** पीठासीन हुए।]
[SHRI ISHAQE SAMBHALI *in the Chair*]

लगभग 50 हजार करोड़ रुपये के हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 50 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र की देन है। यदि इस वर्ष हमारी अर्थ-व्यवस्था ने एक नया मोड़ लिया है तो इसका अधिकांश श्रेय किसान को जाता है। यदि किसानों को अपने उत्पाद का कम मूल्य प्राप्त होता है और उन्हें कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों तथा पदार्थों के लिये अधिक मूल्य देना पड़ता रहा तो वह उत्पादन की वर्तमान दर को बनाये नहीं रख सकेंगे।

सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कुछ साहसिक कदम उठाये गये हैं जिनके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

अतः मन्त्री महोदय को कराधान, कम से कम ट्रैक्टरों, उर्वरकों तथा कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले अन्य पदार्थों तथा बिजली इत्यादि पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क कम करना चाहिये ताकि किसानों का भार सीधे ही कम हो जायें।

औद्योगिक क्षेत्र के 25 हजार करोड़ रुपये के कुल उत्पादन में 40 प्रतिशत अथवा लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के मूल्य के औद्योगिक कार्य स्थिर पड़े हैं। ऐसा क्रय क्षमता में कमी

तथा प्रति स्थापन उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण हैं। विकास छूट के बंद कर देने के बाद से उद्योगों के पास प्रति स्थापन की वास्तविक लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं रह गये हैं। इस दौरान प्रतिस्थापना लागत भी लगभग दुगुनी होती है। सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिये तथा उद्योगों के स्तर को किसी न किसी तरह बनाये रखना चाहिये। हमें यह याद रखना चाहिये कि यदि औद्योगिक उपकरण अलाभप्रद बन जाते हैं तो इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा। परिणामस्वरूप देश में भारी मुद्रास्फीति होगी। अतः उपलब्ध मशीनरी की सुरक्षा की जाये और विकास दर के बराबर की राशि जिसकी सरकार ने आयोजना की है, का प्रबन्ध उद्योगों को अपनी बचत और पूंजीनिवेश के द्वारा करना होगा। करों के समायोजन द्वारा हम आसानी से इस कठिनाई से छुटकारा पा सकते हैं।

15 अथवा 18 प्रतिशत ब्याज की दर से कम दर पर ऋण कहीं भी प्राप्त नहीं होता लेकिन बैंक जमाकर्ताओं को केवल 9 से 11 प्रतिशत तक ब्याज देता है। बैंकों को इतना अन्तर नहीं बनाए रखने देना चाहिये। वर्तमान दर पर प्राप्त होने वाले अतिरिक्त ब्याज को एक अलग खाते में जमा किया जाए तथा उस राशि का प्रयोग सरकार को मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों में करना चाहिए। यह खेद की बात है कि अभी तक बैंकों की ब्याज की दर काफी अधिक है। ऋण दिये जाने पर अभी भी नियन्त्रण लगा है। यद्यपि नए लाइसेंस दिए जा रहे हैं परन्तु ऋण के अभाव में फैक्टरियाँ स्थापित करने के काम में रुकावट आई है।

हमारी बैंकिंग व्यवस्था ऐसी नहीं है जिससे ग्रामीण क्षेत्र को अधिक लाभ पहुंच सके। अंग्रेजों ने बैंकों की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की थी। यह कहा जाता है कि हम छोटे किसानों को ऋण नहीं दे सकते, क्योंकि वे ऋण को लौटाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। मेरा सुझाव है कि उन्हें ऋण देने के लिए सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए और यह कार्य शहरियों के बजाय गांव के लोगों को ही सौंपा जाए क्योंकि वे वहां की समस्याओं को अधिक समझते हैं।

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur): Bihar is one of the least developed states in our country. It is regrettable that Bihar, inspite of its backwardness, did not receive adequate amount for its development for the last many years. This year also the plan allocation for Bihar is inadequate to meet its requirements.

The plan allocation for Bihar should be raised by at least Rs. 35 crores. I hope that this amount will be made available to my state to meet its immediate requirements.

Last year there have been devastating floods in many parts of Bihar, including Patna. Bihar Government require 5 to 10 crores of rupees for flood Control measures. I will request the Minister to allot this amount to Bihar.

The white-Collar class which include lawyers, doctors and engineers are among the big tax-dodgers. Urgent steps should be taken by the Minister to see that these persons who are evading taxes all these years and cheating the Government to the tune of lakhs of rupees should be brought to book.

Domestic gas cylinders should be fitted with gauges so that the quantum of gas inside the cylinder could be known. This simple device will prove very helpful to gas Consumers.

SHRI M. C. DAGA (Pali) : Government often talk of austrarity measures. But these measures are hardly put into practice. Government departments continue to indulge in wasteful

expenditure and to that extent it is a misuse of tax payers money for which the Government once an explanation to the people and to the country.

It is regrettable that even now many of the Government Departments are over-staffed and no scientific work-norms have been fixed. Over time allowance is still being paid to the staff. All these things should be looked into and remedied.

Public enterprise and Government corporations are running in loss. The D.T.C. is incurring huge losses year after year. This also apply to super bazars. The hotels set up by the Department of Tourism are also running in loss. Government should seriously look into it and see that these public enterprises are managed properly and efficiently.

Rajasthan has been neglected in the matter of financial assistance given by various Government financial institutions to the states. Rajasthan got the lowest amount. Regional imbalances in our country are on account of such things. The Government should check wasteful expenditure both at the Centre and in the States. We can progress only if that is done.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : The Finance Minister has given certain concessions but these concessions benefit only rich farmers. There is need to give concessions to medium and small farmers.

Prices of agricultural commodities have fallen, but prices of industrial goods have not fallen correspondingly. Apart from this, cost of agricultural inputs have gone up. Water rates and agricultural rates have been increased and land revenue had also been increased considerably. All this has created discontent among ordinary farmers. The Government should pay more attention to the difficulties and problems of these farmers and take steps to remove them.

Workers are increasing production, but the Government is decreasing their bonus . This type of anti-labour policy should be given up by the Government.

The 20-point programme is not being implemented in the States. Bureaucracy is not interested in implementing the programme. Wages of agricultural workers have not been increased. Rate of interest which people in rural areas have to pay is exorbitant. All these problems are still there. Attention should be paid to the proper implementation of the 20-point programme.

Demolition of structures of poor people is going on in cities like Delhi and Patna. Poor people are affected by this demolition. Proper alternative accommodation with necessary facilities is not being provided to them. The Government should safeguard the interests of the common people and should not do anything which causes hardship to them.

Government is giving only one-room accommodation to class IV employees. At least two room houses should be provided to them.

There is shortage of drinking water in all states especially during summer. There is great difficulty due to shortage of water in Patna . The Central Government should take steps to ensure supply of drinking water to the people.

The Government has given money to construction of a bandh to protect Patna city from floods. It is welcome. But proper compensation should be given to farmers whose land is affected.

It has been denied by the Government that there is any coercion in the matter of family planning. The fact is that school teachers are still being pressurised to bring cases for sterilisation. This thing should stop. Family Planning is a good thing for the country but it should not be implemented through coercion.

Kerosene oil is used by poor people. But no announcement has been made to reduce the price of kerosene oil. Not only its price should be reduced but its proper distribution in sufficient quantity should be ensured.

SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR (Durg) : The Budget should be presented in November every year instead of February. Now what happens is this that after the budget is approved and money is given to states for construction works, the rainy season is about to start. This money is not utilized on construction work which is held up due to rains. If the budget is presented in November the money can be given to states well before the rains for speedy execution of construction works.

The procedure for giving loans to people in rural areas should be simplified. At present the procedure is so complicated that it takes long time to get a loan. People should be able to get loans without undue delay after minimum formalities. Also there is need for changing the outlook of the officers dealing with sanction of loan.

The Finance Ministry should give the information as to how much loan has been given to farmers in each district. This information will be very useful.

The Government should introduce crop insurance early. The Minister should tell us whether Government have a mind to introduce crop insurance or not.

Price of industrial goods is fixed by tariff commission. A similar body should be set up for fixing price of agricultural products.

Unemployment is increasing rapidly. Certain steps have to be taken to tackle this problem. For a population of every 10 lakhs there should be a multi-purpose agricultural farm. Farmers should be given education there for use of modern methods of agriculture. Farmers should be given seeds, fertilizers etc., in these farms. All the requirements of farmers should be met by these farms.

Similarly for a population of every 10 lakhs there should be a multi-purpose industrial training centre which should train our young people for taking up various jobs. These farmers and industrial training centres will go a long way in tackling the problem of unemployment.

SHRI PARIPROORNANAND PAINULI (Tehri-Garhwal) : There has been lot of improvement in the economic situation in the country especially after the proclamation of emergency and announcement of the 20-point economic programme by the Prime Minister. Our growth rate has gone up. A number of steps have been taken to unearth blackmoney. The Ministry deserves congratulations for the improvement in the economy of the country.

Our planning should take into account the situation that will arise in the coming decades. Our population is increasing at a very fast rate. Our planners should take into account the population that will be there around the year 2000 and also the situation in other spheres at that time.

There is lot of national wealth in the hill areas of our country. But adequate attention has not been paid to the developement of these areas. Hill areas should be developed on the pattern on which plains are being developed. Special provision should be made in the budget for the development of hill areas.

There is lot of poverty in the hill areas. Steps have to be taken to increase the purchasing power of the people there. Horticulture should be developed. Tourist industry is of utmost importance for hill areas. Special attention should be paid for the development of tourism in these areas.

At present resources of hill areas are being utilised for the benefit of people in the plains. People of hills have now woken up and they understand the whole situation. Therefore, resources in hill areas should be utilised for the benefit of these people.

There is need to protect the interests of farmers in hill areas. Steps should be taken in this direction. A body on the lines of Tea board or Coffee Board should be set up for apples also.

Schemes for afforestation on a mass scale in catchment areas should be taken up. Plantation of 'Kalpa' tree will be of immense value. Special attention should be paid to it.

Per capita financial assistance being given to Bundelkhand is very low. Eastern districts and hill areas of U.P. are always neglected. It is not enough to allocate funds for the development of these areas. But funds should be utilised in a manner which benefit the people. Contract system should be abolished in hill areas. Funds should be made available to the people direct.

Communication facilities should be provided in inaccessible areas in hill regions. This will help in the development of these areas. Roads should be built to go to Hem-Kund Lokpal and Rupkund.

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : प्राक्कलन समिति ने अपने 76 वें प्रतिवेदन में इस बात पर निराशा प्रकट की है कि छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया। इसका कारण वित्तीय कठिनाइयां भी हैं और काम की धीमी प्रगति भी है अतः इस प्रकार के संगठन बनाने का सुझाव दिया गया है; ताकि इस काम पर पूरी नजर रखी जा सके। इस कार्य के करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जाये ताकि इन परियोजनाओं का काम शीघ्र पूरा किया जा सके।

चौथी योजना के अन्त में 3000 करोड़ रुपया खर्च करके लगभग 2210 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया था । परन्तु प्रयोग केवल 190 लाख हेक्टेयर क्षमता का ही किया गया है। यदि हमने सिंचाई की उपेक्षा की तो हम अपनी जनता को अनाज नहीं दे सकेंगे यह अपेक्षा बढ़ती ही जा रही है।

उड़ीसा में 'कमान क्षेत्र' है। दूसरी योजना में वहां मध्यम परियोजना चालू की गई थी, अब भी चल रही है। मेरा निवेदन है कि कमान क्षेत्र के किसानों को ठीक ढंग से प्रशिक्षित किया जाना चाहिये । ऐसा न हो कि इस परियोजना पर जो धन खर्च किया गया है, वह बेकार चला जाये और किसान खाद्यान्न उत्पादन के लिये पानी का उपयोग ही न कर पायें।

उड़ीसा के बालासोर जिले में तूफान भी आयें हैं और बाढ़ें भी, सूखा भी पड़ा है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वह भीमकुंड परियोजना को अपने हाथ में लेकर तुरन्त उसे चालू करवाये। ऐसा लगता है कि इस परियोजना को पांचवीं योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को 50 प्रतिशत तक का खर्च देने को तैयार है। इस खर्च की अवधि दोनों सरकारें परस्पर सलाह से तय कर सकती हैं। यदि केन्द्रीय सरकार इसे लेना चाहे तो तब भी राज्य सरकार से सलाह करके वह इसका निर्णय कर सकती है। मंत्री महोदय को लागू किये जाने की योजना को अन्तिम रूप देना चाहिये।

SHRI DARBARA SINGH (Hoshiarpur) : This year's Budget has been appreciated every where. This is the first time when there has been no increase in taxes and some relief has been given in direct taxes. This is no doubt commendable. But at the same time it is necessary to rationalise the indirect taxes as well. It is only when this is done that production will be stepped up.

Under the 20-point programme a land ceiling law was passed. But as yet we do not have correct information in regard to the area of the surplus land. The purpose of the land ceiling legislation is to step up production. But this will be possible only if intensive cultivation is undertaken.

So far as industries are concerned, if the Government goes on taking over the sick industries, it will have to suffer a big loss. The industries should be told to take care of themselves. The Government should fix target for them and if they fail to realise them, they should be penalised.

There is great need for opening cooperatives for the marginal farmers so that they can get loans for agricultural operations. The nationalisation of banks is welcome. But the procedure of getting loans is very cumbersome, it should be simplified.

This year food production is going to be of the order of 11·4 crore tonnes. But the handling charges are very high; steps should be taken to reduce the same. When the traders handle it their expenditure is not more than Rs. 15-16 per quintal. But when the Government ha ndles, it is Rs. 28-29 per quintal. What is the reason for it?

As regards prices, no doubt, there has been a crash down. But this has been only in the case of agricultural commodities. Why there has not been a corresponding fall in the prices of manufactured goods. Some steps should be taken so that their prices also come down. The agricultural inputs need special attention in this regard. The prices of tractors should be reduced by 50 per cent.

The industries should not be concentrated in any part of the county. At present some states are getting more industries than others. This will not help in reducing our unemployment.

Instead of spending money on the construction of tube railway for the metropolitan cities, this money should be diverted for setting up of agro-industrial complexes around small towns.

Certain new problems have cropped up in regard to the distribution of surplus land to Harijans. While 3 per cent Harijans are getting land, tension is increasing among the remaining 97 per cent. Also, the one or two acres of land that is being given is not an economic unit.

As regards the 20-point programme, it should not remain on paper. It should be made action oriented and the accountability ofthe States should be fixed.

Agriculture should be made a concurrent subject. Facilities should be given to the artisans for setting up cottage industries. The loss of foodgrains by rats and insects should be reduced.

Thermal plants based on coal should be set up. It will help in irrigation, setting up of factories and increase in production. Economic power should not be allowed to be concentrated in one place. It should spread throughout the country. Only then we can prosper.

SHRI MOHAN SWARUP (Pilibhit) : Economy of our country can be strong only when the disparity between the rich and the poor is removed. The 20-point economic programme has brought new hopes and a new climate which should be utilised for the development of the country. This programme should not remain on the papers only but it should be fully implemented.

Truck owners are being exploited by financiers who carry on their business after getting licence from the Reserve Bank. The Finance Ministry should take stringent action against these financiers. Their mode of working should be radically changed so as to save those truck-owners from exploitation.

The steps recently taken by Government to check tax-evasion are commendable. I will support the contention that stringent action should be taken against the tax-evaders, but at the same time those who pay taxes regularly and do not conceal their income should be given some tax relief as incentive.

A good deal of smuggling is going on in opium and gold. Government purchase opium at the rate of Rs. 130/ per Kilo and sell it at Rs. 600/- after refining it at Ghazipur factory.

The opium growers should be given a price of Rs. 300/- per Kilo, which is being sold by smugglers at Rs. 1200. Similarly, gold is being sold at Rs. 600/- per tola whereas it is sold at 250/- or 300/- per tola in Europe or Nepal. If its price is reduced, it will go a long way in preventing smuggling.

Excise duty and sales tax should be levied at the productin-centre and it should be realised at that point. This will facilitate tax collection and reduce large number of tax collectors.

The price of wheat has reduced. It is being sold at Rs. 80 and Rs. 95 per quintal in the markets of Uttar Pradesh whereas its support price has been fixed at Rs. 105/- per quintal. There should be some sort of coordination or some ratio between the prices of agricultural produce and the prices of products manufactured in factories. The agriculturist today is facing great hardships and his economic condition has been deteriorating because he gets lesser price for his produce whereas he has to pay higher price for necessary inputs. Therefore, some thing must be done to protect the interests of the farmers. Steps should be taken to make Sugar Mill Owners pay the arrears to sugarcane growers at the earliest. It is high time to nationalise sugar industry.

My constituency Pilibhit is a backward area. There are no employment opportunities there. Therefore more attention should be paid for the development of backward areas.

Reference has been made for crop insurance. I am also infavour of this scheme being introduced. Therefore, steps should be taken to introduce crop insurance scheme and to open rural banks so that the economic condition of the farmers may improve and they are able to increase their production. Similarly in other sectors also production should be increased only than our country can develop. Therefore Government should pay more attention to the promotion of our exports.

I, therefore, support the provisions of Finance Bill.

श्रीमती रोजादेश पांडे (बम्बई मध्य) : 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् हमने आशा की थी कि औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकारवादियों को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि उन्हें और अधिक रियायतें दी गई हैं। इन रियायतों के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र में निवेश नहीं बढ़ा है और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी नहीं आई है। औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में भी गिरावट नहीं आई है। हम एकाधिकार क्षेत्र का सामना करने हेतु सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्योग में प्रवेश करने की नीति अपना रहे हैं। एकाधिकारवादियों को इस देश की अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार करने में कोई रुचि नहीं है। वह लोग तो केवल मुनाफा कमाना चाहते हैं। उनके मुनाफे में कोई कमी नहीं हुई है। अब तो हमारे लिए एकमात्र रास्ता यही रह गया है कि हम कपड़ा, चीनी तथा औषधियों जैसी आवश्यक वस्तुओं के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करें। औषधियों के मूल्यों में कमी करने तथा उन्हें इस देश के लोगों को उपलब्ध कराने का एक यही तरीका है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। समझ में नहीं आता कि हम फाईजर तथा ग्लैक्सो जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं ?

कर अपवंचकों तथा तस्करों के विरूद्ध वित्त मंत्री ने जो कदम उठाए हैं, उनके लिए वह बधाई के पात्र हैं। फिर भी बजट में तथा नीति में मुख्य बात यह होनी चाहिए थी कि एकाधिकारवादियों और उनके उद्योगों पर कुछ प्रभाव डाला जाता और सरकारी क्षेत्र को मजबूत किया जाता।

सरकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हमें कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत आप उनकी आलोचना करते हैं। नए बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा देते हैं। वित्त मंत्री

द्वारा कुछ कदम उठाए जाने के बावजूद देश में अभी भी कर्मकारों एवं सरकार के बीच संबंधों में सुधार करने की गुंजाइश है। ये ही लोग आपकी सहायता कर सकते हैं।

जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच हुए समझौते को समाप्त करने के लिए सरकार विधेयक लाई है। वित्त मंत्री को जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के साथ किए गए समझौते पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। वित्त मंत्री को जीवन बीमा निगम कर्मचारियों संबंधी विधेयक पर भी पुनर्विचार करना चाहिए।

ज़ीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों का दर्जा बदला जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने वित्त मंत्री को अभ्यावेदन भेजा है। वित्त मंत्री को उस पर विचार करना चाहिए।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरीडीह) : हम वित्त विधेयक का इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि इसमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है और सामाजिक न्याय तथा आत्मनिर्भरता के लिए इसमें वित्तीय तथा मुद्रा संबंधी उपाय किए गए हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर अग्रसर होगी।

अब परिस्थितियां बदल गई हैं। बजट के व्यावहारिक दृष्टिकोण, प्रधान मंत्री के नए आर्थिक कार्यक्रम एव अर्थव्यवस्था की वास्तविक गतिविधियों से हमारे मन में सुखकर भविष्य की आशा जागृत हो गई है। हमें पता है कि भुगतान संतुलन में भारी घाटा है फिर भी हम उर्वरक जैसी वस्तुओं में 1978 तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इससे बजट का घाटा 50 प्रतिशत तक कम हो जाएगा और भुगतान संतुलन में भी सुधार होगा।

बाक्साइट और तांबे के भारी निक्षेपों के निकलने से हमारी विदेशी मुद्रा भी बहुत बचेगी। और हम इनका निर्यात भी करने लगेंगे। लेकिन कर अपवंचन, चोरबाजारी, जमाखोरी और तस्करी अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

जहां तक मूल्यस्थिति का संबंध है, मुद्रास्फीति कम हुई है। यदि हम तस्करों, चोरबाजारी करने वालों तथा जमाखोरों के विरुद्ध कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो हमें और अधिक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा।

हम ग्रामीण ऋणग्रस्तता समाप्त करने संबंधी योजना का स्वागत करते हैं। यदि हमें ग्रामीण श्रमिकों, ग्रामीण जनता को ऋण से राहत दिलानी हैं और दो फसल वाली अर्थव्यवस्था और सापेक्ष विकास संबंधी योजना को कार्यरूप देना है तो हमें अधिकाधिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना करके इस योजना को कार्यान्वित करना है। यदि हमें ग्रामीण लोगों को उनकी वर्तमान दयनीय दशा से छुटकारा दिलाना है तो एकमात्र उपाय उन्हें अधिकाधिक ऋण देने का ही है। और बैंक की ब्याज दर कम करना है। ताकि निवेश को लाभप्रद बनाया जा सके। संतोष का विषय है कि अवमूल्यन हो रहे स्टर्लिंग पौंड का रुपए से संबंध विच्छेद कर दिया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री बधाई पात्र हैं।

जहां तक ऋण देने संबंधी सेवा का संबंध है, हमारे जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जब तक बचत दर अधिक नहीं होगी विदेशी ऋण और विदेशी सहायता बढ़ती रहेगी और खपत का स्तर भी बढ़ेगा इससे अन्तरक्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ता है। यद्यपि मुद्रास्फीति की दर कम हो गई है। फिर भी वितरण प्रणाली में सुधार की गंजाइश है।

ग्रामीण क्षेत्र में वितरण प्रणाली उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि औद्योगिक केन्द्रों तथा नगरों में है।

हम एक टन कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए 150 रुपए खर्च करते हैं। लेकिन जब तक हम कोयला ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंचाएंगे और गोबर का खेती के उपयोग में नहीं लाएंगे हमें तापीय बिजली बनाने के लिए एक टन कोयला उपयोग करने में पूंजीगत परिव्यय पर 2000 रुपए प्रतिटन खर्च करना होगा। हमें इस मामले पर नए सिरे से विचार करना होगा।

अभ्रक उद्योग में लगभग 2 लाख महिलाएं काम करती हैं जिनकी मजूरी बहुत ही कम है। उनकी मजूरी 1.50 रुपए से 2 रुपए प्रति सप्ताह है। इन महिला कर्मकारों को राहत दिलाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिएं।

छोटा नागपुर क्षेत्र में चमड़ा बनाने वाले लगभग 400 कारखाने फालतू पुर्जों के अभाव के कारण बन्द हो गए हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इन फालतू पुर्जों का देश में ही निर्माण किया जाना चाहिए।

गिरीडीह में उत्पादन शुल्क वसूल करने में सरकार को बहुत धन व्यय करना पड़ता है। जिला मुख्यालय में एक आयकर निरीक्षक नियुक्त करना चाहिए। इससे शुल्क वसूल करने में सहायता मिलेगी और सरकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। कई राज्यों में बढ़िया किस्म का गन्ना पैदा होता है और वे उत्पादन शुल्क भी देती हैं लेकिन उनके लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं दी गई थीं। अब सहकारी क्षेत्र में अनेक फैक्टरियां चीनी बनाती हैं। लेकिन इन चीनी मिलों ने अनेक प्रकार की नीति बनाई हैं। जिससे गन्ना उत्पादकों को लाभ नहीं है।

11 जुलाई, 1975 तक आंध्र प्रदेश में चीनी का लेवी मूल्य 149.55 रुपए प्रति क्विंटल था। 12 जुलाई, 1975 से सरकार ने लेवी मूल्य 117.48 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

दक्षिण बिहार में 13–14 टन प्रति एकड़ उपज होती है। क्योंकि वे कम उत्पादन कर रहे हैं और उसमें चीनी तत्व केवल 8 प्रतिशत है इसलिए अक्षमता को पुरस्कृत किया गया है। जबकि हमने गन्ने का अधिक उत्पादन किया है और निवेश भी अधिक किया है, फिर भी हमारे यहां लेवी मूल्य केवल 117 रुपए प्रति क्विंटल है। दक्षिण बिहार में चीनी का लेवी मूल्य 441 रुपए हैं। हमारे अभ्यावेदन पेश करने से सरकार ने यह लेवी मूल्य घटाकर 286 रुपए किया है। आंध्र प्रदेश में लेवी मूल्य में 8 रुपए की ही वृद्धि की गई है। उन्हें कम क्षमता के लिए दण्डित किया जा रहा है।

प्रत्येक गन्ना उत्पादक चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के पक्ष में हैं। जब श्री सुब्रमण्यम खाद्य मंत्री थे तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में एक आधुनिक चावल मिल लगवाया था। उस कारखाने की स्थापना पर 33 लाख रुपए खर्च हुए थे। लेकिन राज्य सरकार वसूल किए गए लेवी धान को इस कारखाने को देने के लिए तैयार नहीं है। इससे सोसायटी को अब तक 33 लाख रुपए का घाटा पहुंचा है।

सरकार चीनी उद्योगों से करोड़ों रुपयों का उत्पादन शुल्क वसूल कर रही है। चीनी नीति का लाभ उठाकर कुछ निहित स्वार्थ यह प्रचार कर रहे हैं कि सरकार दक्षिण के राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार वसूल की गई उत्पादन शुल्क की राशि का उपयोग गन्ने के विकास के लिए नहीं कर रही है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 6 लाख टन गन्ना कम पैदा हुआ है। चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। यह उद्योग देश के लिए बड़ी मात्रा में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमा रहा है। सरकार को इस उद्योग का विकास करने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

SHRI RAM SINGH BHAI (Indore): I support the Finance Bill and Congratulate the Minister and his department for presenting such a welcome budget. There have been many gains of emergency. Production has greatly improved and the prices have come down during the last eleven months. The credit for this should go to our Prime Minister and the Finance Minister.

The growth in the economy, which has been there have to be sustained. For this, industrial production has to be increased. Government should see that all industries go on producing to their full capacity.

In order to boost our export we have to modernise our industries. Unless we do this our country will not be able to stand in the export market which has become too competitive. Besides, adequate attention has to be paid to proper maintenance of the machinery. This single factor can contribute to higher production without much investment.

It is regrettable that when a worker is retrenched or dies he is not given his gratuity. Government should set up a gratuity Trust so that the amount of gratuity can be handled by the Government and can also be used profitably for development purposes.

Some limit should be imposed on the expenses of the Companies on advertisement. Some companies are spending huge amount on advertisements even at the cost of gratuity of their workers. This should be looked into an companies should not be allowed to use gratuity amount for the purposes.

The workers in Hoshangabad, Hyderabad, Nasik and Calcutta security presses are receiving incentive bonus. But the same is not being paid to workers in Devas Security Press. This should be looked into and a uniform policy should be applied to all security presses in the interest of peaceful labour relations.

SHRI NAGESHWAR DWIVEDI (Machhlishahr) : Sir, I support the Finance Bill. The taxation policy announced by the Finance Minister is welcome throughout the country. It has a good result, because not a single commodity has been effected by price rise.

The policy persued by the British ruler has ruined our economy and created wide disparity among the rich and the poor. Naturally it was expected that after freedom this situation will change and disparities will be reduced. I am happy that under the dynamic leadership of our Prime Minister certain revolutionary steps like nationalisation of banks and abolition of privy purses etc. were taken which gave a new force and direction to our economy.

While majority of our working population can hardly earn square meals a day few people have become rich by manipulation and by adopting unscrupulous means. Government should keep a strict watch over these unscrupulous elements and they should not be allowed to prosper at the cost of the society.

The system of overtime allowance is still prevalent in the Government of India. Effective steps should be taken to reduce it still further. Efforts should be made to appoint new hands instead of paying overtime allowance to the existing incumbents. This will also increase employment opportunities to our young men.

Huge expenditure is being incurred on advertisements by the companies. The companies should not be allowed to spend more than a certain limit on advertisements.

With these words I support Finance Bill.

SHRI SUKHDEV PRASAD VERMA (Navada) : While supporting the Finance Bill and congratulating the Honb'le Finance Minister and his colleagues, I want to make a request......

सभापति महोदय: आप अपना भाषण शुक्रवार को जारी रखें। अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 14 मई, 1976/24 वैशाख, 1898 (शक) के मध्याह्न-पूर्व ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, May 14, 1976/Vaisakha 24, 1898 (Saka).

443LSS/76—200—17-8-76—GIPF·